क.

इशात शिफा

वी.

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। (2022 की सिविल अपील संख्या 7095)

13 अक्टूबर, 2022

[हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान, 1950:कलाएँ।14, 19 (1), 21 और 25-शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनने का अधिकार-धर्म की स्वतंत्रता-आवश्यक धार्मिक प्रथा (ई. आर. पी.)-पसंद का अधिकार-<आई. डी. 1 पर, याचिकाकर्ताओं, उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को उनके कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया और कॉलेज में प्रवेश करने से पहले उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा गया-क्योंकि उन्होंने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था, उन्हें प्रशासन द्वारा कॉलेज में प्रवेश से मना कर दिया गया था-<आई. डी. 2 पर, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के तहत 'राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड' के संबंध में सरकारी आदेश (जी. ओ.) जारी किया गया था-आदेश में अनिवार्य किया गया था कि कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्दी पहनी जानी चाहिए-क्योंकि हिजाब को कॉलेज का हिस्सा नहीं बनाया गया था।कॉलेज विकास समिति का गठन अधिनियम, 1983 के किसी भी प्रावधान के साथ टकराव में नहीं है-उक्त जी. ओ. अधिनियम के किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं है-कार्यपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर थी कि छात्र कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी में आते हैं-जी. ओ. का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वर्दी के मामले में छात्रों के बीच समानता हो-इसका उद्देश्य केवल एकरूपता को बढ़ावा देना और स्कूलों में एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को प्रोत्साहित करना था, जो Art.14-Art.25 (2) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप है और धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के विनियमन के लिए सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता देता है और Art.25 (2)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

426 ए.

427

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

किसी भी धर्म का विश्वास/हिस्सा अस्तित्व में है और "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" के अधीन पाया जाता है, ऐसे अधिकार को "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" के लिए रास्ता देना होगा-धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है-छात्रों के लिए हिजाब या कोई अन्य निशान पहनने की अनुमति देने वाले स्कूल में अपना विश्वास बनाए रखना खुला है-Art.19 (1) (a) के तहत अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने के अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में अधिकार, हालांकि, Art.19 के उप-खंड (2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है-कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिकार में कटौती की अनुमति है। (असहमति):ई. आर. पी. का प्रश्न न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्धारण में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था-ई. आर. पी. मार्ग को सीधे लेने के बजाय, उच्च न्यायालय पहले इस बात की जांच कर सकता था कि क्या स्कूल या जी. ओ. द्वारा हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध वैध प्रतिबंध थे या क्या ये प्रतिबंध आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित हैं-उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का मूल्यांकन करने में केवल ई. आर. पी. की कसौटी पर किया गया पूरा अभ्यास गलत था-यदि विश्वास ईमानदार है, और यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है-किसी पूर्व विश्वविद्यालय की छात्रा को उसके स्कूल के गेट पर अपना हिजाब उतारने के लिए कहना, एक आक्रमण है।19(1)(संविधान के क), 21 और 25 (1)-कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में कहीं भी हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा-आयोजितःपीठ द्वारा व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक उपयुक्त संविधान के गठन के लिए रखा जाना है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

न्यायपीठ-कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983।133, 145 – कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, विनियमन और प्रिस्क्रिप्शन आदि) नियम, 1995-आरआर।11,16.

मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखते हुए**,** न्यायालय ने

हेमान्ट गुप्ता के अनुसार**,** जे।

पकड़ना:**1. "**विधि**,** जैसा कि अनुच्छेद **19 (2)** और **25 (2)** के तहत विचार किया गया है**,** संविधान के भाग **III** के अंतर्गत आता है।इसलिए**,** अनुच्छेद **13 (3)** के तहत परिभाषित कानून में भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने के लिए कोई भी अध्यादेश**,** आदेश**,** उप**-**कानून**,** नियम**,** विनियमन**,** अधिसूचना**,** प्रथा या उपयोग शामिल होगा।इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुच्छेद **13 (3) (**ए**)** के साथ पठित अनुच्छेद **13 (2)** के अर्थ के भीतर एक कानून होगा**,** जो संविधान के अनुच्छेद **19 (2)** के साथ पठित अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** और अनुच्छेद **25 (1)** के साथ पठित अनुच्छेद **25 (2)** के तहत शक्ति का एक वैध प्रयोग है।सरकारी आदेश अधिनियम की धारा **133** के तहत कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों और संविधान के अनुच्छेद **162** के तहत राज्य की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।उक्त सरकारी आदेश अधिनियम के किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं है।इसलिए**,** कार्यपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में थी कि छात्र कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी में आएं।महाविद्यालय विकास समिति का गठन अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है या यह कि ऐसी समिति द्वारा वर्दी का विनियमन इसके दायरे से बाहर है **[**पैरा **46,47** और **57] [469-**ई**-**जी**; 473-**ए**]2.** शैक्षणिक संस्थानों के परिसर

अनुशासन के मामलों में, न्यायालय स्कूल प्राधिकरण के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, सिवाय स्पष्ट अन्याय के मामले में या किसी ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए जो वेड्सबरी की तर्कसंगतता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है।संविधान के अनुच्छेद **25 (1)** के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के आलोक में विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जांच करने की आवश्यकता है।ऐसा अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन नहीं है, बल्कि 'भाग **III** के अन्य प्रावधानों' के अधीन भी है।इसमें अनुच्छेद **14** भी शामिल होगा जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है।सरकारी आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वर्दी के मामले में छात्रों के बीच समानता हो।यह केवल एकरूपता को बढ़ावा देने और ए को प्रोत्साहित करने के लिए था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

429

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

विद्यालयों में एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण।यह संविधान के अनुच्छेद **14** के तहत गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप है।इसलिए, धर्म और विवेक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को अनुच्छेद **25 (1)** के प्रतिबंधों के तहत निर्धारित भाग **III** के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए।**[**पारस **78,88** और **89] [481-**बी-सी**; 485-**एफ**; 486-**सी-डी**]**

3. यदि आस्था के विश्वासियों की राय है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, तो सवाल यह है कि क्या छात्र अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकों को एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं।**[**पैरा **108] [498-**ए**-**बी**]**

ग

4.1 अपीलार्थियों का दावा किसी धार्मिक संस्थान में धार्मिक गतिविधि करने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास के विश्वासियों से अपेक्षित सामाजिक आचरण के मामले के रूप में सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनने के लिए है।लेकिन वर्तमान में, छात्र राज्य के बजाय धर्म द्वारा विनियमित होने के लिए अपनी पसंद की पोशाक की स्वतंत्रता को कम करना चाहते हैं, जबकि वे वास्तव में एक सरकारी स्कूल के छात्र हैं।कानून के समक्ष समानता जाति, पंथ, लिंग या जन्म स्थान के बावजूद सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है।धार्मिक आस्था के आधार पर राज्य द्वारा इस तरह की समानता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान ने अनुच्छेद **25 (2)** को नकारात्मक रूप से लिखा है।अनुच्छेद **25 (2) (**ए**)** धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के विनियमन के लिए सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता देता है और अनुच्छेद **25 (2) (**बी**)** "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" को प्रधानता देता है।दूसरे शब्दों में, यदि राज्य धर्म से जुड़े आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय या अन्य धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना चाहता है, तो प्रस्तावित अधिकार पर राज्य के कानून की प्रधानता होनी चाहिए।इसी तरह, यदि किसी धर्म की कोई विशेष प्रथा/विश्वास/हिस्सा अस्तित्व में है और उसे "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" के अधीन पाया जाता है, तो ऐसे अधिकार को "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" को रास्ता देना होगा।**[**हिजाब पहनने की प्रथा एक 'धार्मिक प्रथा' या एक 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' हो सकती है या यह इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए सामाजिक आचरण हो सकता है।शिरस्त्राण पहनने के बारे में विश्वासियों द्वारा की गई व्याख्या किसी व्यक्ति का विश्वास या विश्वास है।धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है।यह छात्रों के लिए एक ऐसे स्कूल में अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए खुला है जो उन्हें अनुमति देता है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

हिजाब या कोई अन्य निशान तिलक हो सकता है, जिसकी पहचान किसी विशेष धार्मिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति से की जा सकती है, लेकिन राज्य यह निर्देश देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है कि धार्मिक विश्वासों के स्पष्ट प्रतीकों को राज्य द्वारा बनाए गए स्कूल में राज्य निधि से नहीं ले जाया जा सकता है।इस प्रकार, हिजाब पहनने की प्रथा को सरकारी आदेश के संदर्भ में राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।**[**पैरा **125] [509-**डी**-**ई**]**

5. सरकारी आदेश राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।किसी क़ानून, नियमों और वैधानिक आदेश के अधिनियमन के कारणों को इसका हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है।यह तभी होता है जब संवैधानिकता का मुद्दा उठाया जाता है, तो कार्यपालिका को की गई कार्रवाई की वैधता के बारे में न्यायालय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने के अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत अधिकार भी अनुच्छेद **19** के उपखंड **(2)** के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।राज्य ने अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इसे इस तरह से विनियमित किया है कि कार्य दिवसों पर स्कूल के घंटों के दौरान और कक्षा में छात्र निर्धारित वर्दी पहनेंगे।चूँकि यह यूनिफ़ ऑर्म पहनने के लिए एक नियामक प्रावधान है, इसलिए, राज्य सरकार का कॉलेज विकास समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करने का निर्णय कि छात्र निर्धारित के अनुसार वर्दी पहनें, अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद **14** के तहत समानता के अधिकार को मजबूत करता है।महाविद्यालय विकास समिति का गठन वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में किया गया है और इसलिए, राज्य का यह निर्देश कि महाविद्यालय विकास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र निर्धारित पोशाक पहनें, संविधान के भाग **III** का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।**[**पैरा **139] [515-**डी**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

च

6. मौलिक अधिकारों में से कोई भी निरपेक्ष नहीं है।उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिकार में कटौती की अनुमति है जो तर्कसंगतता की कसौटी का सामना कर सकती है।सरकारी आदेश का उद्देश्य और उद्देश्य केवल निर्धारित वर्दी का पालन करके छात्रों के बीच एकरूपता बनाए रखना है।यह उचित है क्योंकि इसका प्रभाव अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत गारंटीकृत अधिकार के विनियमन पर पड़ता है।इस प्रकार, ए की स्वतंत्रता का अधिकार

जी.

एच.

अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत अभिव्यक्ति और अनुच्छेद **21** के तहत गोपनीयता एक दूसरे के पूरक हैं और पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं और अनुच्छेद **21** और अनुच्छेद **14** के उद्देश्यों के लिए तर्कसंगतता के निषेधाज्ञा को पूरा करते हैं।**[**पैरा **146] [519-**ई**-**एफ**]**

7. बंधुत्व एक महान लक्ष्य है लेकिन इसे केवल एक समुदाय के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है।यह जाति**,** पंथ**,** लिंग और धर्म की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए एक लक्ष्य है।यदि छात्रों को अपने स्पष्ट धार्मिक प्रतीकों को कक्षा में अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है तो बंधुत्व का संवैधानिक लक्ष्य विफल हो जाएगा।अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों में से कोई भी उन नागरिकों के एक वर्ग के संबंध में बंधुत्व के मुद्दे से संबंधित नहीं है जो अपने धार्मिक प्रतीकों को कक्षा में ले जाना चाहते हैं।प्रस्तावना से उत्पन्न होने वाले संवैधानिक लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि छात्रों को कक्षा में धार्मिक प्रतीकों के साथ खुद को पहचानने के संबंध में बंधुत्व को एक संकीर्ण अर्थ दिया जाए।धर्म**,** जो एक निजी मामला है**,** का राज्य द्वारा संचालित एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में कोई अर्थ नहीं है।छात्र अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र हैं**,** इसके अलावा जब वे एक ऐसी कक्षा में भाग ले रहे हों जहां धार्मिक पहचान को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए।तदनुसार**,** सरकारी आदेश बंधुत्व और गरिमा के संवैधानिक वादे को बाधित नहीं करता है।इसके बजाय**,** यह एक समान वातावरण को बढ़ावा देता है जहां ऐसे भ्रातृ मूल्यों को बिना किसी बाधा के आत्मसात किया जा सकता है और पोषित किया जा सकता है।**[**पारस **159,160** और **161] [527-**बी**-**एच**]**

ग

डी.

ई.

8. राज्य द्वारा संचालित स्कूल किसी भी धर्म**,** नस्ल**,** जाति**,** भाषा या उनमें से किसी के बावजूद प्रवेश के लिए खुले हैं।यहां तक कि अधिनियम भी आदेश देता है कि छात्रों को ऐसे आधारों पर बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश दिया जाएगा।हालांकि**,** छात्रों को वर्दी के मामले में स्कूल के अनुशासन का पालन करना आवश्यक है।उन्हें क़ानून और नियमों के तहत निर्धारित वर्दी के जनादेश का उल्लंघन करते हुए स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है।राज्य ने छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से मना नहीं किया है।यदि वे निर्धारित वर्दी के कारण कक्षाओं में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनते हैं**,** तो यह ऐसे छात्रों का एक स्वैच्छिक कार्य है और इसे अनुच्छेद **29** का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

च

जी.

एच.

क.

राज्य।यह राज्य द्वारा अधिकारों से इनकार नहीं है**,** बल्कि छात्रों का एक स्वैच्छिक कार्य है।इस प्रकार यह शिक्षा के अधिकार से इनकार करने के बराबर नहीं होगा यदि कोई छात्र अपनी पसंद से स्कूल नहीं जाता है।इस प्रकार**,** एक छात्र अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में हिजाब पहनने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।**[**पारस **167** और **169] [530-**सी**; 530-**एच**; 531-**ए**-**बी**]**

9. यदि किसी विशेष छात्र को लगता है कि वह हिजाब पहनने या किसी अन्य छात्र के किसी भी बाहरी धार्मिक प्रतीक को पहनने के लिए समझौता नहीं कर सकती है**,** तो स्कूल को सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने के व्यापक हित में ऐसे छात्र को अनुमति नहीं देना उचित होगा।सरकारी आदेश को संविधान के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य के लक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।सरकारी आदेश केवल यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों द्वारा निर्धारित वर्दी का पालन किया जाए और यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य इस तरह के आदेश के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर रहा है।धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है**,** इसलिए**,** एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक

प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा।इस प्रकार**,** सरकारी आदेश को धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता या कर्नाटक शिक्षा अधिनियम**, 1983** के उद्देश्य के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है।**[**पारस **190,194** और **197] [538-**ए**-**बी**; 539-**ई**-**एफ**; 541-**सी**-**डी**]**

ग

डी.

ई.

टी**.** एम**.** ए**.** पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य**, (2002) 8**

एससीसी 481:[2002] 3 पूरक।एससीआर 587; के. एस. पुट्टास्वामी

और एन**.** आर**.** वी**.**भारत संघ और अन्य। **(2017) 10** एससीसी **1:[2017] 10** एस**.** सी**.** आर**. 569;** राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1955** एस**.** सी**. 549;** काशी विश्वनाथ मंदिर**,** वाराणसी के श्री आदि विशेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

च

(1997) 4 एससीसी 606:[1997] 2 एससीआर 1086; डॉ. एम. इस्माइल

फारूकी और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। (1994) 6 एससीसी

360 :[1994] 5 पूरक।एससीआर 1; जावेद और ओआरएस. वी.हरियाणा राज्य और अन्य। (2003) 8 एससीसी 369: [2003] 1 पूरक।

जी.

एस. सी. आर. 947; मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्न।

(1978) 1 एससीसी 248:[1978] 2 एस. सी. आर 621; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 580:[1999] 2 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 394;** केरल शिक्षा विधेयक**, 1957-**ए

एच.

433

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ

भारत एयर 1958 एससी 956:[1959] एस. सी. आर. 995-अनुसरण किया गया।ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर 1950 एस. सी. 27:

[1950] एससीआर 88; त्रावणकोर-कोचीन और अन्य राज्य बनामबॉम्बे कंपनी लिमिटेड, अलेप्पी एयर 1952 एससी 366: [1952] एससीआर 1112; इंद्र साहनी और ओआरएस. वी.संघ का

भारत और ओआरएस। 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:[1992] 2 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 454;** बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाम मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज **(1990) 1** एस**.** सी**.** सी**. 428:[1989] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 399;** आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2016) 7**

ग

एससीसी **353:[2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 579-**पर निर्भर था।

बिजोए इम्मानुएल बनाम केरल राज्य (1986) 3 एस. सी. सी. 615:[1986] 3 एस. सी. आर. 518-लागू नहीं होता है।

ए. एस. नारायण दीक्षितुलु बनाम ए. पी. राज्य और अन्य। (1996)

9 एससीसी 548:[1996] 3 एस. सी. आर. 543; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्र। (1973) 4 एससीसी 225:[1973]

डी.

पूरक।एस. सी. आर. 1; श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज

नारायण 1975 (पूरक) एससीसी 1:[1976] 2 एससीआर 347;

जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास

मेहरा और ओआरएस। (1976) 2 एससीसी 17:[1975] पूरक।

ई.

एससीआर 281; एस. आर. बोम्मई और ओआरएस बनामभारत और अन्य

(1994) 3 एससीसी 1:[1994] 2 एस. सी. आर. 644; संतोष कुमार

& ओआरएस. वी.सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय

विकास और एन. आर. (1994) 6 एससीसी 579:[1994] 4 पूरक।

एससीआर 139; सुश्री अरुणा रॉय और ओआरएस बनामभारत संघ और

ओआरएस। (2002) 7 एससीसी 368:[2002] 2 पूरक।एससीआर

च

266; कांतारू राजीवरु **(**सबरीमाला मंदिर समीक्षा**-5** जे**.)** बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। **(2020)**

2 एससीसी 1:[2019] 17 एस. सी. आर. 599; मध्य प्रदेश राज्य

& एन. आर. वी.ठाकुर भरत सिंह ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1170:[1967] 2 एस. सी. आर. 454; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली

जी.

सरकार एयर 1952 एससी 75:[1952] एस. सी. आर. 284; विशंभर

दयाल चंद्र मोहन और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस। (1982) 1 एससीसी 39:[1982] 1 एससीआर 1137;

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम राजीव कॉलेज ऑफ इंडिया

फार्मेसी और ओआरएस। 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1224;

द्वारका नाथ तिवारी बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर 1959 एस. सी.

एच.

434 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

क.

249; संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

ए. आई. आर 1967 एस. सी 1910:[1968] 1 एस. सी. आर. 111; भारत संघ

& एन. आर. वी.अशोक कुमार अग्रवाल (2013) 16 एससीसी 147:

[2013] 12 एस. सी. आर. 629; शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य। (2017) 9 एससीसी 1:[2017] 9 एससीआर 797;

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर

ए. आई. आर 1954 एस. सी 282:[1954] एस. सी. आर. 1005; राष्ट्रीय कानूनी

सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य। (2014) 5

एससीसी 438:[2014] 5 एससीआर 119; के. एस. पुट्टास्वामी।

अध्यक्ष, जे एंड के राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम फियाज़

अहमद मलिक (2000) 3 एससीसी 59:[2000] 1 एससीआर 402;

ग

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और ए. एन. आर. बनामराज्य

गुजरात और अन्र. (1974) 1 एससीसी 717:[1975] 1 एस. सी. आर. 173 एस.पी. मित्तल बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 51:

[1983] 1 एससीआर **729;** पुलिस आयुक्त और अन्य बनामआचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्र। **(2004) 12** एस**.** सी**.** सी**. 770;** मोहम्मद।अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम

डी.

& ओआरएस। (1985) 2 एससीसी 556:[1985] 3 एस. सी. आर. 844; डेनियल

लतीफी और एनर वी**.**भारत संघ **(2001) 7** एससीसी **740:[2001] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 419;** इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

& एन. आर. (2007) 6 एससीसी 785:[2007] 7 एस. सी. आर. 949; शायरा

बानो बनाम भारत संघ और अन्य। **(2017) 9** एससीसी **1:[2017] 9** एस**.** सी**.** आर**. 797;** मो**.**हनीफ कुरेशी और अन्य बनाम राज्य

ई.

बिहार आकाशवाणी 1958 एस. सी. 731:[1959] एस. सी. आर. 629; एन.

मोहम्मद.सुलेमान साहिब बनाम एन. सी. मोहम्मद।इस्माइल साहब और

अन्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 792:[1966] 1 एससीआर 937; रतिलाल

पानचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 388:[1954] एससीआर 1055; दरगाह समिति, अजमेर बनाम.

च

सैयद हुसैन अली ए. आई. आर 1961 एस. सी 1402:[1962] 1 एससीआर

383; श्री वेंकटरमण देवरू और अन्य बनामकी स्थिति

मैसूर और ओआरएस। ए. आई. आर 1958 एस. सी. 255:[1958] एससीआर 895;

तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि।की स्थिति

राजस्थान और ओआरएस। ए. आई. आर 1963 एस. सी 1638:[1964] 1 एससीआर

जी.

561 ; आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य बनामपुलिस आयुक्त, कलकत्ता और अन्र। (1983) 4 एससीसी 522: [1984] 1 एससीआर 447; यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य। (सबरीमाला मंदिर, पुनः) बनाम केरल राज्य और

ओआरएस। (2019) 11 एससीसी 1:[2018] 9 एस. सी. आर. 561; एम. सिद्दीक ए

एच.

435

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(मृत) एलआर के माध्यम से। (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) बनाम महांत सुरेश दास और अन्य। (2020) 1 एससीसी 1: [2019] 18 एस. सी. आर. 1; आशा रंजन बनाम बिहार राज्य और अन्य। (2017)

4 एससीसी 397:[2017] 1 एस. सी. आर. 945; मोहिंदर सिंह गिल

& एन. आर. वी.मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और

ओआरएस। (1978) 1 एससीसी 405:[1978] 2 एस. सी. आर. 272; देवीदास

रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। (2015) 6 एससीसी 1:[2015] 7 एस. सी. आर. 853; सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एस. सी. सी. 558:[1991]

3 पूरक।एससीआर 121; नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनामसंघ

भारत (2018) 10 एस. सी. सी. 1:[2018] 7 एससीआर 379; एस.

रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य, (1989) 2 एससीसी 547; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, मंत्रालय

ग

कानून और अन्य। (2016) 7 एससीसी 221:[2016] 3 एससीआर 865;

प्रथवी राज चौहान बनाम भारत संघ और अन्य। (2020)

4 एससीसी 727:[2020] 2 एससीआर 727; तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य। (2018) 9 एससीसी 501:[2018]

डी.

9 एससीआर 291; सेंट स्टीफंस कॉलेज, काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर, कर्नाटक राज्य और अन्र बनाम.डॉ. प्रवीण भाई थोगाडिया (2004) 4 एस. सी. सी. 684:[2004] 3 एससीआर 652; नं. 786505-एन अग्रणी विमान चालक अंसारी आफताब अहमद बनाम भारत संघ और अन्य। 2008

एल**.** आई**.** सी**. 4004 (2005** का सी**.** डब्ल्यू**.** पी**.** सं**. 14927** पर निर्णय लिया गया

ई.

14.7.2008); मोहम्मद जुबैर कार्पोरल नंबर 781467 -

जी. बनाम भारत संघ और अन्य। (2017) 2 एससीसी 115:[2016]

9 एस. सी. आर. 111; नर सिंह पाल बनाम भारत संघ और अन्य।

(2000) 3 एससीसी 588:[2000] 2 एससीआर 752; जीजा घोष

& एन. आर. वी.भारत संघ और अन्य। (2016) 7 एससीसी 761:

च

[2016] 4 एस. सी. आर. 638; विकास कुमार बनाम यूनियन पब्लिक

सेवा आयोग और अन्य। **(2021) 5** एससीसी **370;** रविंदर कुमार धारीवाल और अन्र बनामभारत संघ और

ओआरएस। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1293; सोसाइटी फॉर अनएडिड

राजस्थान के निजी स्कूल बनाम भारत संघ और अन्र।

(2012) 6 एससीसी 1:[2012] 2 एस. सी. आर. 715; स्पष्ट रूप से रचनात्मक

जी.

प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस बनामपश्चिम बंगाल सरकार और

ओआरएस। (2020) 12 एससीसी 436:[2019] 5 एस. सी. आर. 679-संदर्भित।

ठाकुर भरत सिंह बनाम एम. पी. राज्य और ए. एन. आर. ए. आई. आर. 1964 एमपी 175; आमना बिन्त बशीर और अन्र बनामकेंद्रीय बोर्ड

एच.

क.

माध्यमिक शिक्षा विभाग **(**सी**.** बी**.** एस**.** ई**.),** नई दिल्ली और अन्र**.** ए**.** आई**.** आर**. 2016** केर **115;** गुरलीन कौर और ओआरएस**.** वी**.**पंजाब राज्य

& ओआरएस। 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 6132; फातिमा

तसनीम (माइनर) और अन्र. वी.केरल राज्य और अन्य।

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 5267; एम. अजमल खान बनाम द

भारत के चुनाव आयोग, प्रतिनिधि।इसके मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली-I और अन्य द्वारा। 2006 एससीसी ऑनलाइन

मैड **794:(2006) 5** सी**.** टी**.** सी**. 121-**संदर्भित।

मुल्ला का मोहम्मडन कानून**, 5** वां संस्करण**, 2019-**संदर्भित।

प्रति सुधांशु धूलिया**,** जे। **(**असहमति**)**

ग

पकड़ना:**1.** तत्काल मामला व्यक्तिगत अधिकार के दावे का है जो एक सामुदायिक अधिकार से अलग होगा।जहां अनुच्छेद **25** का खंड **1** व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है**,** वहीं भारत के संविधान का अनुच्छेद **25 (2)** और अनुच्छेद **26** बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित अधिकारों से संबंधित है।केवल **ई. आर. पी.** के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का मूल्यांकन करने में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा की गई पूरी कवायद गलत थी।**[**पैरा **28] [553-**ई**-**एफ**]**

डी.

2. दो बच्चे**,** दो छात्राएँ**,** हिजाब पहनकर अपनी पहचान का दावा कर रही हैं**,** और भारत के संविधान के अनुच्छेद **19** और अनुच्छेद **25** के तहत सुरक्षा का दावा कर रही हैं।हिजाब पहनना इस्लाम में **ई. आर. पी.** है या नहीं**,** यह इस विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है।यदि विश्वास ईमानदार है**,** और यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है**,** तो कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है।याचिकाकर्ताओं को आज उसी दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि बिजोए इमैनुएल में यहोवाह के गवाहों को करना पड़ता है।वर्तमान याचिकाकर्ता भी अपने विश्वास की वस्तु के रूप में हिजाब पहनते हैं।वे भी मानते हैं कि यह उनके धर्म और सामाजिक अभ्यास का एक हिस्सा है।इस मामले को पूरी तरह से बिजोए इमैनुएल के मामले और उसमें निर्धारित अनुपात **[**पैरा **34** और **49] [554-**जी**-**एच**; 560-**एच**; 561-**ए**]** द्वारा कवर किया गया है।

ई.

च

जी.

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस. वी.केरल राज्य और अन्य।

1986 3 एससीसी **615:[1986] 3** एस**.** सी**.** आर**. 518-**पर निर्भर।

3. स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है**,** फिर भी स्कूल और जेल या सैन्य शिविर के बीच एक समानांतर चित्र बनाना सही नहीं है। पुनः**,** यदि उच्च न्यायालय द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा था वह ए के संबंध में था

एच.

437

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

एक स्कूल में अनुशासन**,** तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।विद्यालयों में अनुशासन होना आवश्यक है।लेकिन अनुशासन स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं**,** न ही गरिमा की कीमत पर।एक पूर्व विश्वविद्यालय की स्कूली छात्रा को उसके स्कूल के द्वार पर अपना हिजाब उतारने के लिए कहना**,** उसकी निजता और गरिमा पर आक्रमण है।यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** और **21** के तहत उन्हें दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।अपनी गरिमा और अपनी निजता का यह अधिकार वह अपने व्यक्ति में रखती है**,** यहां तक कि अपने स्कूल के द्वार के अंदर या जब वह अपनी कक्षा में होती है।यह अभी भी उसका मौलिक अधिकार है**,** न कि **"**व्युत्पन्न अधिकार**"** जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया है।**[**पैरा **52] [562-**सी**-**ई**]**

ग

4. एक अन्य प्रश्न जिसका उत्तर वर्तमान मामले में विद्यालय प्रशासन और राज्य को देना चाहिए, वह यह है कि उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है:बालिकाओं की शिक्षा या ड्रेस कोड का प्रवर्तन**!**इसलिए यह न्यायालय अपने सामने यह सवाल भी रखेगा कि क्या हम केवल हिजाब पहनने के कारण एक लड़की को उसकी शिक्षा से वंचित करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं।याचिकाकर्ता केवल हिजाब पहनना चाहते हैं**!**क्या लोकतंत्र में पूछना बहुत अधिक है**?**यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ कैसे है**?**या यहां तक कि शालीनता या संविधान के भाग **III** के किसी अन्य प्रावधान के खिलाफ। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में इन प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया है।राज्य ने **5** फरवरी **2022** के सरकारी आदेश में या उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में कोई प्रशंसनीय कारण नहीं दिया है।यह तर्क या तर्क को आकर्षित नहीं करता है कि कैसे एक लड़की जो कक्षा में हिजाब पहन रही है, एक सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या है या यहां तक कि एक कानून और व्यवस्था की समस्या है।**[**पारस **65-67] [571-D-E; 572-A-C]**

डी.

ई.

च

5. एक लड़की को अपने घर में या अपने घर के बाहर हिजाब पहनने का अधिकार है, और वह अधिकार उसके स्कूल के द्वार पर नहीं रुकता है।जब वह स्कूल के गेट के अंदर होती है, अपनी कक्षा में होती है, तब भी बच्चा अपनी गरिमा और अपनी निजता को बनाए रखता है।वह अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखती है।यह कहना कि ये अधिकार कक्षा के भीतर व्युत्पन्न अधिकार बन जाते हैं, पूरी तरह से गलत है।हमारी संवैधानिक योजना के तहत, हिजाब पहनना केवल पसंद का मामला होना चाहिए।यह आवश्यक धार्मिक अभ्यास का विषय हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिर भी यह विवेक, विश्वास और अभिव्यक्ति का विषय है।अगर वह हिजाब पहनना चाहती है, तो अपने कक्षा के अंदर भी,

जी.

एच.

क.

अगर उसे उसकी पसंद के रूप में पहना जाता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे उसका रूढ़िवादी परिवार उसे स्कूल जाने की अनुमति देगा, और उन मामलों में, उसका हिजाब उसकी शिक्षा का टिकट है।**[**पारस **68** और **80] [572-**ई**-**एफ**; 577-**बी**]**

6. स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले लड़कियों को अपना हिजाब उतारने के लिए कहना, पहले उनकी निजता पर आक्रमण है, फिर यह उनकी गरिमा पर हमला है, और फिर अंततः यह उनके लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से इनकार है।ये स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**ए**),** अनुच्छेद **21** और अनुच्छेद **25 (1)** का उल्लंघन करते हैं।नतीजतन, सभी अपीलों के साथ**-**साथ रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, लेकिन केवल उस हद तक जैसा कि आदेश दिया गया है:क**)** कर्नाटक उच्च न्यायालय के **15** मार्च, **2022** के आदेश को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है;ख**) 5** फरवरी, **2022** का जी**.** ओ**.** इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और,ग**)** कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में कहीं भी हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।**[**पारस **83** और **84] [577-**एफ**-**जी**; 578-**ए**]**

ग

डी.

के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र बनाम भारत संघ और अन्य।

(2017) 10 एससीसी 1:[2017] 10 एस. सी. आर. 569; मेनका

गांधी बनाम भारत संघ और अन्र। **(1978) 1** एस**.** सी**.** सी**. 248; [1978] 2** एस**.** सी**.** आर**. 621;** अरुणा रॉय बनाम भारत संघ

(2002) 7 एससीसी 368:[2002] 2 पूरक।एस. सी. आर. 266; नवतेज

सिंह जौहर और ओआरएस. वी.भारत संघ, मंत्रालय

ई.

कानून और न्याय (2018) 10 एस. सी. सी. 1:[2018] 7 एस. सी. आर. 379-अनुसरण किया गया।

आयुक्त**,** हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती**,** मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर **[1954]** एससीआर **1005 23;** रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य। **[1954]** एस**.** सी**.** आर**. 1055;** दरगाह समिति**,** अजमेर और अन्र। वी**.**सैयद हुसैन अली और ओआरएस। **[1962] 1** एससीआर **383;** आचार्य जे**.** अवधूत और ओआरएस बनामपुलिस आयुक्त**,** कलकत्ता और अन्र। **(1983) 4** एससीसी **522:[1984] 1** एससीआर **447;** पुलिस आयुक्त और अन्य बनामआचार्य जे**.** अवद्रुता **(2004) 12** एस**.** सी**.** सी**. 770:[2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1019;** बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य

च

जी.

(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 684-**लागू नहीं होता है।

खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[1964] 1** एस**.** सी**.** आर**. 332;** कांतारू राजीवरु बनाम भारतीय युवा वकील संघ।

एच.

439

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

क.

और ओआरएस। [आर. पी. (ग) डब्ल्यू. पी. में 2018 की सं. 3358। (ग) नहीं।

373 2006 का**];** शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य।

(2017) 9 एससीसी 1:[2017] 9 एस. सी. आर. 797; इंडियन यंग

वकील संघ और अन्य**, (**सबरीमाला मंदिर**,** पुनः**)** बनाम केरल राज्य और अन्य। **(2019) 11** एससीसी **1:[2018] 9** एस**.** सी**.** आर**. 561;** एम**.** सिद्दीक **(**मृत**)** एल**.** आर**.** बनाम महांत सुरेश दास और अन्य के माध्यम से। **(2020) 1** एससीसी **1:[2019] 18** एस**.** सी**.** आर**. 1;** सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय

(1992) 1 एससीसी **558:[1991] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 121-**संदर्भित।

रास बिहारी लाल और अन्य बनाम राजा-सम्राट आर एयर

ग

1933 पी**.** सी**. 208-**संदर्भित।

वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम बार्नेट **319** यूएस **624 (1943);** रेजिना **(**एसबी**)** बनाम डेनबीग के गवर्नर

हाई स्कूल **[2007] 1** एसी **100;** मिलर बनाम गिल्स **325** एफ।

सप**.94 (**एन**.** डी**.** इल**. 1969);** क्रिसमस बनाम एल रेनो बोर्ड

डी.

शिक्षा 313 एफ. सप.618 (डब्ल्यू. डी. ओक्ला।1970);

रोजगार प्रभाग बनाम स्मिथ 494 यू. एस. 872 (1990); संयुक्त

स्टेट्स बनाम श्विमर **279** यू**.** एस**. 644 (1929)-**संदर्भित।**25** नवंबर**, 1949** को डॉ**.** अम्बेडकर का भाषणःसंविधान सभा बहस**,** खंड **XI;** रॉल्स**,** जॉन **(1921):**सामाजिक न्याय का एक सिद्धांत**,** रेव**.** एड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस**,** कैम्ब्रिज**,** मैसाचुसेट्स का बेल्कनैप प्रेस**-**संदर्भित।

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

हेमांट गुप्ता के फैसले में**,** जे**. [2002] 3** सप्लीमेंट।एस**.** सी**.** आर**. 587** का अनुसरण किया गया

च

पैरा **3**

पैरा **5**

[1996] 3 एससीआर **543**

संदर्भित किया गया है

[1973] पूरक।एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

जी.

[1976] 2 एससीआर **347**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[1975] पूरक।एससीआर **281**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[1994] 2 एससीआर **644**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[1994] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 139** संदर्भित

पैरा **10**

एच.

440 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

क.

[2002] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 266** को संदर्भित किया गया

पैरा **11**

[2019] 17 एससीआर **599**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2017] 10 एससीआर **569**

पीछा किया।

पैरा **27**

[1967] 2 एससीआर **454**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[1952] एससीआर **284**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

[1982] 1 एससीआर **1137**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

पीछा किया।

पैरा **35**

ए**.** आई**.** आर **1955** एस**.** सी**. 549**

ए**.** आई**.** आर **1959** एस**.** सी **249**

संदर्भित किया गया है

पैरा **45**

ग

[1968] 1 एससीआर **111**

संदर्भित किया गया है

पैरा **50**

पैरा **50**

[2013] 12 एससीआर **629**

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर **88**

पर भरोसा किया

पैरा **66**

[1952] एससीआर **1112**

पर भरोसा किया

पैरा **67**

डी.

पैरा **70**

[1992] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** पर निर्भर

पैरा **70**

संदर्भित किया गया है

[2017] 9 एससीआर **797**

[1954] एससीआर **1005**

संदर्भित किया गया है

पैरा **70**

[2014] 5 एससीआर **119**

संदर्भित किया गया है

पैरा **71**

ई.

पैरा **78**

[2000] 1 एससीआर **402**

संदर्भित किया गया है

[1975] 1 एससीआर **173**

संदर्भित किया गया है

पैरा **79**

[1989] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 399** पर निर्भर

पैरा **80**

पैरा **81**

[2016] 3 एससीआर **579**

पर भरोसा किया

च

पैरा **84**

संदर्भित किया गया है

[1983] 1 एससीआर **729**

[1997] 2 एससीआर **1086**

पीछा किया।

पैरा **86**

(2004) 12 एस**.** सी**.** सी**. 770**

संदर्भित किया गया है

पैरा **91**

[1985] 3 एससीआर **844**

संदर्भित किया गया है

पैरा **99**

जी.

पैरा **99**

[2001] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 419** संदर्भित **[2007] 7** एस**.** सी**.** आर**. 949**

संदर्भित किया गया है

पैरा **99**

[2017] 9 एससीआर **797**

संदर्भित किया गया है

पैरा **99**

एच.

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर **629**

पैरा **102** ए

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

[1994] 5 पूरक।एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **104**

[2003] 1 पूरक।इसके बाद एस**.** सी**.** आर**. 947** आया।

पैरा **105**

[1954] एससीआर **1055**

संदर्भित किया गया है

पैरा **110**

पैरा **111**

संदर्भित किया गया है

[1962] 1 एससीआर **383**

[1958] एससीआर **895**

संदर्भित किया गया है

पैरा **112**

[1964] 1 एससीआर **561**

संदर्भित किया गया है

पैरा **113**

संदर्भित किया गया है

पैरा **114**

[1984] 1 एससीआर **447**

[2018] 9 एससीआर **561**

संदर्भित किया गया है

पैरा **115 [1986] 3** एससीआर **518** लागू नहीं होता पैरा **116 [2019] 18** एससीआर **1**

ग

संदर्भित किया गया है

पैरा **124**

पैरा **129**

[2017] 1 एससीआर **945**

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर **272**

संदर्भित किया गया है

पैरा **130**

डी.

[1978] 2 एससीआर **621**

पीछा किया।

पैरा **131**

संदर्भित किया गया है

पैरा **133**

[2015] 7 एससीआर **853**

पैरा **134**

[1991] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 121** संदर्भित **[2018] 7** एस**.** सी**.** आर**. 379**

संदर्भित किया गया है

पैरा **133**

ई.

(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 684**

पीछा किया।

पैरा **140**

(1989) 2 एस**.** सी**.** सी**. 547**

संदर्भित किया गया है

पैरा **142**

[1999] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 394** का अनुसरण किया गया।

पैरा **144**

[2016] 3 एससीआर **865**

संदर्भित किया गया है

पैरा **149**

च

[2020] 2 एससीआर **727**

संदर्भित किया गया है

पैरा **150**

पैरा **151**

[2018] 9 एससीआर **291**

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर **652**

संदर्भित किया गया है

पैरा **152**

[2016] 9 एससीआर **111**

संदर्भित किया गया है

पैरा **163**

जी.

पीछा किया।

[1959] एससीआर **995**

पैरा **170**

[2000] 2 एससीआर **752**

संदर्भित किया गया है

पैरा **171**

[2016] 4 एससीआर **638**

संदर्भित किया गया है

पैरा **177**

एच.

संदर्भित किया गया है

(2021) 5 एससीसी **370**

पैरा **177**

क.

[2012] 2 एससीआर **715**

संदर्भित किया गया है

पैरा **191**

[2019] 5 एससीआर **679**

संदर्भित किया गया है

पैरा **194**

सुधांशु धूलिया के फैसले में**,** जे।

पैरा **14**

संदर्भित किया गया है

[1964] 1 एससीआर **332**

[1986] 3 एससीआर **518**

पर भरोसा किया

पैरा **19**

[1954] एससीआर **1005**

लागू नहीं होने वाला पैरा **23**

[1954] एससीआर **1055**

लागू न होने वाला पैरा **25** लागू न होने वाला पैरा **26**

[1962] 1 एससीआर **383**

ग

[1984] 1 एस**.** सी**.** आर**. 447** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **27 [2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1019** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **27 [2019] 18** एस**.** सी**.** आर**. 1**

अप्रयोज्य पैरा **37 [2017] 10** एस**.** सी**.** आर**. 569** का पालन किया गया

पैरा **52**

डी.

[1978] 2 एससीआर **621**

पीछा किया।

पैरा **52**

(1980) 2 एस**.** सी**.** सी**. 684**

अप्रयोज्य पैरा **54 [2002] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 266** का अनुसरण किया गया

पैरा **73**

[2018] 7 एससीआर **379**

पीछा किया।

पैरा **74**

ई.

[1991] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 121** संदर्भित

पैरा **75**

सिविल अपीलीय/मौलिक न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 7095।

2022 के डब्ल्यू. पी. No.2880 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

च

सह

2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 120, सिविल अपील Nos.7075,6957,7078-7083,7077,7074,7076,7072,6934,7084,7085,7092,7088,2022 की रिट याचिका (सी) संख्या। 2022 की 95, सिविल अपील संख्या 7087,7090,7096,7091,7089,7086,7069,7098,7093,7099,7070

जी.

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., निखिल गोयल, प्रसन्ना देशपांडे, अरुणा श्याम, वाई. एच. विजय कुमार, ए. ए. जी., प्रभुलिंग नवदगी, एड. जनरल, गौरव भाटिया, सिद्धार्थ दवे, संजय आर. हेगड़े, सलमान खुर्शीद, सुश्री जयना कोठारी, दुष्यंत दवे, देवदत्त कामत, गुरु कृष्ण कुमार, प्राण कृष्ण जाना, यूसुफ हातिम मुच्छाला, आर. ए.

एच.

443

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

वेंकटरमानी, संजय हेगड़े, हुज़ेफा अहमदी, डॉ. आदित्य सोंधी, कपिल सिब्बल, ए. एम. डार, सुश्री वी. मोहना, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, कॉलिन गोंजाल्विस, दामा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता।, शुभ्रांशु पाधी, कानू अग्रवाल, अनीश शहादे, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकीर्ति, मोहम्मद।ओवैस, सुशील तिवारी, आदित्य कोशी रॉय, चित्रांश शर्मा, नकुल चेंगप्पा के. के., आदित्य वैभव सिंह, अभिकल्प प्रताप सिंह, कार्तिक कौशल, शैलेश मडियाल, विनायक एस. पंडित, सुधांशु प्रकाश, एच. विनायक एस. पंडित, राजन परमार, वैभव सभरवाल, सुश्री विधि टी., महमूद उमर फारूकी, सुश्री कोशी जॉन, सुश्री आसिफा राशिद मीर, शेरीफ के. ए., मोहम्मद।ताहिर, मुहम्मद अजरुद्दीन, अनस तनवीर, सुश्री मासूम राज सिंह, सुश्री रितिका सिंह, अब्दुल कादिर, राघव गुप्ता, शाहरुख अली, फरहान, आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी, अली सफीर फारूकी, सैयद इम्तियाज अली, शाहबाज, मुजीब रहमान, मुमताज आलम सिद्दीकी, सुश्री तहशीना जेड. हुसैन, सुश्री लुबना नाज, डॉ. लोकेंद्र मलिक, राहत अली चौधरी, नितिन कश्यप, रमेश सचदेवा, सुश्री मारिया मंसूरी, सुश्री अज़रा रहमान, अंशु कपूर, अरविंद कुमार कण्वा, बिलाल ए. खान, सुश्री मित्तल चौहान, दानिश जुबैर।नियास एस., हर्ष पांडे, रेवांता सोलंकी, निशांत पाटिल, मुदस्सिर, आदित्य समद्दर, मोहम्मद।नियास, शोएब खान, कलीश्वरम राज, निशे राजन शोंकर, सुश्री तुलसी के. राज, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, प्राण कृष्ण जाना, सुश्री नाज़ीश फातिमा, अरविंद गुप्ता, मो. ताहिर एम. हकीम, एजाज मकबूल, सागीर ए. खान, सुश्री रश्दा एस. ऐनापुर, मोहम्मद नवाज हैंदादे, सुश्री आकृति चौबे, सैफ जिया, नचिकेता जोशी, वी. वी. वी. पट्टाभिराम, संतोष कुमार, सुश्री अंकिता चौधरी, राहुल तनवानी, चितवान सिंघल, सुशील तिवारी, बैज नाथ पटेल, रहमातुल्ला कोठवाल, सुश्री सिद्दिका आयशा, कुमैल अब्बास, मोहम्मद

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

444

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

क.

शाहरुख अली, राघव गुप्ता, पल्लभ, निखिल, अदील अहमद, सचिन पाहवा, जुल्फिकार अली पी. एस., थोयिब हुदवाई, सुश्री लक्ष्मी श्री, तल्हा अब्दुल रहमान, हर्षवर्धन केडिया, मोहम्मद।शाज खान, सुश्री दिशा वाडेकर, बिलाल ए. खान, मोहम्मद। अफीफ, ऋषभ देवन पारिख, सुश्री रूपाली सैमुअल, सुश्री अपराजित जामवाल, कोशी जॉन, दिलीप पूलाक्कोट, मुहम्मद सिद्दिक, अल्जो के. जोसेफ, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, अजहर असीस, उस्मान गनी खान, सुश्री पल्लवी प्रताप, अमीन हसन के., दानिश एम. डार, बी. शफी, डॉ. चारू माथुर, सुश्री तन्वी दुबे, राहुल उन्नीकृष्णन, अनुकृत गुप्ता, संजय कुमार दुबे, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, सुश्री विपाशा सिंह, अजय कनौजिया, सुश्री शिवानी, सुश्री नेहा सिंह, सुश्री शैलजा दास, मो. इरशाद हनीफ, जावेद आर. शेख, आरिफ अली, रिजवान अहमद, मोहम्मद।असलम, मुजाहिद अहमद, सुश्री रुबीना जावेद, तौसीफ अहमद डार, अहमद परवेज, अमर कुमार रायजादा, पंकज तिवारी, मोहम्मद।फसीह खान, आमिर कलीम, मोहित कुमार, शिशिर राज, मोहम्मद।वसीक खान, साहिद उद्दीन अहमद, पुलकित श्रीवास्तव, सुबोध पाटिल, आयुष आनंद, प्रवर्तक पाठक, गौतम सिंह, सुश्री कृति रंजन, भरत सिंह, जॉयदीप रॉय, पुलकित श्रीवास्तव, सुबोध पाटिल, आयुष आनंद, गौतम सिंह, सुश्री कृति रंजन, प्रवर पाठक, बरुण कुमार सिन्हा, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, मुदित कौल, सुश्री बेबी देवी बोनिया, सुश्री सुधा पाल, अभिषेक, सिद्धार्थ सिन्हा, आनंद आयुष, अभिषेक सिंह, प्रशांत रावत, तथागट शर्मा, वेद प्रकाश, सुश्री प्रिया मिश्रा, शिवम सिंघानिया, सुश्री फौजिया शकील, सुश्री शिवम, अर्चित कृष्णा, शिवम।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

445

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

सुश्री शिवानी कुकुमानु, गुरसीमार सिंह, सिद्धार्थ सिन्हा, संदीप सिंह, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री अलापना शर्मा, अभिषेक महाजन, नृग चामवीबो जेलियांग, महमूद उमर फारूकी, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री मुग्धा, सत्य मित्रा, अल्जो के. जोसेफ, एम. आर. शमशाद, नरेश कुमार, शादन फरासत, तनवीर अहमद मीर, अर्जुन सिंह भाटी, कार्तिक वेणु, मोहम्मद।ताहिर, सुश्री ऊर्जा पांडे, सुश्री पल्लवी प्रताप, अदील अहमद, आफताब अली खान, अनस तनवीर, प्रतीक यादव, रणबीर सिंह यादव, मोहम्मद।शाहरुक, पूरन मल सैनी, सुश्री अंजु के. वर्की, पति राज यादव, रितेश पाटिल, योगेश यादव, मारीश प्रवीर सहाय, सुश्री अश्वथी एम. के., जावेदुर रहमान, अभिषेक, अमन वर्मा, शुभ्रांशु पाधी, चारुदत्त विजयराव महिंद्रा, सुश्री मिशा रोहतगी, सुश्री मृण्मयी चटर्जी, के. वी. मुथु कुमार, भास्कर गौतम, सयोज मोहनदास, अक्षय रवि, गोविंद कुमार, शुभेंदु आनंद, आफताब अली खान, अनस तनवीर, सुश्री आसिफा राशिद मीर, अब्दुल शुकूर मुंडम्ब्रा, शेरिफ के. ए., अनस तनइरशाद हनीफ, अभय आनंद

जेना, के. वी. मुथु कुमार, शौमेंदु मुखर्जी, पुलकित श्रीवास्तव, महेश ठाकुर, समीर श्रीवास्तव, सुश्री चारू माथुर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

ग

डी.

न्यायालय के निर्णय और आदेश दिए गए थे

हेमंत गुप्ता, जे।

ई.

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 15.3.2022 पर पारित एक आदेश के लिए है, जिसमें सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2022 को चुनौती दी गई है।इस तरह के सरकारी आदेश ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को निर्धारित वर्दी का पालन करने का निर्देश दिया, और निजी स्कूलों को उनके प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय की गई वर्दी को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया।

च

वरीयता

2. दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करने से पहले, भारत के संविधान में अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता के लोकाचार और सिद्धांतों की पृष्ठभूमि देना अनिवार्य है।यद्यपि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का एक व्यापक आयाम है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग-अलग तरीके से समझा गया है, लेकिन भारतीय संविधान के संदर्भ में इसे समझना महत्वपूर्ण है।

जी.

3. "धर्मनिरपेक्ष" शब्द अब संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है।"सेक्युलर" का क्या अर्थ है (हिंदी संस्करण में आई. ए. एफ. के. फुजीस {के)

एच.

क.

संविधान) पर पहले चर्चा करने की आवश्यकता है।'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संशोधन डब्ल्यू. ई. एफ. 3.1.1977 द्वारा जोड़ा गया था।इसे आमतौर पर 'धार्मिक' शब्द के विपरीत समझा जाता है।एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का राजनीतिक दर्शन पश्चिम में स्थापित चर्च की श्रेष्ठता और समाज और उसके संस्थानों पर उसके द्वारा शक्ति के प्रयोग के ऐतिहासिक संदर्भ में विकसित किया गया है।इसके बाद लोकतांत्रिक राज्य ने धीरे-धीरे चर्च के प्रभाव को प्रतिस्थापित और हाशिए पर डाल दिया।धर्मनिरपेक्षता का विचार भारतीय संविधान में पश्चिम से उधार लिया गया होगा; हालाँकि, इसने अपने विशेष इतिहास और आवश्यकताओं के आधार पर अपना अनूठा ब्रांड अपनाया है जो यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में परिभाषित और अनुसरण किए जाने वाले धर्मनिरपेक्षता से कई मायनों में अलग हैं।1

ग

4. संविधान में 'पंथनिर्पेक्ष' शब्द का उपयोग 'धर्मनिर्पेक्ष' और 'पंथनिर्पेक्ष' शब्दों में अंतर को सामने लाता है।'पंथ, या संप्रदाय, किसी भी विशिष्ट विश्वास, पूजा के तरीके या भगवान के रूप के प्रति भक्ति का प्रतीक है, लेकिन धर्म निरपेक्ष और शाश्वत मूल्यों

का प्रतीक है जो प्रकृति के नियमों की तरह कभी नहीं बदल सकते हैं।धर्म वह है जो प्रजा (नागरिकों) और समग्र रूप से समाज के कल्याण और उत्थान को बनाए रखता है, बनाए रखता है और परिणामस्वरूप होता है।

डी.

5. इस न्यायालय ने एक निर्णय में ए**.** एस**.** नारायण दीक्षितुलु बनाम ए**.** पी**.** राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। **2** ने न्यायमूर्ति एम**.** रामा जोइस द्वारा अपनी कानूनी और संवैधानिक पुस्तक में धर्म की अवधारणा को उद्धृत किया है।

ई.

भारत का इतिहास "धर्म को परिभाषित करना सबसे कठिन है।धर्म को वह बताया गया है जो जीवित प्राणियों के उत्थान में सहायता करता है।इसलिए, जो (जीवों का) कल्याण सुनिश्चित करता है, वह निश्चित रूप से धर्म है।विद्वान ऋषियों ने घोषित किया है कि जो कायम रहता है वही धर्म है।इस न्यायालय ने कहा कि "जब धर्म का उपयोग व्यक्तियों के कर्तव्यों और राजा (राज्य) की शक्तियों के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ संवैधानिक कानून (राजधर्म) होता है।इसी तरह, जब यह कहा जाता है कि लोगों की शांति और समृद्धि के लिए और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए धर्मराज्य आवश्यक है, तो राज्य शब्द के संदर्भ में धर्म शब्द का अर्थ केवल कानून है, और धर्मराज्य का अर्थ कानून का शासन है, न कि धर्म या ईश्वरशासित राज्य का शासन।

च

जी.

कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, जो स्वार्थ से मुक्त हो, धर्म का हिस्सा है।इस प्रकार, सभी मनुष्यों के लिए प्रेम रखना धर्म है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

1 टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस. सी. सी. 481 (11 न्यायाधीशों की पीठ) 2 (1996) 9 एस. सी. सी. 548 ए

एच.

447

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

“156. यह उपरोक्त के कारण है कि अगर कोई पूछे कि "धर्म के संकेत और लक्षण क्या हैं?”, इसका उत्तर हैःजिसमें संकीर्णता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और हठधर्मिता के लिए कोई जगह नहीं है।इसलिए, धर्म की शुद्धता से सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया जा सकता है।एक सांप्रदायिक धर्म लोगों के एक सीमित समूह के लिए खुला है जबकि धर्म सभी को शामिल करता है और किसी को भी बाहर नहीं करता है।यही हमारे धर्म, हमारे मानस का मूल है।

157. धर्म और धर्म के बीच अंतर को घर लाने के लिए आगे कुछ भी आवश्यक नहीं है; और इसलिए मैं कहता हूं कि अनुच्छेद 25 और 26 में 'धर्म' शब्द को संकीर्ण सांप्रदायिक अर्थों में नहीं, बल्कि "लोस जेड होकोउर्क एलक्यूएफ [केयू%" के हमारे लोकाचार को शामिल करते हुए समझा जाना चाहिए।आइए हम इसे प्राप्त करने का प्रयास करें; आइए हम अपने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का लाभ उठाकर और उसका लाभ उठाकर अपने धर्म के संदेश का प्रसार करें।"

ग

6. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और

एन. आर. 3, 42 वें संशोधन द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ने से पहले भी, यह माना गया था कि संविधान की मौलिक विशेषताएं, अर्थात् धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा कल्याणकारी राज्य में बनी रहेगी।माननीय न्यायमूर्ति

एच. आर. खन्ना ने अपने फैसले में संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य और एक समाचार पत्र के संपादक के. संथानम के बयान का उल्लेख किया।यह निम्नानुसार देखा गयाः

डी.

ई.

“1481. ...विधानसभा के एक प्रमुख दक्षिणी सदस्य और एक प्रमुख समाचार पत्र के संपादक के. संथानम ने तीन क्रांतियों के संदर्भ में स्थिति का वर्णन किया।राजनीतिक क्रांति समाप्त हो जाएगी,

उन्होंने स्वतंत्रता के साथ लिखा।सामाजिक क्रांति का अर्थ था (भारत) को जन्म, धर्म, प्रथा और समुदाय के आधार पर मध्ययुगीनता से बाहर निकालना और कानून, व्यक्तिगत योग्यता और धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक नींव पर अपनी सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण करना।

च

शिक्षा '।तीसरी क्रांति आर्थिक थीः‘आदिम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से वैज्ञानिक और नियोजित कृषि और उद्योग में परिवर्तन। राधाकृष्णन (अब भारत के राष्ट्रपति) का मानना था कि भारत में एक 'सामाजिक-आर्थिक क्रांति' होनी चाहिए जो न केवल 'आम आदमी की मौलिक जरूरतों की वास्तविक संतुष्टि' के लिए बनाई गई हो, बल्कि बहुत गहराई तक जाने और 'भारतीय समाज की संरचना में एक मौलिक परिवर्तन' लाने के लिए भी होनी चाहिए।

जी.

(जोर दिया गया)

3 (1973) 4 एससीसी 225

एच.

448

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

7. राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बाद में संविधान पीठ के फैसले में दोहराया गया था जिसे श्रीमती के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण 4 जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“252. यह मेरे द्वारा पी पर कहा गया है।685 (फैसले के एस. सी. सी. पी. 767) (पहले से ही ऊपर पुनः प्रस्तुत) कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, जिसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, को भी इसी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत अधिकार संविधान की मूल संरचना से संबंधित हैं।

8. प्रस्तावना में जोड़े जाने के बाद 'सेक्युलर' शब्द पर भी इस अदालत के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विचार किया गया था।

ग

जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा

& ओआरएस। 5.यह न्यायालय चुनाव अभियान के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषणों के आधार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में अपीलार्थी के चुनाव को रद्द करने के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहा था।यह माना गया था कि "

डी.

धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म के सभी मतभेदों से ऊपर उठकर, अपने सभी नागरिकों की भलाई को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं कुछ भी हों।

9. 'सेक्युलर' शब्द पर इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी विचार किया गया था, जिसे एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम एस.भारत संघ और अन्य। 6.यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हमारा संविधान किसी भी धर्म के पालन को निजी या सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है।फैसले का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

ई.

“146. निहितार्थ से ये प्रावधान एक ईश्वरशासित राज्य की स्थापना को प्रतिबंधित करते हैं और राज्य को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय के साथ अपनी पहचान बनाने या उसका पक्ष लेने से रोकते हैं।राज्य को सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों और संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया गया है।

च

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

जी.

148. हमारे संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता पर उपरोक्त चर्चा से एक बात जो प्रमुखता से सामने आती है, वह यह है कि जो कुछ भी हो

4 1975 (सप.) एस. सी. सी. 1 5 (1976) 2 एस. सी. सी. 17 6 (1994) 3 एस. सी. सी. 1 ए

एच.

449

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

धर्मों, धार्मिक संप्रदायों और संप्रदायों, धर्म के प्रति राज्य के दृष्टिकोण को राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ नहीं मिलाया जा सकता है।वास्तव में, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का अतिक्रमण सख्ती से प्रतिबंधित है।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

304. दोनों अभिव्यक्तियाँ-'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष'-अपने आप में सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं हैं।हालाँकि, हम उनके सामान्य अर्थ या विषय-वस्तु से चिंतित नहीं हैं।हमारा उद्देश्य हमारे संविधान के संदर्भ में "धर्मनिरपेक्ष" अभिव्यक्ति के अर्थ का पता लगाना है।जैसा कि आगे की चर्चा से पता चलता है, 42 वें संशोधन में केवल यह स्पष्ट किया गया था कि इसमें क्या निहित था। जहां तक राज्य का संबंध है, इस देश के नागरिक अपने पसंद के धर्म, आस्था या विश्वास को मानने, पालन करने और प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी राज्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति का धर्म, आस्था या विश्वास महत्वहीन है।इसके लिए, सभी समान हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करने का अधिकार है।यह समान व्यवहार कैसे संभव है, यदि राज्य को किसी विशेष धर्म, नस्ल या जाति को पसंद करना या बढ़ावा देना है, जिसका अर्थ है अन्य सभी धर्मों, नस्लों और जातियों के साथ कम अनुकूल व्यवहार।सामाजिक न्याय, आस्था, आस्था या पूजा की स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता के

संवैधानिक वादे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं जब तक कि राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, आस्था या विश्वास को उसके, उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और उसके साथ व्यवहार करते समय उसके विचार से पूरी तरह से अलग नहीं करता है।

ग

डी.

ई.

अधिकार?इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता के एक निष्क्रिय दृष्टिकोण से अधिक है।यह बराबरी की एक सकारात्मक अवधारणा है।

सभी धर्मों का व्यवहार।इस मनोवृत्ति को कुछ लोग धर्म के प्रति तटस्थता या परोपकारी तटस्थता के रूप में वर्णित करते हैं।..."

च

10. उसी वर्ष**,** संतोष कुमार के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में

& ओआरएस**.** वी**.**सचिव**,** मानव संसाधन विकास मंत्रालय और

एन. आर. 7, यह सवाल उठा कि क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की अनुमति है, जहां तक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का संबंध है।यह

जी.

अदालत ने उद्धृत किया कि "यह ध्यान रखना लाभदायक होगा कि न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना के अनुसार धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। यह

7 (1994) 6 एस. सी. सी. 579

एच.

450 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

भक्त, अज्ञेयवादी और नास्तिक के साथ समान व्यवहार करता है।उनके अनुसार, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक भक्ति के विरोधी नहीं है। वह इस धारणा को दूर करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्त हिंदू या भक्त मुसलमान है, तो वह धर्मनिरपेक्ष होना बंद कर देता है।"

11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को इस न्यायालय के समक्ष सुश्री अरुणा रॉय और अन्य बनाम के रूप में एक निर्णय में चुनौती दी गई थी।भारत संघ और अन्य। 8.इस न्यायालय ने एस. बी. चव्हाण समिति की रिपोर्ट, 1999 पर भरोसा किया, जिसमें सामाजिक एकता और सामाजिक और धार्मिक साधन के रूप में धर्मों के बारे में शिक्षा की दृढ़ता से सिफारिश की गई थी।

सामंजस्य, जब यह कहा गया था "यहाँ सावधानी के एक शब्द की आवश्यकता है।धर्मों के बारे में शिक्षा को अत्यधिक सावधानी के साथ संभाला जाना चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम पहले से ही उठाए जाने चाहिए कि किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या संकीर्ण धारणा को इस उद्यम के वास्तविक उद्देश्य को विकृत करने की अनुमति न दी जाए और धर्मों के बारे में शिक्षा के नाम पर कोई भी अनुष्ठान, हठधर्मिता और अंधविश्वास का प्रचार न किया जाए।इसलिए सभी धर्मों के साथ समान सम्मान (सर्व धर्म संभव) के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

ग

डी.

(पंतनिरपक्षता)।" यह निम्नानुसार देखा गयाः"29. इस स्तर पर, हम एस. बी. चव्हाण समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार उद्धृत करेंगेः

ई.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

12. हमारे देश के विविध चरित्र को देखते हुए, यह आवश्यक है कि कुछ राष्ट्रीय मूल्यों को भी उनके द्वारा आत्मसात किया जाए।

हमारे युवा छात्र।उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, संवैधानिक दायित्वों और निम्नलिखित विशेषताओं से परिचित होना चाहिए।

च

हमारी राष्ट्रीय पहचान।समिति का मानना है कि इनमें से कुछ राष्ट्रीय मूल्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्तर पर प्रदान किया जा सकता है, जबकि मध्य और माध्यमिक स्तरों पर इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

जी.

13. एक अन्य पहलू जिस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए वह है -

धर्म, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग और गलत समझा जाता है

अवधारणा।छात्रों को परिचित कराने की प्रक्रिया

सभी धर्मों की मूल बातों के साथ, उनमें निहित मूल्य

8 (2002) 7 एससीसी 368 ए

एच.

451

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

और सभी के दर्शन का एक तुलनात्मक अध्ययन भी

धर्मों को स्कूलों में मध्य स्तर से शुरू होना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर तक जारी रहना चाहिए।छात्रों को जागरूक करना होगा कि प्रत्येक धर्म के पीछे मूल अवधारणा समान है, केवल प्रथाएं भिन्न हैं।भले ही कुछ क्षेत्रों में मतभेद हों, लोगों को करना पड़ता है

सह-अस्तित्व सीखें और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नफरत न रखें।"

XXX

XXX

37. इसलिए, हमारे विचार में, "धर्म" शब्द को गलत नहीं समझा जाना चाहिए और न ही यह तर्क दिया जा सकता है कि जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उपयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी।इसके विपरीत, आइए हम एक

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का निर्माण करें जहां एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति भी समाज के प्रति कर्तव्यों की उचित समझ से कानून के शासन के बल पर एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति (पद, शक्ति या संपत्ति रखने वाले) पर हावी होने की उम्मीद करता है।मूल्य आधारित शिक्षा से राष्ट्र को सभी प्रकार की प्रचलित कट्टरता, दुर्भावना, हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मदद मिलने की संभावना है।

ग

डी.

नशीली दवाओं का दुरुपयोग ज्ञान को, सूरज की तरह, सभी के लिए चमकने दें और संकीर्णता, अंधेपन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

विश्वास और हठधर्मिता।इस उद्देश्य के लिए भी, यदि दुनिया भर के सभी धर्मों के बुनियादी सिद्धांतों को सीखा जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं बचेगी।"

ई.

12. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य को धार्मिक प्रथाओं के संबंध में कोई कानून बनाने से रोका नहीं गया है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (ए) के तहत अनुमेय है।अनुच्छेद 25 (2) द्वारा प्रदत्त सीमित अधिकार क्षेत्र धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने से संबंधित है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

च

“83. अनुच्छेद 25 (2) राज्य को किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 25 (2) के उपखंड (ए) द्वारा प्रदान किए गए धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है।यह अनुच्छेद 25 (1) के तहत व्यक्तियों को दिए गए धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार में और कटौती है।अनुच्छेद 25 (2) (ए) केवल धार्मिक प्रथा से जुड़े एक सीमित क्षेत्र को शामिल करता है, जिसके संबंध में एक कानून बनाया जा सकता है।अनुच्छेद 25 (2) (ए) को सावधानीपूर्वक पढ़ने से संकेत मिलता है कि यह राज्य को नहीं रोकता है।

जी.

एच.

धार्मिक प्रथा के संबंध में कोई कानून बनाने से।अनुच्छेद 25 (2) द्वारा प्रदत्त सीमित अधिकार क्षेत्र धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने से संबंधित है।

13. इस प्रकार, हालांकि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिम में उभरी, लेकिन समय के साथ इसने एक अलग रंग ले लिया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जिसमें कई धर्म, क्षेत्र, आस्था, भाषा, भोजन और कपड़े शामिल हैं, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को अलग तरह से समझा जाना चाहिए।हमारे संविधान के तहत अपनाया गया धर्मनिरपेक्षता यह है कि धर्म को राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का कोई भी अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है।इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों की प्रथाओं की रक्षा करना।धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ धार्मिक आस्था और प्रथाओं के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव न करना होगा।धर्मनिरपेक्षता का पालन धर्म के प्रति पूरी तरह से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर या एक सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है, जिसमें राज्य सभी धर्मों में विश्वास करता है और उनका सम्मान करता है, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता है।

ग

डी.

वास्तविक पृष्ठभूमि

14. वर्तमान अपीलों में चुनौती सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2022 के लिए है, जिसकी अनुवादित प्रति निम्नानुसार हैः

ई.

" कर्नाटक सरकार की कार्यवाही

विषय-राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड के बारे में।

संदर्भ लें -1) कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 2) सरकारी परिपत्रः509 एसएचएच 2013, तिथिः31- 01-2014 प्रस्तावनाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

कर्नाटक सरकार द्वारा पारित कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 (1-1995) की धारा [7 (2) (जी) (वी)] * में कहा गया है कि कर्नाटक में पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्रों को भ्रातृभाव से व्यवहार करना चाहिए, अपनी समूह पहचान को पार करना चाहिए और सामाजिक न्याय के प्रति अभिविन्यास विकसित करना चाहिए।उपरोक्त कानून की धारा 133 के तहत, सरकार के पास इस संबंध में स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश जारी करने का अधिकार है।

जी.

एच.

453

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

संदर्भ संख्या 2 पर उपर्युक्त परिपत्र इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण है।राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों ने सरकार की नीतियों के अनुरूप नीतियों को लागू करने, बजटीय आवंटन का उपयोग करने, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और अपने शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विकास समितियों का गठन किया है।यह अनुशंसा की जाती है कि स्कूल और कॉलेज इन विकास समितियों के निर्देशों का पालन करें।

स्कूलों और कॉलेजों में ऐसी किसी भी पर्यवेक्षी समिति (सरकारी संस्थानों में एस. डी. एम. सी. और अभिभावक-शिक्षक संघ और निजी संस्थानों में प्रबंधन) को एक अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने और सरकारी नियमों के अनुसार एक उपयुक्त आचार संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए।इस तरह की आचार संहिता उस विशेष स्कूल या कॉलेज से संबंधित होगी।

ग

यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को एक मानकीकृत सीखने का अनुभव हो। हालांकि, यह शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ संस्थानों में छात्र अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों में एकता और एकरूपता में बाधा बन गया है।व्यक्तिगत परिधान विकल्पों पर एक समान पोशाक संहिता से संबंधित प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष कई मामलों में सामने आया है, जिन्होंने नीचे दिए गए निर्णय दिए हैं।

डी.

ई.

1) डब्ल्यू. पी. में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 9 में (ग) No.35293/2018, तारीखः04-12-2018, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया गया हैः

च

"9. आशा रंजन और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [(2017) 4 एस. सी. सी. 397] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलन परीक्षण को स्वीकार किया जब प्रतिस्पर्धी अधिकार शामिल होते हैं और यह विचार रखा है कि व्यक्तिगत हित को व्यापक सार्वजनिक हित के अनुरूप होना चाहिए।इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी अधिकारों के टकराव का समाधान व्यक्तिगत अधिकारों को नकारकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि संस्थान और छात्रों के बीच इस तरह के संबंध रखने के लिए रहने के बड़े अधिकार को बनाए रखते हुए किया जा सकता है।"

जी.

एच.

2) फातिमा हुसैन सैयद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी और अन्य के मामले में। (ए. आई. आर. 2003 बॉम 75), ड्रेस कोड के संबंध में इसी तरह की एक घटना में, जब कार्तिक हाई स्कूल, मुंबई में एक विवाद हुआ।बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले का मूल्यांकन किया और फैसला सुनाया कि स्कूल में हेड स्कार्फ या हेड कवरिंग पहनने पर प्रतिबंध लगाना प्रिंसिपल के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं था।

3) माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के बाद, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने वी. कमलम्मा बनाम डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु और अन्य मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य संशोधित ड्रेस कोड को बरकरार रखा।इसी तरह के एक मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा श्री में विचार किया गया है।एम. वेंकटसुब्बाराव मैट्रिक्यूलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ एसोसिएशन बनाम श्री एम. वेंकटसुब्बाराव मैट्रिक्यूलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल (2004) 2 एमएलजे 653 मामला।

ग

डी.

जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपर्युक्त फैसलों में उल्लेख किया गया है, क्योंकि सिर पर स्कार्फ या सिर को ढंकने वाले कपड़े का निषेध संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है।इसके अतिरिक्त, नियम 11 के अनुसार नियम 1995 के [कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 अनुच्छेद 133 उप नियम (2) और अनुच्छेद 7 (1) (i), 7 (2) (g) (v) और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम (वर्गीकरण, विनियमन, पाठ्यक्रम अनुसूची, अन्य) के संदर्भ में, सरकार ने निम्नानुसार आदेश दिया है -

ई.

च

सरकारी आदेश संः ईपी**14** एसएचएच **2022** बेंगलुरु दिनांकः**05.02.2022**

प्रस्ताव में उजागर किए गए मुद्दों की पृष्ठभूमि में, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 उप-नियम 133 (2) [धारा 7 (1) (i), 7 (2) (g) (v) और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम (वर्गीकरण, विनियमन, पाठ्यक्रम अनुसूची, अन्य) नियम 1995 द्वारा नियम

11 * * के अनुसार दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को आधिकारिक वर्दी का पालन करना अनिवार्य है।निजी स्कूलों को अपने प्रबंधन मंडल द्वारा तय की गई वर्दी अनिवार्य करनी चाहिए।

जी.

एच.

455

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

उन कॉलेजों में जो पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनिवार्य वर्दी पहनी जानी चाहिए।यदि प्रबंधन वर्दी अनिवार्य करता है, तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हों।

कर्नाटक के राज्यपाल के आदेश से, और उनके नाम से सरकारी शिक्षा विभाग (पूर्व-विश्वविद्यालय) की संयुक्त सचिव पद्मिनी एस. एन. * को शुद्धिपत्र/परिशिष्ट दिनांक 5.2.2022 * * द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसे शुद्धिपत्र/परिशिष्ट दिनांक 5.2.2022 द्वारा डाला गया है।15. कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 9, जिसके तहत उपरोक्त सरकारी आदेश जारी किया गया है, छात्रों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा के माध्यम से एक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।लंबे शीर्षक और अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:“राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन, विकास, अनुशासन और नियंत्रण के लिए एक अधिनियम।

ग

डी.

जबकि छात्रों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से राज्य में शैक्षिक संस्थानों में स्वस्थ शैक्षिक अभ्यास, शिक्षा के मानकों में रखरखाव और सुधार और बेहतर संगठन, अनुशासन और नियंत्रण का प्रावधान करना आवश्यक माना जाता है।

ई.

च

धारा-5।कमजोर वर्गों और विकलांगों की शिक्षा को बढ़ावा देना।– राज्य सरकार विकलांगों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

9 संक्षेप में, 'अधिनियम'

एच.

धारा-7।सरकार पाठ्यक्रम आदि निर्धारित करेगी-(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किए जाएं, राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में, आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हैः -

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(ज) प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, जैसे भवन, स्वच्छता व्यवस्था, खेल का मैदान, फर्नीचर, उपकरण, पुस्तकालय, शिक्षण सहायता, प्रयोगशाला और कार्यशालाएं;

((i) ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक माने जाते हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत पाठ्यक्रम में निम्नलिखित के संबंध में योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं -

ग

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(v) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधताओं को पार करते हुए भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना;

डी.

(vi) हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना;

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना;

ई.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके।"

च

16. अधिनियम मान्यता को वापस लेने पर भी विचार करता है यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी शैक्षणिक संस्थान की शासी परिषद धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार करती है [धारा 39 (1) (बी)]; या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थान में भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने वाले किसी भी प्रचार या प्रथा को प्रोत्साहित करती है [धारा 39 (1) (सी)]।

जी.

17. विवादित सरकारी आदेश अधिनियम की धारा 133 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है, जो इस प्रकार हैः

एच.

457

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

“133. निर्देश देने के लिए सरकार की शक्तियाँ।- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा लोक शिक्षण आयुक्त या निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को उक्त आदेश में निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करने या इस अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है और निदेशक या अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपने द्वारा की गई जांच या की गई कार्यवाही के परिणाम के बारे में नियत समय पर राज्य सरकार को सूचित करेगा।

(2) राज्य सरकार किसी भी शैक्षणिक संस्थान या शिक्षण संस्थान को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसमें निहित किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसी संस्था की शासी परिषद या मालिक, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा।

ग

डी.

(3) राज्य सरकार अपने नियंत्रण वाले अधिकारियों या प्राधिकरणों को ऐसे निर्देश भी दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे निर्देशों का पालन करना ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।"

ई.

18. राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 145 के तहत इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है। उसकी उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या रखरखाव और प्रशासन के लिए प्रावधान कर सकते हैं [धारा 145 (2) (xii)]; वे उद्देश्य जिनके लिए शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों का उपयोग किया जा सकता है और वे प्रतिबंध और शर्तें जिनके अधीन ऐसे परिसरों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य [धारा 145 (2) (xx)] के लिए किया जा सकता है; और वे सभी मामले जो अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है या जिनके संबंध में अधिनियम कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है और राज्य सरकार की राय में अधिनियम [धारा 145 (2) (xL)] के उचित कार्यान्वयन के लिए एक प्रावधान आवश्यक है।

च

जी.

19. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (वर्गीकरण, विनियमन और प्रिस्क्रिप्शन)

एच.

458

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

पाठ्यक्रम आदि)नियम, 1995 10 बनाए गए थे।उक्त नियमों के नियम 11 में वर्दी, कपड़े, पाठ्य पुस्तकें आदि का प्रावधान है, जो इस प्रकार हैः“11. वर्दी, कपड़े, पाठ्य पुस्तकों आदि का प्रावधान, (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान वर्दी का अपना सेट निर्दिष्ट कर सकता है।एक बार निर्दिष्ट की गई ऐसी वर्दी को अगले पांच वर्षों की अवधि के भीतर नहीं बदला जाएगा।

(2) जब कोई शैक्षणिक संस्थान उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वर्दी को बदलने का इरादा रखता है, तो वह इस संबंध में माता-पिता को कम से कम एक साल पहले नोटिस जारी करेगा।

(3) स्कूल अधिकारियों द्वारा सुझाए गए स्कूल या दुकान आदि से वर्दी के कपड़े और पाठ्य पुस्तकें खरीदना और स्कूल अधिकारियों द्वारा सुझाए गए दर्जी के साथ वर्दी के कपड़ों की सिलाई करना, छात्र या उसके माता-पिता के विकल्प पर होगा।इस संबंध में विद्यालय अधिकारी कोई बाध्यता नहीं करेंगे।"20. नियमों के नियम 16 में जिला स्तरीय शिक्षा नियामक प्राधिकरण के गठन और कार्यों का प्रावधान है।राज्य द्वारा स्वीकृत अनुदान के उचित उपयोग और बुनियादी बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से कॉलेज बेहतरी समिति के गठन के लिए एक आदेश पारित किया गया था।ऐसी समिति की अध्यक्षता विधान सभा के सदस्य के साथ-साथ माता-पिता के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, जिनमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक क्षेत्र में रुचि रखने वाला दूसरा सदस्य, दो छात्र प्रतिनिधि जिनमें से एक छात्रा होगी, उच्च विद्यालय की उप-प्रधानाध्यापिका/वरिष्ठ शिक्षिका और महाविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता।संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होते हैं।गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स, उडुपी की ऐसी कॉलेज बेहतरी समिति ने 23.6.2018 पर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित कियाः

ग

डी.

ई.

च

“समाधान

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

4. इसके अलावा, इस वर्ष भी वही वर्दी बनाए रखने का संकल्प लिया जाता है जो पिछले वर्ष में रखी गई थी, जैसे नीले रंग की चूड़ीदार पैंट, नीले रंग के चेक टॉप के साथ सफेद रंग और कंधों पर नीले रंग की पैंट रंग की शॉल, सप्ताह के सभी छह दिनों में। साथ ही, दानदाताओं में से गरीब छात्राओं को वर्दी प्रदान करने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

जी.

10 संक्षेप में, 'नियम' ए

एच.

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

यशपाल सुवर्णा और प्रिंसिपल को दुकानों में वर्दी की उपलब्धता की जांच करने के बाद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था।"21. उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 5.2.2022 परिपत्र को चुनौती विभिन्न आधारों पर असफल रही, जिन्हें यहाँ निकालना आवश्यक नहीं है।

22. श्री संजय हेगड़े, श्री देवदत्त कामत, श्री राजीव धवन, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सुश्री जयना कोठारी, श्री सलमान खुर्शीद, श्री ए. एम. डार, श्री कपिल सिब्बल, श्री कॉलिन गोंजाल्विस, श्री आदित्य सोंधी, श्री यूसुफ मुच्छाला, श्री हुज़ेफा अहमदी, श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रशांत भूषण, सुश्री कीर्ति सिंह, श्री रिशद अहमद चौधरी, श्री शोएब आलम, श्री रहमतुल्ला कोतवाल, सुश्री तुलसी के. राज, मोहम्मद।निजामुद्दीन पाशा, विद्वान वकीलों ने अपीलार्थियों की ओर से इस मामले में न्यायालय की सहायता की है। जबकि, श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, श्री के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री प्रभुलिंग नवदगी, कर्नाटक राज्य के महाधिवक्ता, श्री आर. वेंकटरमानी, सुश्री वी. मोहना, श्री डी. एस. नायडू, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया।तर्कों में विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है जिन पर आगे उचित चरणों में विचार किया जाएगा।23. हमने पक्षों के लिए विद्वान परामर्शों को विस्तार से सुना है।मैं पाता हूँ कि वर्तमान अपीलों में निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

ग

डी.

ई.

“(i) क्या अपीलों की सुनवाई कांतारू के साथ की जानी चाहिए।

राजीवरु (धर्म का अधिकार, 9 जे में) और/या

संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में वर्तमान अपीलों को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए?

च

((ii) क्या राज्य सरकार कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा वर्दी पहनने के अपने निर्णय को लागू करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकती है और क्या सरकारी आदेश जहां तक वह एक कॉलेज विकास समिति को प्रतिबंध/निषेध या अन्यथा हेडस्कार्फ़ पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, वह अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन है?((iii) अनुच्छेद 25 के तहत 'विवेक' और 'धर्म' की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा और दायरा क्या है?

जी.

((iv) संविधान के अनुच्छेद **25** के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का दायरा और दायरा क्या है**?**

एच.

(v) क्या अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार पारस्परिक रूप से अनन्य हैं या वे एक दूसरे के पूरक हैं; और क्या सरकारी आदेश अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14

के उद्देश्यों के लिए तर्कसंगतता के निषेधाज्ञा को पूरा नहीं करता है?(vi) क्या सरकारी आदेश प्रस्तावना के तहत भाईचारे और गरिमा के संवैधानिक वादे के साथ-साथ अनुच्छेद 51-ए उपखंड (ई) और (एफ) के तहत गिने गए मौलिक कर्तव्यों को बाधित करता है?

(vii) क्या, यदि हिजाब पहनने को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाता है, तो छात्र अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में हिजाब पहनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है?

ग

(viii) क्या संवैधानिक योजना में एक छात्र-नागरिक है

अनुच्छेदों के तहत अपने मौलिक अधिकारों का समर्पण करने की अपेक्षा

19, 21 और 25 किसी राज्य के संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में?

डी.

(ix) क्या संवैधानिक योजना में, राज्य इसके लिए बाध्य है

अपने नागरिकों के लिए 'उचित आवास' सुनिश्चित करें**?**

(x) क्या सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21,21 ए, 39 (एफ), 41,46 और 51 ए के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के वैध राज्य हित के विपरीत है?(xi) क्या सरकारी आदेश न तो शिक्षा तक कोई न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करता है, न ही धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता को पूरा करता है, और न ही कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के उद्देश्य के लिए सही है?"

ई.

प्रश्न **(i)-**क्या अपीलों की सुनवाई इसके साथ की जानी चाहिए।

च

कांतारू राजीवरु (धर्म का अधिकार, री-9 जे में) और/या

संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में वर्तमान अपीलों को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

24. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का प्रारंभिक निवेदन यह है कि वर्तमान मामले को इस अदालत के आदेश को देखते हुए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए जिसे कांतारू राजीवरु (सबरीमाला) के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

जी.

मंदिर समीक्षा-5 जे.) बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। 11.

इस तरह के समर्पण के लिए उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि यह तय किया जाना चाहिए कि क्या अनिवार्य रूप से धार्मिक माना जाता है, जो आवश्यक है

11 (2020) 2 एससीसी 1 ए

एच.

461

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

धर्म और धर्म का अभिन्न अंग।तर्क यह था कि "धर्म" किसी के "विश्वास" को व्यक्त करने का एक साधन है।इस न्यायालय की वृहद पीठ ने एक आदेश 12 में कानून के प्रश्नों को तैयार किया।हालांकि, संदर्भ के लिए दर्ज किए गए 13 कारणों में कहा गया है कि "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा" का दायरा है।उक्त मामले में निर्दिष्ट प्रश्न इस बात से संबंधित हैं कि न्यायालय इस मुद्दे की जांच किस हद तक कर सकता है कि क्या कोई विशेष प्रथा धर्म के अभिन्न, अनिवार्य हिस्से के रूप में योग्य होगी।

25. यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में इसे संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

ग

26. यह ध्यान दिया जाता है कि कांतारू राजीवरु (धर्म का अधिकार, री-9 जे में) में समीक्षा बहुत व्यापक प्रश्नों पर विचार करने के लिए है।यह तर्क कि मामले को ऐसे संदर्भित मामलों के साथ सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए, विचार करने योग्य नहीं है।वृहद पीठ को भेजे गए प्रश्न आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित हैं। लेकिन उक्त प्रश्न की वर्तमान मामले में जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ मुद्दा यह है कि क्या एक धार्मिक प्रथा, जो एक आवश्यक धार्मिक प्रथा हो सकती है, को एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान में राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है।इसलिए, मुझे वर्तमान अपीलों को कांतारू राजीवरु के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं लगता है।

डी.

ई.

27. यह तर्क कि वर्तमान अपीलों में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और इस प्रकार इसे संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संदर्भ में पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए, मान्य नहीं है।रिलायंस को 9-न्यायाधीशों की पीठ पर रखा गया है।

च

के. एस. पुट्टास्वामी और ए. एन. आर. बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णयभारत संघ और

ओआरएस। 14, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब संविधान की व्याख्या के बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह न्यायालय और अनुच्छेद 145 (3) के तहत केवल यही न्यायालय है जो यह तय करता है कि संविधान की व्याख्या क्या होगी, और इस उद्देश्य के लिए, संविधान इस कार्य को इस न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों को सौंपता है"।

जी.

12 (2020) 3 एससीसी 52 13 (2020) 9 एससीसी 121 14 (2017) 10 एससीसी 1

एच.

28. प्रचार किए गए प्रस्ताव को लेकर कोई विवाद नहीं है।हालाँकि वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या छात्र एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को लागू कर सकते हैं।इस प्रकार, उठाए गए मुद्दे केवल इस कारण से संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बन जाते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया अधिकार संविधान के तहत प्रदान किया गया है।इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है या उसी के साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

कांतारू राजीवरु।

प्रश्न (ii)-क्या राज्य सरकार कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा वर्दी पहनने को लागू करने के अपने निर्णय को प्रत्यायोजित कर सकती है और क्या सरकारी आदेश जहां तक वह कॉलेज विकास समिति को प्रतिबंध/निषेध या अन्यथा हिजाब पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, वह अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन है?

ग

29. यह तर्क अधिनियम की धारा 143 के संदर्भ में दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकार अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति को सौंप सकती है, या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे कार्यालय/प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क है कि 31.1.2014 दिनांकित अधिसूचना एक गैर-सांविधिक प्राधिकरण के पक्ष में आवश्यक राज्य कार्यों को सौंपने के लिए है। इसलिए, ऐसी अधिसूचना अधिनियम की धारा 143 के अधिदेश का उल्लंघन करती है। अधिनियम की धारा 143 इस प्रकार हैः

डी.

ई.

"143. प्रतिनिधिमण्डल।– राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई भी शक्तियों को ऐसे मामले के संबंध में प्रत्यायोजित कर सकती है और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।"

च

30. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए, राज्य सरकार अपना अधिकार कॉलेज विकास समिति को सौंप नहीं सकती है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर नहीं है क्योंकि यह राज्य द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है।आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 31.1.2014 पर जारी परिपत्र इस प्रकार हैः

जी.

एच.

463

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

"कर्नाटक सरकार

नहीं। ईडी 580 एसएचएच 2013

शिक्षा विभाग

मल्टीस्टोर बिल्डिंग

बैंगलोर दिनांकित 31-01-2014 CIRCULAR

शिक्षा विभाग राज्य में प्रथम और द्वितीय पी. यू. सी. शिक्षा प्रदान कर रहा है।पी. यू. सी. शिक्षा छात्र के जीवन का मुख्य चरण है।सरकार और विभाग के निर्देश के अनुसार और अनुदान का उपयोग करने के साथ-साथ शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने

और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, हमें एक कॉलेज विकास समिति बनाने और नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता हैः

ग

डी.

ई.

च

जी.

एस. डी./31-01-2014 (एस. एच. कुरियावर) सरकारी शिक्षा विभाग (पी. यू. शिक्षा) के अवर सचिव।"

एच.

31. इसके अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने भी जोरदार तर्क दिया है कि सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2022 कुछ निर्णयों को संदर्भित करता है जो हिजाब पहनने के मुद्दे से संबंधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिजाब या सिर को ढंकने वाले कपड़े का उपयोग अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है।यह माना जाता है कि यद्यपि आदेश का सक्रिय भाग प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक-तटस्थ प्रतीत होता है, लेकिन यह प्रभावी रूप से एक विशेष समुदाय को लक्षित करता है।यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उक्त सरकारी आदेश को बरकरार रखने के कारणों को हटा दिया है, भले ही उसमें दर्ज कारण हिजाब के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।इसलिए, शुरुआत में, राज्य को इस तरह का परिपत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र साबित करना चाहिए।

ग

32. वैकल्पिक तर्क यह है कि कॉलेज विकास समिति, एक गैर-सांविधिक प्राधिकरण, संविधान के भाग III के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।यह तर्क दिया गया कि वह कानून जो अनुच्छेद 19 (1) (ए), अनुच्छेद 25 (2), या संविधान के भाग III के भीतर आने वाले किसी अन्य अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, केवल सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से हो सकता है।श्री शोएब आलम ने इस न्यायालय के फैसलों को स्टेट ऑफ स्टेट के रूप में संदर्भित किया

डी.

मध्य प्रदेश और अन्र. वी.ठाकुर भरत सिंह 15, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 16, बिशंभर दयाल चंद्र मोहन और अन्य बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 17 और इस न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित एक आदेश को भारतीय फार्मेसी परिषद बनाम राजीव कॉलेज के रूप में रिपोर्ट किया गया

ई.

फार्मेसी और अन्य। 18 इस तरह के विवाद का समर्थन करना।हालाँकि, श्री दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि संविधान के भाग III में अधिकारों को सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए क़ानून द्वारा प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सकता है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 13 (2) और (3) के तहत परिभाषित कोई भी कानून भी शामिल है।संविधान के अनुच्छेद 13 (2) और (3) वर्तमान प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैः

च

"13. मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून।—

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी।

जी.

15 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1170 16 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75 17 (1982) 1 एस. सी. सी. 39

18 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1224 ए

एच.

465

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-(क) "विधि" में कोई अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में विधि का बल रखता है।

33. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए उक्त तर्क में मुझे कोई योग्यता नहीं मिलती है।महाविद्यालय विकास समिति की परिकल्पना अनुदान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक आंतरिक तंत्र के रूप में की गई है।इस तरह के निर्देश अधिनियम की धारा 133 और 145 की उप-धारा (3) से संबंधित हैं। किसी भी मामले में, महाविद्यालय विकास समिति का गठन अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ टकराव में नहीं है। उक्त परिपत्र कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों का पूरक था और इसके सभी या किसी भी प्रावधान का स्थान नहीं लिया गया था।

ग

34. सरकारी आदेश दो भागों में है।पहला भाग प्रस्तावना है जो उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश की पृष्ठभूमि प्रदान करती है।दूसरे भाग में, यानी आदेश के संचालन भाग में ही सरकारी आदेश संख्या और तिथि होती है।आदेश में कहा गया है कि कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्दी पहनी जानी चाहिए।हालाँकि अपीलकर्ताओं ने आदेश को उनकी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के लिए समझा है।

डी.

ई.

35. अनुच्छेद 73 के तहत कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों में फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है या अनुच्छेद 162 के तहत उन मामलों के संबंध में जहां राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।19 सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका द्वारा अनुच्छेद 19,21,25 और 31 ए जैसे भाग III के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के संबंध में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

च

36. इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि किसी भी क़ानून या वैधानिक नियम के अभाव में, लेकिन कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकता है।हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि संविधान के भाग III के तहत प्रतिबंध केवल एक वैधानिक कानून के माध्यम से लगाए जा सकते हैं, न कि एक कार्यकारी शक्ति के माध्यम से।

जी.

19 राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1955 एस. सी 549

एच.

37. अब, उपरोक्त विवाद के लिए अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर आते हुए; अनवर अली सरकार में, यह न्यायालय पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 3 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की दोषसिद्धि पर विचार कर रहा था, जिसे पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।यह अधिनियम का प्रावधान था जिसे भेदभावपूर्ण होने के कारण अलग रखा गया था।वास्तव में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि "

अनुच्छेद 13 में "कानून" को परिभाषित करके (जो किसी भी कानून को अमान्य करता है जो भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है) अन्य बातों के अलावा, किसी भी "आदेश" या "अधिसूचना" को शामिल करते हुए स्पष्ट किया जाता है, ताकि कार्यकारी आदेश या अधिसूचनाएं भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न करें।इस प्रकार अनुच्छेदों की त्रयी भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य में विधायी और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में राज्य की कार्रवाई में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करती है।इस प्रकार,

ग

अतः उक्त निर्णय उठाए गए तर्क के लिए सहायक नहीं है।38. ठाकुर भरत सिंह के मामले में, इस न्यायालय ने ठाकुर भरत सिंह बनाम एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया। 20.उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) (बी) को रद्द कर दिया जब उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता को रायपुर जिले में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसे झाबुआ जिले की नगरपालिका सीमा के भीतर रहने का निर्देश दिया गया था और उसे दैनिक रूप से पुलिस थाना अधिकारी, झाबुआ को रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया गया था।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

ई.

“पूर्वगामी कारणों से, हमारा निष्कर्ष है कि अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (ए) और (सी) वैध हैं, लेकिन खंड (बी) का संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) का उल्लंघन करना अमान्य है।चूंकि खंड (बी) अमान्य है, अपीलार्थी भरतसिंह के खिलाफ उस खंड के तहत उसे झाबुआ में रहने के लिए कहा गया निर्देश स्पष्ट रूप से अवैध था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।उस निर्देश को रद्द करने पर, आगे का निर्देश कि भरतसिंह को पुलिस स्टेशन अधिकारी, झाबुआ

को प्रतिदिन रिपोर्ट करके अपनी गतिविधियों को सूचित करना चाहिए, जीवित नहीं रह सकता है।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरत सिंह के खिलाफ दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपनी गतिविधियों को सूचित करें और खुद को रोजाना पुलिस स्टेशन अधिकारी, झाबुआ को रिपोर्ट करें, हालांकि उन्होंने ऐसा इस गलत दृष्टिकोण पर किया कि धारा 3 (1) का खंड (सी) अटूट था।

च

जी.

20 आकाशवाणी 1964 एम. पी. 175 ए.

एच.

467

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

खंड (ख) के साथ बुना गया और अमान्य था।परिणाम यह है कि ये दोनों अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।मामले की परिस्थितियों में, हम पक्षों को दोनों अपीलों का अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।"

39. उक्त निर्णय के खिलाफ एक अपील इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

“7. इसलिए हमारा विचार है कि 1959 के मध्य प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 25 की धारा 3 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा दिया गया आदेश अमान्य था और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद प्रतिवादी के पूर्वाग्रह के लिए किए गए कार्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत अदालत की प्रक्रिया से कोई प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आदेश किसी भी वैध कानून द्वारा समर्थित नहीं था।"

ग

40. उपरोक्त निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के संबंध में है, जिसका प्रावधान अमान्य पाया गया था। उपरोक्त मामले में उठाए गए मुद्दे की वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है।

डी.

41. बिशंभर दयाल चंद्र मोहन में, राज्य सरकार

उन्होंने तर्क दिया कि 31 मार्च, 1981 का विवादित टेलीप्रिंटर संदेश यू. पी. खाद्यान्न विक्रेता (भंडारण पर अनुज्ञप्ति और प्रतिबंध) आदेश, 1976 और उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (खरीद और व्यापार विनियमन) आदेश, 1978 के प्रावधानों के उचित पालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी एक कार्यकारी निर्देश की प्रकृति का था।यह राज्य का रुख था कि कोई भी व्यक्ति विक्रेता के रूप में या कमीशन एजेंट के रूप में खाद्यान्न का व्यवसाय नहीं कर सकता है, सिवाय दोनों आदेशों के तहत उस ओर से जारी वैध लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार।इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

च

“33. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत, एक नागरिक को किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार है और इस निरंकुश अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध खंड (6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने वाली कानून बनाने का राज्य का अधिकार है।

जी.

41. यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या गेहूं की जब्ती कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित करने के बराबर है।

एच.

अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।राज्य सरकार अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का सहारा लेते हुए किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती है।इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल कानून के अधिकार द्वारा किया जा सकता है न कि केवल कार्यकारी आदेश या आदेश द्वारा।अनुच्छेद 162, जैसा कि प्रारंभिक शब्दों से स्पष्ट है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।इसलिए, यह अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 300-ए के अधीन है। अनुच्छेद 300-ए के संदर्भ में "कानून" शब्द का अर्थ संसद या राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम, एक नियम या एक वैधानिक आदेश होना चाहिए, जिसमें कानून का बल हो, जो सकारात्मक हो या राज्य द्वारा बनाया गया कानून हो।

ग

42. विक्रेताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।उपरोक्त मामले में, प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश द्वारा लगाया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में एक उचित प्रतिबंध पाया गया था।यहां तक कि उक्त निर्णय भी अपीलार्थियों की सहायता नहीं करता है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

डी.

43. इसके अलावा, भारतीय फार्मेसी परिषद के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के हालिया फैसले पर निर्भरता निराधार है क्योंकि इसकी वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है।फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए भारतीय फार्मेसी परिषद ने पांच साल की अवधि के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने का संकल्प लिया।अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि फार्मेसी अधिनियम की धारा 3,10 और 12 विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए ऐसी शक्ति में निषेध करने की शक्ति भी शामिल होगी।इस न्यायालय ने इस तरह के तर्क को अस्वीकार कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

"55. चूंकि हमने यह माना है कि अपीलकर्ता-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 के प्रस्ताव/संचार, जो कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें अन्य मुद्दों पर अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक नहीं लगता है।हम पाते हैं कि अपीलार्थी-पी. सी. आई. की केंद्रीय परिषद के 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 के प्रस्ताव/संचार इस छोटे से आधार पर निरस्त किए जाने योग्य हैं।"

च

जी.

44. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी थी।

एच.

इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकार को प्रतिबंधित करना।हालाँकि, वही एक प्रस्ताव के आधार पर था जो किसी भी क़ानून द्वारा समर्थित नहीं था।इसलिए, इस न्यायालय का उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

45. इसके अलावा, यह न्यायालय श्री द्वारका नाथ तिवारी बनाम बिहार राज्य 21 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 182 पर विचार कर रहा था।न्यायालय ने पाया कि संहिता का अनुच्छेद 182 कानून के तहत दी गई किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उन संपत्तियों में उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है जो रिट याचिका का विषय थे।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"13. इसलिए, ऊपर निकाली गई प्रस्तावना के हिस्से से यह स्पष्ट है कि संहिता के अनुच्छेद 182 में प्रशासनिक आदेश या नियम से बड़ी कोई मंजूरी नहीं है, और यह किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण पर आधारित नहीं है जो इसे कानून का बल दे सके।स्वाभाविक रूप से, इसलिए, विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने अपनी सामान्य निष्पक्षता के साथ स्वीकार किया कि जिस लेख पर उत्तरदाताओं द्वारा कानून की शक्ति होने के रूप में भरोसा किया गया है, उसका ऐसा कोई बल नहीं है, और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त संपत्तियों में उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है।"

ग

डी.

46. "विधि, जैसा कि अनुच्छेद 19 (2) और 25 (2) के तहत विचार किया गया है, संविधान के भाग III के अंतर्गत आता है। इसलिए, अनुच्छेद 13 (3) के तहत परिभाषित कानून में भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने के लिए कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल होगा।इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुच्छेद 13 (3) (ए) के साथ पठित अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ के भीतर एक कानून होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 25 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 25 (2) के तहत शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

ई.

च

47. सरकारी आदेश अधिनियम की धारा 133 के तहत कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों और संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।उक्त सरकारी आदेश अधिनियम के किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं है।इसलिए, कार्यपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में थी कि छात्र कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी में आएं।

जी.

48. इस प्रकार गठित कॉलेज विकास समिति में विधान सभा के सदस्य, छात्रों के प्रतिनिधि,

21 ए. आई. आर 1959 एस. सी 249

एच.

संकाय सदस्य आदि। इसलिए, ऐसा प्राधिकरण छात्रों और शिक्षकों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसमें विधान सभा के सदस्य और कॉलेज के प्राचार्य सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।ऐसी समिति को अधिनियम की धारा 143 के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थापित ऐसा प्राधिकरण क़ानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में, राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए महाविद्यालय विकास समिति का गठन कर सकती है क्योंकि ऐसी समिति कानून के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करती है।

49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि राज्य सरकार के पास अधिनियम की धारा 143 के संदर्भ में दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा एक महाविद्यालय विकास समिति का गठन करने की शक्ति है। राज्य सरकार राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे कार्यालय/प्राधिकरण द्वारा प्रयोग करने की अपनी शक्ति प्रदान कर सकती है।यह ध्यान दिया जाता है कि अधिनियम के तहत 'प्राधिकरण' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम द्वारा अनुध्यात प्राधिकारी एक गैर-सांविधिक प्राधिकारी हो सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अधिनियम की धारा 143 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हो सकता है।

ग

डी.

50. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कार्यकारी शक्तियों का उपयोग वैधानिक नियमों के पूरक के रूप में किया जा सकता है।इस न्यायालय ने एक निर्णय में बताया कि

संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। 22 ने माना कि यह सच है

ई.

कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरा कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों।इस न्यायालय ने एक निर्णय में भारत संघ के रूप में रिपोर्ट किया और

च

एन. आर. वी.अशोक कुमार अग्रवाल 23 निम्नानुसार आयोजितः

“59. ऊपर निर्धारित कानून का लगातार पालन किया गया है और यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई प्राधिकरण वैधानिक नियमों के उल्लंघन में आदेश/कार्यालय ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है।हालांकि, निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।इस तरह के निर्देश वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने चाहिए।(भारत संघ बनाम मजजी जंगमय्या [(1977) 1 एस. सी. सी. 606:1977

जी.

22 आकाशवाणी 1967 एससी 1910 23 (2013) 16 एससीसी 147 ए

एच.

471

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 191], पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1987) 3 एस. सी. सी. 622:1987 एससीसी (एल एंड एस) 310:(1987) 4 ए. टी. सी. 272], पलुरू रामकृष्णैया बनाम भारत संघ [(1989) 2 एस. सी. सी. 541:1989 एससीसी (एल एंड एस) 375:(1989) 10 एटीसी 378:ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 166], सी.

रंगस्वामीया बनाम कर्नाटक लोकायुक्ता [(1998) 6 एस. सी. सी. 66:1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1448] और एयर लाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम नागरिक उड्डयन महानिदेशक [(2011) 5 एस. सी. सी.

435 :AIR 2011 SC 2220]।)"

51. अधिनियम की प्रस्तावना का उद्देश्य छात्रों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा के माध्यम से एक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना है।

ग

52. अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत पाठ्यक्रम धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे।उक्त प्रावधान काफी हद तक 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए संविधान के भाग 4-ए में गिने गए मौलिक कर्तव्यों के साथ समान है, जिसका अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।

डी.

ई.

53. उक्त प्रावधानों से पता चलता है कि क़ानून का अधिदेश अनुभागीय विविधताओं को त्यागना, मानवतावाद विकसित करना और वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना है।यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण कि कुछ छात्र अपनी धार्मिक मान्यताओं को राज्य द्वारा संचालित धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों में ले जाएंगे, क़ानून के जनादेश के विपरीत होगा।सभी छात्रों को स्कूल के अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है।शिक्षा प्रदान करते समय एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कई कदमों में से एक है बिना किसी जोड़ या घटाव के वर्दी पहनना।वर्दी में कोई भी संशोधन वर्दी नहीं रहेगा, जो नियम 11 के तहत निर्धारित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और जैसा कि कॉलेज विकास समिति द्वारा अनिवार्य है।

च

जी.

54. श्री दुष्यंत दवे ने एक उद्धरण का उल्लेख किया जो पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका से प्रतीत होता है जिसमें वर्ष 2021-2022 के लिए दिशानिर्देश हैं।यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के दिशानिर्देशों में माना गया है कि वर्दी अनिवार्य नहीं है

एच.

और यह कि कुछ कॉलेज प्राचार्यों और प्रबंधन समिति ने वर्दी को अनिवार्य रूप से लागू किया है, जो अवैध है।संबंधित खंड निम्नानुसार हैः

"सरकारी/विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा विभाग/शिक्षा अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय पूर्व महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वर्दी अनिवार्य नहीं है। लेकिन कॉलेज के कुछ प्राचार्यों और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने वर्दी को अनिवार्य बना दिया है जो अवैध है।उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।"

55. उक्त तर्क के संबंध में, मैंने पाया कि छात्र कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी का पालन कर रहे थे।ऐसा किसी भी छात्र के मामले में नहीं है कि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए वर्दी नहीं पहनी थी।एकमात्र दावा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान हिजाब पहनने के अधिकार के संबंध में किया गया था, जो विवादग्रस्त वर्ष था और जिससे दिशानिर्देश संबंधित थे।अधिनियम की धारा 2 (30) के संदर्भ में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का अर्थ है अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एक शैक्षणिक संस्थान और इसमें वह भी शामिल है जिसे इसके तहत मान्यता प्राप्त माना जाता है।अधिनियम की धारा 36 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता पर विचार किया जाता है, जबकि राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और संचालित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों को अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान माना जाएगा। छात्र वर्दी पहनने के जनादेश पर विवाद नहीं कर रहे हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि दिशानिर्देशों को नियमों के नियम 11 पर विचार किए बिना विवरणिका का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें यह विचार किया गया है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी वर्दी का सेट निर्दिष्ट कर सकता है।इसलिए, दिशा-निर्देश अधिनियम की धारा 145 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए वैधानिक नियम 11 के विपरीत हैं। इस प्रकार, वर्दी, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में निर्धारित की गई है, इसके विपरीत दिशानिर्देश गैर-स्थायी हैं और किसी भी मामले में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान इसका पालन नहीं किया गया था।56. सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2022 में विचार किया गया है कि निर्धारित वर्दी का पालन किया जाना चाहिए।यह अनिवार्य रूप से नग्न आंखों से दिखाई देने वाले सभी धार्मिक प्रतीकों को बाहर करता है।यह तर्क कि छात्र रुद्राक्ष या क्रॉस पहनते हैं, केवल इस तरह से उठाए गए तर्क से निपटने के लिए उल्लेख किया गया है।छात्रों द्वारा अपनी शर्ट के नीचे पहनी गई किसी भी चीज़ को जारी किए गए सरकारी आदेश के संदर्भ में आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

473

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

57. कानून के उपरोक्त उच्चारण को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि कॉलेज विकास समिति का गठन अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसी समिति द्वारा वर्दी का विनियमन इसके दायरे से बाहर है।

प्रश्न **(iii)-**अनुच्छेद **25** के तहत 'विवेक' और 'धर्म' की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा और दायरा क्या है**?**

58. शुरुआत में, यह उल्लेख करना उचित है कि संविधान 'धर्म' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, हालांकि इसका उपयोग अनुच्छेद 15,16,25,26,27,28 और 30 में किया गया है।वर्तमान अपीलों के प्रयोजन के लिए विचाराधीन लेख इस प्रकार हैं:

“14. कानून के समक्ष समानता।—राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

ग

15. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।—(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

डी.

(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा -

((क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

ई.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(ख) एक्सएक्स

19. बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।— (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा -

च

(क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एच.

25. विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और प्रचार।—(1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का समान रूप से अधिकार है।

(2) इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी -

(क) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है;

ग

((ख) समाज कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलने का प्रावधान करना।"

59. श्री हुज़ेफा अहमदी और श्री दुष्यंत दवे ने भारत के लोगों के सामने संविधान को प्रस्तुत करने के लिए विचार प्रक्रिया को लाने के लिए संविधान सभा की बहस की कार्यवाही से उद्धृत किया है।श्री अहमदी संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर के भाषण 25.11.1949 (संविधान सभा बहस, खंड XI, पृष्ठ 979) पर निम्नलिखित प्रभाव पर निर्भर करते हैंः“तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न रहें।हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए।राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि इसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो।सामाजिक क्या करता है?

डी.

ई.

लोकतंत्र का मतलब?इसका अर्थ है जीवन का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है।स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।वे एक संघ बनाते हैं

च

त्रिमूर्ति इस अर्थ में कि एक को दूसरे से तलाक देना हारना है

लोकतंत्र का उद्देश्य।स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है।न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है।इसके बिना

जी.

समानता, स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी।स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी।स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति को मार देगी।

पहल।बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बन सकती थी।"

एच.

475

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

60. श्री दवे ने माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की दिनांकित रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया थाः“अल्पसंख्यकों को जल्दबाजी में किसी विशेष पद के लिए प्रतिबद्ध

करना हमारा इरादा नहीं है।यदि वे वास्तव में ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस देश की बदली हुई परिस्थितियों में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वास्तविक और वास्तविक नींव रखना सभी के हित में है, तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुमत की सद्भावना और निष्पक्षता की भावना पर भरोसा करने और उन पर विश्वास करने से बेहतर कुछ नहीं है।इसी तरह यह भी हमारे लिए है जो बहुमत में हैं कि वे इस बारे में सोचें कि अल्पसंख्यक क्या महसूस करते हैं, और हम उनकी स्थिति में कैसे हैं।"

ग

61. संविधान सभा की बहस, खंड V, दिनांक 27.8.1947 में, यह निम्नानुसार राय दी गई थीः

"अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कारण भी संविधान के मसौदे की आलोचना की जाती है।इसमें मसौदा समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं है।यह संविधान सभा के निर्णयों का पालन करता है।अपने लिए बोलते हुए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों को इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने में बुद्धिमानी से काम किया है जैसा कि उसने किया है।इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत रास्ता अपनाया है।अल्पसंख्यकों के अस्तित्व से इनकार करना बहुमत के लिए गलत है।अल्पसंख्यकों का खुद को कायम रखना भी उतना ही गलत है।एक ऐसा समाधान खोजना चाहिए जो दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करे।इसके अस्तित्व को पहचानना चाहिए

डी.

ई.

अल्पसंख्यकों के साथ शुरू करने के लिए।यह ऐसा भी होना चाहिए कि यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों को किसी दिन एक में विलय करने में सक्षम बनाएगा।....."

च

62. संविधान सभा की तारीख 6.12.1948 की बहस में, अनुच्छेद 19 के मसौदे पर विचार करते हुए, जो अब अनुच्छेद 25 है, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किएः

"जैसा कि मैं इसे समझता हूं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि राज्य किसी विशेष प्रकार की धार्मिक आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।इसका सार यह है कि राज्य में किसी भी विशेष धर्म को किसी भी तरह का राज्य संरक्षण नहीं मिलेगा।राज्य किसी भी विशेष धर्म को दूसरों के बहिष्कार या वरीयता में स्थापित, संरक्षण या संपन्न नहीं करने जा रहा है और यह कि राज्य में किसी भी नागरिक के साथ कोई तरजीही व्यवहार नहीं होगा।

जी.

एच.

या केवल इस आधार पर भेदभाव किया जाएगा कि वह धर्म के एक विशेष रूप का दावा करता है।दूसरे शब्दों में, राज्य के मामलों में किसी विशेष धर्म को मानने पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।मैं इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का सार मानता हूं।"

63. श्री कामत ने 3 दिसंबर, 1948 को श्री तजामुल हुसैन द्वारा प्रस्तावित संशोधन का भी उल्लेख किया, जिसमें निम्नलिखित प्रभाव में संशोधन का प्रस्ताव किया गया थाः

"किसी भी व्यक्ति के पास कोई दृश्य चिन्ह या चिह्न या नाम नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई पोशाक नहीं पहनेगा जिससे उसके धर्म को मान्यता दी जा सके।"

ग

64. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए नागरिकों को दिखाई देने वाले संकेत चिह्न या नाम या पोशाक रखने का अधिकार है ताकि उनके धर्म को मान्यता दी जा सके।हालांकि संशोधन पेश नहीं किया गया था, लेकिन यह तथ्य कि संविधान सभा में इस तरह की चर्चा हुई थी, यह दर्शाता है कि संविधान सभा को भारत के लोगों द्वारा अलग-अलग कपड़े पहनने के बारे में पता था, जिसे सदस्य नहीं पहनने का सुझाव दे रहा था।चूँकि संविधान नागरिकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में चुप है, इसलिए संविधान सभा के किसी सदस्य द्वारा दिखाई गई चिंता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।वास्तव में, श्री तजामुल हुसैन ने आगे एक तर्क दिया:

डी.

ई.

" श्री तजामुल हुसैन:मैं यह बताना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य और उसके भगवान के बीच एक निजी मामला है। दुनिया में किसी और के साथ इसकी कोई चिंता नहीं है।दूसरों का धर्म क्या है, यह भी मेरी चिंता नहीं है।फिर ऐसे संकेत क्यों दिखाई देते हैं जिनके द्वारा किसी के धर्म को पहचाना जा सकता है?महोदय, आप पाएंगे कि सभी सभ्य देशों में-और सभ्य देशों में आजकल यूरोप और अमेरिका के देश हैं-ऐसा कोई संकेत या निशान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को पहचाना जा सके कि वह किस धर्म को मानता है।

च

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

जी.

इसलिए मुझे ये चीजें नहीं चाहिए।मुझे पता है कि मैं वर्तमान समय से 100 साल आगे हूं।लेकिन फिर भी, मैं अपनी बात रखूंगा।

इंग्लैंड में सभ्य देशों में एक समय था जब पोशाक में कोई एकरूपता नहीं थी।इस देश में आपको हर तरह के कपड़े मिलते हैं।

एच.

477

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

आपको धोती मिलती है, आपको पायजामा मिलता है, आपको कुर्ते मिलते हैं, आपको शर्ट मिलती है, और फिर, कोई शर्ट नहीं, कोई धोती नहीं, नग्नता, सभी प्रकार की चीजें।एक समय इंग्लैंड में भी यही बात थी।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

श्री तजामुल हुसैन:मौलाना के व्यवधान के लिए मुझे खेद है।जब पूरा देश मेरे संकल्प को स्वीकार करेगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा।तब, वह यह पता नहीं लगा पाएगा कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ।

अब, श्रीमान, मैं पोशाक की बात कर रहा था।एक समय इंग्लैंड था जब एकरूपता नहीं थी, लेकिन माननीय कानून मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि वास्तव में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके द्वारा पोशाक की एकरूपता थी और अब इंग्लैंड और पूरे यूरोप और अमेरिका में पोशाक की एकरूपता है।हम एक राष्ट्र हैं।आइए हम सभी एक तरह की पोशाक पहनें; एक तरह का नाम; और कोई दृश्य संकेत नहीं।अंत में, मैं कहता हूं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने जा रहे हैं।एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते, हमें अपनी पोशाक से पहचाना नहीं जाना चाहिए।यदि आपके पास एक विशेष प्रकार की पोशाक है, तो आप तुरंत जानते हैं कि हिंदू या मुसलमान भी ऐसा ही है।इस चीज को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।इन शब्दों के साथ, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।(संशोधन 589 और 583 को पेश नहीं किया गया था।

ग

डी.

ई.

65. दूसरी ओर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने संविधान सभा खंड में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के भाषण का उल्लेख किया। VII,पी. 781, जो इस प्रकार हैः

“इस देश में धार्मिक अवधारणाएं इतनी विशाल हैं कि वे जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पहलू को शामिल करती हैं।यह कहने में कुछ भी असाधारण नहीं है कि हमें धर्म की परिभाषा को इस तरह से सीमित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम इसे मान्यताओं और ऐसे अनुष्ठानों से परे न बढ़ाएं जो अनिवार्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हों।"

च

66. संविधान सभा की बहसों के संबंध में, ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 24 मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय केवल मुख्य रूप से अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों में विधायिका के वस्तुनिष्ठ इरादे की खोज कर सकता है, जो ऐसी ऐतिहासिक सामग्री जैसे कि वैधानिक समितियों की रिपोर्टों द्वारा सहायता प्राप्त है।न्यायालय ने दिए गए भाषणों को कोई महत्व नहीं दिया

जी.

24 आकाशवाणी 1950 एससी 27

एच.

संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 15 (अब अनुच्छेद 21) पर बहस के दौरान।परिणाम यह प्रतीत होता है कि यद्यपि किसी विशेष खंड के अर्थ का अर्थ निकालने के लिए विधानसभा सदस्यों की व्यक्तिगत राय को ध्यान में रखना उचित नहीं है, जब कोई प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई निश्चित वाक्यांश या अभिव्यक्ति विचार के लिए बिल्कुल भी थी या नहीं, तो बहस के संदर्भ की अनुमति दी जा सकती है।

67. त्रावणकोर-कोचीन राज्य में और बनाम।बॉम्बे कंपनी

लिमिटेड, अलेप्पी 25, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के मसौदे पर बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण अनुचित हैं।यह ध्यान दिया गया कि कानूनों की व्याख्या के लिए बाहरी सहायता का यह रूप स्वीकार्य नहीं है जिसे आम तौर पर इंग्लैंड में स्वीकार किया गया है, और यही नियम भारतीय कानूनों के निर्माण में भी देखा गया है-प्रशासक-जनरल देखें

ग

बंगाल बनाम प्रेम नाथ मलिक [22 आई. ए. 107,118]

68. इंद्र साहनी और अन्य बनाम मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में।भारत संघ और अन्य। 26, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बहस के दौरान जो कहा जाता है वह निर्णायक या न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि कई सदस्यों ने कई विचार व्यक्त किए होंगे, जिनमें से सभी अंततः अधिनियमित प्रावधान में परिलक्षित नहीं हो सकते हैं।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अधिकारों के बारे में व्यक्त किए गए कई निर्णयों के बाद संविधान सभा के सदस्यों के विचारों पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

69. इस प्रकार, बहस उस प्रासंगिक समय पर संविधान सभा के सदस्यों के गहन ज्ञान को दर्शाती है, लेकिन 70 से अधिक वर्षों के बाद, संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के साथ, ऐसी बहसों में केवल व्यक्तिगत सदस्यों के विचारों पर भरोसा करना उचित नहीं है।

च

70. इसके अलावा, श्री दवे का तर्क है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करता है और इस न्यायालय द्वारा शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य में 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' अभिव्यक्ति का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। 27.यह तर्क दिया गया कि आयुक्त में निर्णय,

जी.

हिंदू धार्मिक दान**,** मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ

श्री शिरूर मठ 28 के स्वामीयार ने 'आवश्यक' शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

25 ए. आई. आर. 1952 एससी 366

26 1992 एस. सी. सी. 217 27 (2017) 9 एस. सी. सी. 1

एच.

28 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 282 (1954 एस. सी. आर. 1005)

479

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

धार्मिक अभ्यास '।इसलिए, हिजाब पहनना आवश्यक नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक धार्मिक प्रथा है, इस प्रकार, अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित है। 71.डॉ. धवन ने अपनी दलीलों के समर्थन में तर्क दिया कि छात्रों के लिए उपलब्ध अधिकार कपड़े पहनने, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता और गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम संघ में निर्णयों पर भरोसा करना

भारत और ओआरएस। 29 और के. एस. पुट्टास्वामी।यह तर्क दिया जाता है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, और यह कि राज्य की कार्रवाई धर्म और लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण है।

72. श्री तुषार मेहता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने अपीलार्थियों की ओर से उठाई गई दलीलों का खंडन किया और सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2022 जारी करने की पृष्ठभूमि दी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि 29.3.2013 पर, कॉलेज विकास समिति, उडुपी ने लड़कियों के लिए वर्दी निर्धारित की और तब से वे इसका पालन कर रही हैं।आई. डी. 1 पर, सरकार द्वारा एक कॉलेज विकास समिति के गठन के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधानसभा के स्थानीय सदस्य, माता-पिता के प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि और शिक्षक और पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य शामिल थे।

ग

डी.

73. यह 23.6.2018 पर था कि कॉलेज विकास समिति, उडुपी ने छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया था।आईडी1 पर, एक अन्य कॉलेज यानी कुंडापुरा प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, उडुपी की कॉलेज विकास समिति ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों की वर्दी वही बनी रहेगी जो पिछले वर्षों में निर्धारित की गई थी।

ई.

74. पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों ने पूर्व-विश्वविद्यालय महाविद्यालय के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने का बीड़ा उठाया।यह बताया गया कि अचानक शैक्षणिक कार्यकाल के बीच में, हिजाब का मुद्दा सोशल मीडिया पर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पन्न किया गया था।इस संबंध में पुलिस के कागजात उच्च न्यायालय के आदेश के पृष्ठ 126 पर उल्लिखित सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय को सौंप दिए गए थे।यह कहा गया है कि आरोप पत्र तब से दायर किया गया है।इसके बाद, छात्रों के माता-पिता और/या छात्रों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने का अनुरोध करते हुए कुछ अभ्यावेदन किए गए।

च

जी.

29 (2014) 5 एस. सी. सी. 438

एच.

480

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

75. महाविद्यालय विकास समिति ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।इसके बाद पांच छात्रों ने 29.1.2022 पर 2022 की रिट याचिका संख्या 2146 दायर की जिसमें एक अंतरिम प्रार्थना की गई कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल जाने की अनुमति दी जाए।31.1.2022 पर, कॉलेज विकास समिति, उडुपी ने निर्णय लिया कि छात्रों को कक्षाओं में हिजाब नहीं पहनना चाहिए, जबकि कुंडापुरा प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज ने इसे 2.2.2022 पर हल किया।उठाई गई मांगों के लिए जवाबी प्रतिक्रिया हुई।इन परिस्थितियों में सरकार ने विवादित आदेश जारी किया।

76. यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के निर्देश कॉलेजों/संस्थानों को जारी किए गए थे न कि अधिनियम के अधिदेश के अनुसार व्यक्तिगत छात्रों को। अधिनियम की प्रस्तावना शैक्षणिक संस्थानों के नियोजित विकास, स्वस्थ शैक्षिक प्रथाओं को विकसित करने, शिक्षा के मानकों में रखरखाव और सुधार, बेहतर संगठन, अनुशासन और शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए है ताकि शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।अधिनियम की धारा 133 (2) राज्य सरकार को किसी भी शैक्षणिक संस्थान को निर्देश देने का अधिकार देती है क्योंकि उसकी राय में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन है। इसलिए, सरकारी आदेश कॉलेजों/संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि जहां भी कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा वर्दी अनिवार्य है, उसे पहना जाना चाहिए।

लेकिन अगर ऐसी वर्दी अनिवार्य नहीं है, तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हों।इसलिए, छात्रों की किसी भी धार्मिक आस्था के बावजूद, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से वर्दी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजों को परिपत्र जारी किया गया था।

ग

डी.

ई.

77. नियमों के नियम 11 की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है।उक्त नियम के संदर्भ में, शैक्षणिक संस्थानों को उक्त विद्यालय में भाग लेने वाले छात्रों को वर्दी लिखने का अधिकार है।शैक्षणिक संस्थानों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्रवाई की तुलना में संकीर्ण है।टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

च

जी.

"64. एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है।ऐसी संस्था में, सभी के लिए अनुशासन बनाए रखना और कानूनी रूप से बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है।शिक्षक पालक माता-पिता की तरह होते हैं जिन्हें शिक्षा की खोज में छात्रों की देखभाल करने, उन्हें विकसित करने और उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है।शिक्षक और ए

एच.

481

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

संस्थान छात्रों के लिए मौजूद हैं और इसके विपरीत नहीं।एक बार जब इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, तो इसका पालन करना चाहिए कि किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के लिए अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना और छात्रों के लाभ के लिए अनिवार्य हो जाए।

78. शैक्षणिक संस्थानों के परिसर अनुशासन के मामलों में, न्यायालय स्कूल प्राधिकरण के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, सिवाय स्पष्ट अन्याय के मामले में या किसी ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए जो वेड्सबरी की तर्कसंगतता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है।इस न्यायालय ने एक निर्णय में अध्यक्ष, जे एंड के रूप में सूचित किया

के राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम फियाज़ अहमद मलिक 30, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

ग

"20. ..... विवादित फैसले में की गई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने परीक्षा में सामूहिक कदाचार की समस्या से निपटने के लिए एक योजना का पता लगाने का काम अपने हाथ में लिया है।हमारे सुविचारित विचार में इस मामले में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है और इसने निर्णय को दूषित कर दिया है।शैक्षणिक संस्थानों के परिसर अनुशासन और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित मामलों में कर्तव्य मुख्य रूप से संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों में निहित है।ऐसे मामलों में अदालत को संबंधित अधिकारियों के स्थान पर अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ही उन पर अपने विचारों को थोपना चाहिए।इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ऐसे मामलों में अधिकारियों के फैसलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती।न्यायालय के पास निस्संदेह नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन करने में किसी भी त्रुटि को सुधारने और उम्मीदवारों पर किए जा रहे किसी भी स्पष्ट अन्याय को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने की शक्ति है।....."

डी.

ई.

79. अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और ए. एन. आर. बनाम.राज्य

च

गुजरात और अन्र. 31, यह अभिनिर्धारित किया गया कि शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं और इस प्रकार शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।

"30. शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं।मानव बुद्धि के गुणों में शिक्षा द्वारा महारत हासिल की जाती है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है।जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच पूर्ण सामंजस्य हो, जहाँ शिक्षक पढ़ाता है और छात्र प्राप्त करता है, जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले का पूर्ण समर्पण हो।

जी.

30 (2000) 3 एससीसी 59 31 (1974) 1 एससीसी 717

एच.

जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच अनुशासन होता है, जहाँ दोनों सीखने के उपासक होते हैं, वहाँ कोई कलह या चुनौती उत्पन्न नहीं होगी।एक शैक्षणिक संस्थान सुचारू रूप से चलता है जब शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की खोज के सामान्य आदर्श में लगे होते हैं।..... प्रशासन के अधिकार को सुचारू प्रशासन की सुविधा के लिए नियामक उपायों के साथ संयमित किया जाना है।सबसे अच्छा प्रशासन अल्पसंख्यक का कोई निशान या रंग प्रकट नहीं करेगा।एक अल्पसंख्यक संस्थान को संस्थान के प्रशासन में अनुकरणीय उदारता के साथ चमकना चाहिए।अल्पसंख्यक संस्थान को सबसे अच्छी प्रशंसा यह दी जा सकती है कि वह अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर निर्भर या घोषित नहीं करता है।

ग

31. नियम जो छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगे, नियम जो शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, अच्छे प्रशासन में सर्वोपरि हैं।शिक्षकों की दक्षता, अनुशासन और प्रशासन में निष्पक्षता के हित में विनियमन संबद्ध संस्थानों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।"

डी.

80. अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में, इस न्यायालय ने एक निर्णय में

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाम मदरसा

हनफिया अरबी कॉलेज 32 ने माना कि राज्य के पास अल्पसंख्यक संस्थान की शैक्षिक आवश्यकताओं और अनुशासन को विनियमित करने की शक्ति है।

"6. ..... इस न्यायालय ने हमेशा यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें कुशासन का कोई अधिकार नहीं है और राज्य को शैक्षणिक आवश्यकता और संस्थान के अनुशासन के हित में ऐसे संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने की शक्ति है।इस तरह के विनियमन का अल्पसंख्यकों के पूर्ण अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में दक्षता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।हालाँकि, राज्य के पास

अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन को पूरी तरह से संभालने की कोई शक्ति नहीं है।..... अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके प्रबंधन के अनन्य अधिकार के बहाने उत्कृष्टता के मानक से नीचे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ उनके संस्थानों को प्रशासित करने के उनके संवैधानिक अधिकार को प्रबंध समिति को निरस्त या भंग करके या उसके स्थान पर तदर्थ समितियों की नियुक्ति करके पूरी तरह से नहीं खोया जा सकता है।....."

ई.

च

जी.

32 (1990) 1 एससीसी 428 ए

एच.

483

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

81. आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम राज्य

मध्य प्रदेश 33, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण में खंड (6) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है और योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार, शुल्क और प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से विनियमित किया जा सकता है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"57. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है, लेकिन खंड (6) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।कथित उल्लंघन किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध के उद्देश्य, प्रतिबंध की सीमा और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए।इन कारकों को लागू करने में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।न्यायालय को मौलिक अधिकारों और समाज के व्यापक हित के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा।न्यायालय कानून में हस्तक्षेप करता है यदि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है।संविधान मुख्य रूप से आम आदमी के लिए है।योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार, शुल्क और प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के बड़े हित और कल्याण को निश्चित रूप से विनियमित किया जा सकता है।"

ग

डी.

82. यह तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 को एक संयुग्म अर्थ दिया जाना चाहिए।अनुच्छेद 25 (1) में, 'विवेक' शब्द को न केवल व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, बल्कि एक परस्पर जुड़ा हुआ अर्थ भी दिया जाना चाहिए।यह हिजाब के उपयोग को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक होने का दावा किया जाता है, जो विवेक की अभिव्यक्ति को दर्शाता है।यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 25 (1) में आने वाले शब्द 'विवेक', 'स्वीकार' और 'व्यवहार' अलग-अलग हैं और साथ ही, आपस में जुड़े हुए हैं।अभ्यास में अनिवार्य रूप से विवेक शामिल होगा, और इसलिए दोनों अविभाज्य हैं।83. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कपड़े पहनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान के अधिकार और गरिमा के अधिकार के अंतर्गत आता है।पोशाक पर प्रतिबंध, वर्दी के संदर्भ में भी, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।वेशभूषा को स्वयं की अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी संदर्भित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं की एक महिला के रूप में जनता के सामने उनकी पहचान की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है

ई.

च

जी.

33 (2016) 7 एस. सी. सी. 353

एच.

484

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

जो इस्लाम का पालन करता है।हिजाब पहनने से सार्वजनिक अव्यवस्था या गड़बड़ी की कोई समस्या नहीं होती है।इसके अलावा, मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति और उनकी आत्म-प्रस्तुति की पसंद पर लगाया गया एक मनमाना, अप्रमाणित और अतार्किक प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है और संविधान में गारंटीकृत अनुच्छेद 19 का स्पष्ट उल्लंघन है।यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्दी का उद्देश्य व्यक्तित्व के चिह्नों को मिटाना नहीं है।केवल निर्धारित ड्रेस कोड पहनने से, छात्रों के बीच मौजूद विविध भेद वाष्पित नहीं होंगे।बहु-सांस्कृतिक समाजों में, छात्रों को समाज में विविधताओं को स्वीकार करना, स्वीकार करना और उनका सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित सरकारी आदेश बहिष्कृत करने वाला और कक्षा में सहिष्णुता और विविधता का विनाशकारी है।उम्मीद की जाती है कि कक्षा एक समान होगी लेकिन समरूप नहीं होगी।

ग

84. एस में यह न्यायालय।पी. मित्तल बनाम भारत संघ 34 ने अभिनिर्धारित किया कि,

"यह स्पष्ट है कि संविधान द्वारा परिभाषित धर्म सटीक न्यायिक परिभाषा देने में भी असमर्थ है।संविधान के प्रावधानों और न्यायिक उदाहरण द्वारा प्रकाश डालने की पृष्ठभूमि में, हम कह सकते हैं कि धर्म आस्था का विषय है।यह विश्वास और सिद्धांत का विषय है।यह विवेक यानी मनुष्य की आत्मा से संबंधित है।यह पूजा या अनुष्ठान जैसे शब्दों और कार्यों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करने में सक्षम होना चाहिए।इसलिए, धर्म मानव आत्मा से संबंधित विश्वास और सिद्धांत का विषय है, जो अनुष्ठान और पूजा के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है।कुछ धर्मों को आसानी से धर्मों के रूप में पहचाना जा सकता है; कुछ को आसानी से धर्मों के रूप में पहचाना जा सकता है।प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कई ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को धर्म के रूप में और दूसरों को धर्म के रूप में नहीं दिखाई देते हैं।

डी.

ई.

85. इसके अलावा, ए. एस. नारायण दीक्षितुलु मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

च

"एक धर्म का आधार निस्संदेह मान्यताओं और सिद्धांतों की एक प्रणाली में होता है जिसे वे लोग मानते हैं जो धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं।.....प्रत्येक धर्म को विवेक और नैतिक और नैतिक उपदेशों में विश्वास करना चाहिए।इसलिए, जो कुछ भी व्यक्ति को अपने विवेक से बांधता है और जो भी नैतिक या नैतिक सिद्धांत उस आस्तिक, विवेक या धार्मिक विश्वास में विश्वास रखने वाले लोगों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, जो संविधान में समझे गए धर्म का गठन कर सकता है, जो भाईचारे, मित्रता, बंधुत्व और समानता की भावना को बढ़ावा देता है।

जी.

34 (1983) 1 एससीसी 51 ए

एच.

485

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

संविधान के धर्मनिरपेक्ष पहलू में।धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ और पहलू धर्म का गठन नहीं करते हैं जो प्रत्येक मानव गतिविधि को अपने कपड़ों के नीचे लाता है।

86. काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर में,

वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रताओं का उद्देश्य सामुदायिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक होना है और प्रत्येक धर्म को एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक मांगों के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है।इसलिए अनुच्छेद 25 और 26, धार्मिक विश्वास और आस्था के अधिकार की कठोरता और धर्म, धार्मिक विश्वासों के मामलों में उनके आंतरिक प्रतिबंधों और अपने ब्रह्मांड/निर्माता के साथ संवाद करने और अपने आध्यात्मिक रूप को महसूस करने के लिए विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी के बीच संतुलन बनाते हैं।

ग

87. इस प्रकार, धर्म विवेक और नैतिक और नैतिक उपदेशों में विश्वास करता है।विवेक की स्वतंत्रता वह है जो एक व्यक्ति को अपने विवेक से बांधती है और जो भी नैतिक या नैतिक सिद्धांत मनुष्यों के जीवन को नियंत्रित करते हैं।विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा अंतर है।अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण का दायरा धार्मिक मान्यताओं से परे है।यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को ऐसी मान्यताओं की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो जरूरी नहीं कि धार्मिक हों, लेकिन जो किसी की अंतरात्मा से उत्पन्न हो सकती हैं।दूसरी ओर, धर्म की स्वतंत्रता किसी को अपने विश्वास का पालन करने का अधिकार देती है, जिसका स्थापित रूप अपने अनुयायियों को नैतिक मानदंडों का एक समूह देता है और अनुष्ठानों, अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के तरीकों को परिभाषित करता है।

डी.

ई.

88. मुझे संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के आलोक में विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जांच करने की आवश्यकता है।ऐसा अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन नहीं है, बल्कि 'भाग III के अन्य प्रावधानों' के अधीन भी है।इसमें अनुच्छेद 14 भी शामिल होगा जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है।टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में, इस न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 25 (1) न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, बल्कि संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के भी अधीन है।यह निम्नानुसार देखा गयाः

च

“82. अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।हालाँकि, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है।अनुच्छेद 25 (1) के प्रारंभिक शब्द इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाते हैं।यह

जी.

35 (1997) 4 एस. सी. सी. 606

एच.

इसका अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद 25 (1) के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकार में कटौती या विनियमन किया जा सकता है यदि उस अधिकार का प्रयोग संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, या यदि इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है।सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य कानून में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान हैं; इनका पालन करना होगा, और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता या धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार इस तरह से नहीं कर सकता है कि दूसरे धर्म को बदनाम किया जाए या लोगों में असंतोष पैदा किया जाए।"

ग

89. सरकारी आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वर्दी के मामले में छात्रों के बीच समानता हो।यह केवल एकरूपता को बढ़ावा देने और स्कूलों में एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए था।यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप है।इसलिए, धर्म और विवेक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को अनुच्छेद 25 (1) के प्रतिबंधों के तहत निर्धारित भाग III के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए।

डी.

प्रश्न **(iv)-**संविधान के अनुच्छेद **25** के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का दायरा और दायरा क्या है**?**

90. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सिर पर स्कार्फ पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसका पालन महिलाएं प्राचीन काल से इस्लाम का पालन करती हैं।यह माना जाता है कि उनके धार्मिक ग्रंथों में इसका प्रावधान किया गया है और इस प्रकार यह धर्म के लिए आवश्यक है।तर्क यह है कि विवादित सरकारी आदेश एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में हिजाब पहनने के उनके अधिकार को बाधित करता है, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन है।
91. आवश्यक धार्मिक प्रथा के उक्त तर्क का खंडन करने के लिए, श्री तुषार मेहता ने इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था

ई.

च

पुलिस आयुक्त और अन्य बनामआचार्य जगदीश्वरानंद

अवधूत और अन्र। 36 जिसमें, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक धर्म के अनिवार्य भाग का अर्थ है मूल विश्वास जिन पर एक धर्म की स्थापना की जाती है।यह आवश्यक भागों या प्रथाओं की आधारशिला पर है कि किसी धर्म की अधिरचना का निर्माण किया जाता है, जिसके बिना कोई धर्म कोई धर्म नहीं होगा।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई हिस्सा या अभ्यास किसी धर्म के लिए आवश्यक है, यह पता लगाना है कि क्या उसके बिना धर्म की प्रकृति बदल जाएगी।

जी.

36 (2004) 12 एस. सी. सी. 770 (आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत-II)

एच.

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

भाग या अभ्यास।यदि उस भाग या प्रथा को हटाने से उस धर्म के चरित्र या उसके विश्वास में मौलिक परिवर्तन होता है, तो ऐसे भाग को धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग माना जा सकता है।92. विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि

आयशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य शीर्षक से दायर रिट याचिका।

श्लोक 31 अध्याय 24 और श्लोक 31 अध्याय 34 का संदर्भ है।

पवित्र कुरान।शाहीना और अन्र में।कर्नाटक राज्य और अन्य।

(2022 की रिट याचिका संख्या 3038), याचिकाकर्ताओं ने पवित्र कुरान की आयत 26 अध्याय 7, आयत 31 अध्याय 24 और आयत 59 अध्याय 33 का हवाला दिया है जो दर्शाता है कि हिजाब पहनना धार्मिक पहचान का हिस्सा है और इस्लामी विश्वास में आवश्यक है।यह निर्भरता केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखी गई थी जिसे आमना बिन्त बशीर के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

ग

& एन**.** आर**.** वी**.**केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **(**सी**.** बी**.** एस**.** ई**.),** नई दिल्ली और अन्र**. 37**

93. विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हिजाब पहनना एक प्रथा हो सकती है, यह एक आदर्श या अनुमेय प्रथा हो सकती है, लेकिन इसे एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के स्तर तक बढ़ाने के लिए, कुछ और अनुरोध करने और साबित करने की आवश्यकता है और यह दिखाया जाना चाहिए कि यदि हिजाब नहीं पहना जाता है, तो विश्वास में विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की पहचान खतरे में पड़ जाएगी जैसा कि इस अदालत ने ए. एस. में समझाया है।

डी.

नारायण दीक्षितुलु और आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत **-**

II, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।94. विद्वान महाधिवक्ता श्री प्रभुलिंग के. नवदगी ने पवित्र कुरान की सूरह 24 की आयत 31 का उल्लेख करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा की एक आवश्यक विशेषता नहीं है।यह तर्क दिया जाता है कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है लेकिन धर्म के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इस तरह की प्रथा का पालन न करने से एक आस्तिक गैर-मुस्लिम नहीं होगा।आवश्यक धार्मिक प्रथाएं वे प्रथाएं हैं जिनका पालन नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति का धर्म कम हो जाएगा।कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के लिए है और हर धार्मिक विश्वास के लिए नहीं है।धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, यह मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांत के संदर्भ में पता लगाया जाना है।अनुच्छेद 25 (2) (ए) राज्य द्वारा सभी धार्मिक प्रथाओं के विनियमन पर विचार नहीं करता है, बल्कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विनियमन पर विचार करता है जो आर्थिक, वाणिज्यिक या राजनीतिक हैं, हालांकि वे धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हैं।

ई.

च

जी.

37 एयर 2016 केर 115

एच.

488

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

95. उठाए गए तर्क की सराहना करने के लिए, मुझे सबसे पहले मुस्लिम कानून के सिद्धांतों की जांच करने की आवश्यकता है। मुल्ला के मुस्लिम कानून, 5 वें संस्करण, 2019 में, यह कहा गया था कि पैगंबर मुहम्मद ने स्वयं घोषणा की थी कि पवित्र कुरान को उन्हें दूत "गैब्रियल" द्वारा विभिन्न भागों में और अलग-अलग समय पर प्रकट किया गया था।मुसलमानों द्वारा ग्रंथों को निर्णायक माना जाता है क्योंकि पैगंबर के माध्यम से मनुष्य को प्रेषित ईश्वर के शब्द हैं।यह समझाया गया है कि मुस्लिम कानून के चार स्रोत हैं, अर्थात्, (1) कुरान; (2) हदीस, अर्थात, पैगंबर मुहम्मद के उपदेश, कार्य और वचन, जो उनके जीवनकाल के दौरान नहीं लिखे गए थे, बल्कि परंपरा द्वारा संरक्षित किए गए थे और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे; (3) इजमा, यानी, मुहम्मद और उनके शिष्यों के साथियों की राय की सहमति; और (4) कियास, पहले तीन स्रोतों की तुलना से प्राप्त अनुरूप कटौती है जब वे विशेष मामले पर लागू नहीं होते हैं।

ग

96. इसके अलावा, पैगंबर द्वारा मुसलमानों के लिए पांच कर्तव्य 38 निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

“((i) कल्माः- कलमा पढ़ना हर मुसलमान का कर्तव्य है।कलमा का तात्पर्य कुछ भजनों से है जो मुहम्मद को पैगंबर के रूप में स्वीकार करते हुए ईश्वर की एकता की घोषणा करते हैं।

((ख) नमाज़ः- प्रत्येक मुसलमान को दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़नी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को उसे मस्जिद में दोपहर की नमाज़ पढ़नी चाहिए।

ई.

((iii) ज़कातः- यह प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को ज़कात या दान करे।

((iv) रमजानः- हर मुसलमान का सबसे पवित्र कर्तव्य रमजान के पवित्र महीने में उपवास रखना है।

च

(v) हजः- प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज या मक्का की तीर्थयात्रा के लिए जाना चाहिए।"

97. उसी अध्याय 39 में, 'शरीयत' के अनुसार, अल्लाह की धार्मिक आज्ञा (हुकुम) पांच प्रकार की है, जो इस प्रकार हैः“(i) फरज़-पाँच दैनिक प्रार्थना (नमाज़)-व्यक्ति को सख्ती से करना चाहिए।((ii) हराम-शराब पीना-किसी को सख्ती से मना करना चाहिए।(iii) आईडी पर मंडूब/अतिरिक्त प्रार्थना-कोई भी कर सकता है।

जी.

38 पृष्ठ 14 मुल्लाज़ मोहम्मडन लॉ, 5 वां संस्करण, 2019 39 पृष्ठ 19 मुल्लाज़ मोहम्मडन लॉ, 5 वां संस्करण, 2019 ए

एच.

((iv) मकरम-कुछ प्रकार की मछलियाँ खाना वर्जित है।

(v) जैज़ या मुबाह-हजारों जैज़ चीज़ें, जैसे कि हवाई यात्रा-शरीयत इसके प्रति उदासीन है।"

98. अध्याय 7 40 उन कानूनों का भी विवरण देता है जिन्होंने मुस्लिम कानून को संशोधित किया है। इस तरह के कानून इस प्रकार हैं:

“(i) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872।((ii) ब्याज कानून निरसन अधिनियम (iii) ब्याज ऋण अधिनियम।

ग

((iv) धार्मिक सहिष्णुता अधिनियम।

((v) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1850।(vi) वक्फ वैधीकरण अधिनियम।

(vii) शरीयत अधिनियम, 1937।

डी.

((viii) मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939।

(ix) विशेष विवाह अधिनियम, 1954।(जब कोई मुसलमान इस अधिनियम, ऐसे विवाह और महर के लिए दायित्व के तहत अपनी शादी को संपन्न या पंजीकृत करता है, तो ऐसे विवाह का विघटन और ऐसे मुसलमान की संपत्ति का उत्तराधिकार और इस तरह के विवाह का मुद्दा मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं है)।

ई.

(x) भारत का संविधानःमुस्लिम कानून संविधान के अधिनियम 19 (1) (च) के अधीन है।

(xi) अपराध, प्रक्रिया और गुलामी से संबंधित मुस्लिम कानून विधानमंडल द्वारा इस संबंध में अधिनियमित कानूनों द्वारा निरस्त कर दिया गया है।"99. पवित्र कुरान की आयतों की व्याख्या करने वाली विभिन्न पाठ्य पुस्तकें हैं।हालाँकि, अब्दुल्ला यूसुफ अली द्वारा दी गई व्याख्या का संदर्भ दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मूल अरबी पाठ के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसे लाहौर में 4.4.1937 पर पूरा किया गया है।यूसुफ अली की व्याख्या का उल्लेख इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में किया गया है।श्री आदित्य सोंधी और मोहम्मद।निजामुद्दीन पाशा ने भी उल्लेख किया है

च

जी.

40 पृष्ठ 106 मुल्लाज मोहम्मडन लॉ, 5 वां संस्करण, 2019

41 मोहम्मद.अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य, (1985) 2 एससीसी 556; डेनियल लतीफी और एन. आर. बनामभारत संघ, (2001) 7 एस. सी. सी. 740; इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 6 एस. सी. सी. 785; और शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 9 एस. सी. सी. 1

एच.

अब्दुल्ला यूसुफ अली द्वारा उनके लिखित प्रस्तुतियों में पवित्र कुरान।ऑनलाइन उपलब्ध इस तरह के अनुवाद "द ग्लोरियस कुरान" का अंग्रेजी अनुवाद और अर्थ इस प्रकार है:

“सूरह **24** आयत **31**

31. और ईमानवाली स्त्रियों से कहो कि वे अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी विनम्रता की रक्षा करें**,** कि वे अपनी सुंदरता और आभूषणों का प्रदर्शन न करें**,** सिवाय इसके कि वे **(**सामान्य रूप से**)** दिखाई दें**,** कि वे अपनी छाती पर पर्दा डालें और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन न करें**,** सिवाय अपने पतियों**,** अपने पिता**,** अपने पति के पिता**,** अपने बेटों**,** अपने पति के बेटों**,** अपने भाइयों**,** अपने भाइयों के बेटों**,** अपनी बहनों के बेटों**,** अपनी महिलाओं**,** अपने दासों**,** जो उनके दाहिने हाथों में हैं**,** या शारीरिक आवश्यकताओं से मुक्त पुरुष नौकरों**,** या छोटे बच्चों**,** जिन्हें यौन संबंध की शर्म की कोई समझ नहीं है**,** और वे अपने पैरों पर पैर न रखें ताकि वे अपने छिपे हुए आभूषणों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकें।**(2986)** और ऐ ईमान लानेवालो**!** तुम सब मिलकर अल्लाह की ओर रुख़ करो**,** ताकि तुम सुख पाओ।**(2987)**

ग

डी.

2984 पुरुषों और महिलाओं दोनों में विनम्रता की आवश्यकता समान है।लेकिन प्रकृति, स्वभाव और सामाजिक जीवन में लिंग भेद के कारण, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक गोपनीयता की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पोशाक और छाती को उजागर करने के मामले में।

ई.

2985 जीना का अर्थ है प्राकृतिक सौंदर्य और कृत्रिम आभूषण दोनों।मुझे लगता है कि दोनों यहाँ निहित हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूर्व।महिला को निम्नलिखित वर्गों के लोगों को छोड़कर अपनी आकृति का प्रदर्शन नहीं करने या कपड़े न उतारने के लिए कहा जाता हैः(1) उसका पति, (2) उसके निकट संबंधी जो एक ही घर में रह रहे होंगे, और जिनके साथ एक निश्चित मात्रा में लापरवाही की अनुमति है; (3) उसकी महिलाएं, यानी, उसकी नौकरानी, जो लगातार उसकी देखभाल करती थींःकुछ टिप्पणीकारों में सभी विश्वासी महिलाएं शामिल हैं; एक मुस्लिम परिवार में महिलाओं के लिए अन्य महिलाओं से मिलना अच्छा नहीं है, सिवाय इसके कि वे ठीक से कपड़े पहने हों; (4) गुलाम, पुरुष और महिला, क्योंकि वे लगातार उपस्थित रहेंगे (लेकिन गुलामी के उन्मूलन के साथ यह अब लागू नहीं होता है); (5) बूढ़े या कमजोर पुरुष-नौकर; और (6) शिशु या छोटे बच्चे इससे पहले कि वे यौन भावना प्राप्त करें।सी. एफ. भी 33:59.

च

जी.

एच.

491

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

2986 यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने टखने के आभूषणों को झुनझुना दिखावटी या अपवित्र महिलाओं की चालों में से एक है।2987 जबकि घरेलू जीवन की शुद्धता और अच्छे रूप के इन सभी विवरणों को हमारे ध्यान में लाया जा रहा है, हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाया जाता है कि हमें जिस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए वह है हमारा आध्यात्मिक कल्याण।इस पृथ्वी पर हमारा सारा संक्षिप्त जीवन एक परीक्षण है, और हमें अपने व्यक्तिगत, घरेलू और सामाजिक जीवन को अपनी पवित्रता में योगदान देना चाहिए, ताकि हम वास्तविक सफलता और आनंद प्राप्त कर सकें जो हमारे आध्यात्मिक प्रयास का उद्देश्य है।(आर)।"

सूरह **33** आयत **36**

ग

36. एक विश्वासी पुरुष या महिला के लिए यह उचित नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल द्वारा किसी मामले का फैसला कर लिया गया हो तो उनके पास अपने फैसले के बारे में कोई विकल्प हो:**(3721)** यदि कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करता है तो वह स्पष्ट रूप से गलत रास्ते पर है।

डी.

3721 हमें अपने ज्ञान को अल्लाह के ज्ञान के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं डालना चाहिए।अल्लाह के आदेश को हम अक्सर तथ्यों के तर्क से जानते हैं।हमें इसे वफादारी से स्वीकार करना चाहिए, और इसे पूरा करने के लिए अपने तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।हमें अपनी इच्छा को अल्लाह की इच्छा के अनुरूप बनाना चाहिए।(आर)।"

ई.

100. उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में छात्रों ने पवित्र कुरान की निम्नलिखित आयतों का उल्लेख किया।यूसुफ अली की पुस्तक "द ग्लोरियस कुरान" की ऐसी आयतें इस प्रकार हैं:

" सूरह 34 आयत 31

31. अविश्वासियों का कहना है:**"**हम न तो इस शास्त्र में विश्वास करेंगे और न ही इससे पहले **(**आए**)** किसी में।**" (3834) (3835)** क्या आप देख सकते हैं कि कब अत्याचारी लोगों को उनके रब के सामने खड़ा किया जाएगा और वे एक**-**दूसरे पर आरोप लगाएँगे।जिन लोगों का तिरस्कार किया गया था**,** वे घमंडी लोगों से कहेंगे:**(3836) "**अगर आप नहीं होते तो हम ईमानवाले होते**!"**

च

जी.

3834 मूर्तिपूजकों के लिए सभी ग्रंथ वर्जित हैं, चाहे वह कुरान हो या इससे पहले आया कोई रहस्योद्घाटन।किताब के लोगों ने मूर्तिपूजकों का तिरस्कार किया, लेकिन श्रेष्ठता की अपनी अभिमानी धारणा में, उन्हें अपने उदाहरण से, नवीनतम और सबसे सार्वभौमिक ग्रंथ को स्वीकार करने से रोक दिया जब यह आया था

एच.

कुरान का रूप।उन लोगों की यह सापेक्ष स्थिति जो अपने ज्ञान पर खुद को कल्पना करते हैं, और जिन लोगों को वे घृणा करते हैं लेकिन शोषण करते हैं और गुमराह करते हैं, वे हमेशा इस पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं।मैंने किताब के लोगों और मूर्तिपूजक अरबों का उल्लेख केवल चित्रण के माध्यम से किया है।

3835 एक अविश्वास दूसरे के समान ही बुरा होता है।उनके बीच चयन करने के लिए बहुत कम है।लेकिन जब अंतिम हिसाब लिया जाएगा, तो एक और दूसरे के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप होंगे।3836 मूर्तिपूजक लोग स्वाभाविक रूप से किताब के लोगों से कहेंगे, 'आपने हमें गुमराह किया, आपके पास पहले के रहस्योद्घाटन थे, और आपको पता होना चाहिए था कि अल्लाह ने अपने दूतों को कैसे भेजा, अगर यह आपकी बुरी मिसाल नहीं होती, तो हमें अल्लाह का रहस्योद्घाटन प्राप्त करना चाहिए था और विश्वासी बनना चाहिए था।'या विनम्र अनुयायी अपने नेताओं को यह कहेंगे, या जो कम प्रतिभाशाली हैं वे उन लोगों को कहेंगे जिनके द्वारा उन्हें गुमराह किया गया और उनका शोषण किया गया।द्वैतवाद उन लोगों के बीच है जो दुनिया में ढोंग से अपना सिर ऊंचा रखते हैं और जिनके द्वारा वे लाभ उठाते हैं लेकिन तिरस्कार में रखे जाते हैं।

डी.

सूरह **33** आयत **59**

59. ऐ पैग़म्बर**!(3764)** अपनी पत्नियों और बेटियों और विश्वासी स्त्रियों से कह दो कि वे अपने बाहरी वस्त्र **(3765)** अपने व्यक्तियों **(**जब विदेश में हों**)** पर डाल दें।यह सबसे सुविधाजनक है कि उन्हें जाना जाना चाहिए **(3766) (**इस तरह से**)** और छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।**3767.** और अल्लाह बड़ा क्षमाशील**,** अत्यन्त दयावान है।

ई.

3764 यह सभी मुस्लिम महिलाओं, पैगंबर के घर की महिलाओं के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी है।उन्हें इधर-उधर घूमते समय बाहरी कपड़ों से खुद को ढकने के लिए कहा गया था।(आर)।3765 इल्बाब, बहुवचन जलबीबः एक बाहरी वस्त्रः पूरे शरीर को ढकने वाला एक लंबा गाउन, या गर्दन और छाती को ढकने वाला एक लबादा।

च

3766 इसका उद्देश्य महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना नहीं था, बल्कि उन्हें नुकसान और छेड़छाड़ से बचाना था। पूर्व और पश्चिम में किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट सार्वजनिक पोशाक हमेशा पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच सम्मान या विशिष्टता का प्रतीक रही है।इसका पता सबसे पुरानी सभ्यताओं से लगाया जा सकता है।अश्शूरी कानून ने अपने सबसे अच्छे दिनों में (जैसे, 7 वीं शताब्दी ईसा पूर्व), विवाहित महिलाओं को घूंघट लगाने का आदेश दिया और घूंघट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

जी.

एच.

493

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

दासों और बुरी प्रसिद्धि की महिलाओं काः कैम्ब्रिज प्राचीन इतिहास, III देखें,107.

3767 अर्थात्, यदि कोई मुस्लिम महिला ईमानदारी से इस नियम का पालन करने की कोशिश करती है, लेकिन मानवीय कमजोरी के कारण आदर्श से चूक जाती है, तो "अल्लाह बहुत क्षमाशील, दयावान है" (सी. एफ.24:30-31).(आर)।

सूरह **7** आयत **26**

26. ऐ आदम की सन्तान**!(1008)** हमने आपको ऐसी पोशाक प्रदान की है जो आपकी शर्म को ढक दे और साथ ही आपके लिए एक शोभा भी।लेकिन धार्मिकता का वस्त्र**-**यही सबसे अच्छा है।ये अल्लाह की निशानियों में से हैं**,** ताकि उन्हें नसीहत मिले।

ग

1008 यहाँ कपड़ों का दोहरा दर्शन है, जो उपरोक्त श्लोक 20 के दोहरे अर्थ के अनुरूप है, जैसा कि एन में समझाया गया है। 1006.आध्यात्मिक रूप से, अल्लाह ने मनुष्य को "नंगे और अकेले" बनाया (6:94):आत्मा अपनी नग्न शुद्धता और सुंदरता में कोई शर्म नहीं जानती थी क्योंकि वह कोई अपराध नहीं जानती थीः अपराधबोध से प्रभावित होने और बुराई से दूषित होने के बाद, उसके विचार और कर्म उसके वस्त्र और अलंकरण बन गए, अच्छे या बुरे, ईमानदार या गुणवान, आंतरिक उद्देश्यों के अनुसार जो उन्हें रंग देते थे।तो शरीर के मामले मेंः यह शुद्ध और सुंदर है, जब तक कि यह दुरुपयोग से अशुद्ध नहीं होता है; इसके कपड़े और आभूषण मन और चरित्र के उद्देश्यों के अनुसार अच्छे या गुणवान हो सकते हैं; यदि अच्छे हैं, तो वे शुद्धता और सुंदरता के प्रतीक हैं; लेकिन हमारे पास सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण धार्मिकता से आते हैं, जो पाप की नग्नता को ढकता है, और हमें गुणों से सुशोभित करता है।(आर)।"

डी.

ई.

च

101. इस्लामी कानूनों पर टिप्पणी, द हेडाया, दूसरा संस्करण अप्रैल, 1870 में प्रकाशित हुआ था।वही ऑनलाइन उपलब्ध है।इस तरह के प्रकाशन, वर्ड-टू-वर्ड, लाइन-टू-लाइन और पेज-टू-पेज का पुनर्मुद्रण वर्ष 1979 में किताब भवन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था।हेडाया में पवित्र कुरान की व्याख्या को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों 42 में उद्धृत किया गया था। खण्ड I, प्रतिज्ञा की पुस्तक VI अब द्वारा विनियमित है

जी.

42 मोहम्मद.हनीफ कुरेशी और ओआरएस. वी.बिहार राज्य, ए. आई. आर 1958 एस. सी 731;

वालिया पीडिकक्कंडी काथीसा उम्मा और ओआरएस. वी.पथक्कलान नारायणथ कुन्हामू और अन्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 275;

एन. के. मोहम्मदसुलेमान साहिब बनाम एन. सी. मोहम्मद।इस्माइल साहब और अन्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 792; और, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 9 एस. सी. सी. 1

एच.

दंड संहिता (खंड I के अंत में टिप्पणी); लारसेनी से संबंधित खंड II पुस्तक VIII को हटा दिया गया है जैसा कि अब दंड संहिता, अधिनियम सं। 1860 का एक्स. एल. वी.; इटक से संबंधित पुस्तक पांचवीं और बारहवीं, या दासों का मुक्ति अधिनियम सं. 1843 का वी।

102. यह ध्यान दिया जाता है कि इस्लामी कानून के संदर्भ में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष पहले के उदाहरणों में भी उठाया गया है, हालांकि अन्य प्रथाओं के लिए।मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में।

हनीफ कुरेशी और अन्य बनाम बिहार राज्य 43, इस न्यायालय ने पाया

गाय की बलि देना इस्लाम धर्म के लिए अनिवार्य और आवश्यक नहीं है।न्यायालय ने अपीलार्थियों के तर्क को अस्वीकार कर दिया जब यह था

ग

यह अभिनिर्धारित किया गया कि "हमारे सामने अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो हमें पूर्वगामी तथ्यों के बावजूद यह कहने में सक्षम बनाए कि उस दिन एक गाय की बलि एक मुसलमान के लिए अपने धार्मिक विश्वास और विचार को प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य है।परिसर में, हमारे लिए याचिकाकर्ताओं के इस दावे को बरकरार रखना संभव नहीं है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

इसके अंतर्गतः

डी.

“13. अब याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में दलीलों पर आते हुए, पहले अनुच्छेद 25 (1) पर आधारित शिकायत पर विचार करना सुविधाजनक होगा।

फिर हम पूछते हैं कि इस दावे की पुष्टि करने के लिए हमारे सामने क्या सामग्री रखी गई है कि गाय की बलि इस्लाम द्वारा आदेशित या स्वीकृत है?...

ई.

..... बहस के दौरान हमारे सामने जो कुछ भी रखा गया था, वह था सूरह XXII, आयत 28 और 33, और सूरह CVIII। पवित्र पुस्तक में जो आदेश दिया गया है वह यह है कि लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बलिदान करना चाहिए। हमारे सामने किसी भी मौलाना द्वारा उन आयतों के निहितार्थ को समझाने या इस समस्या पर कोई प्रकाश डालने के लिए कोई हलफनामा नहीं है।हालाँकि, हम इसे हेमिल्टन के हेडया बुक XLIII के अनुवाद में p.592 कि यह प्रत्येक स्वतंत्र मुसलमान का कर्तव्य है, जो परिपक्वता की उम्र में आया था, कि वह ईद किर्बन या बलिदान के त्योहार पर बलिदान करे, बशर्ते कि वह तब निसाब के अधीन हो और यात्री न हो।एक व्यक्ति के लिए एक बकरी और सात के लिए एक गाय या ऊंट का बलिदान दिया जाता है।इसलिए, एक मुसलमान के लिए एक व्यक्ति के लिए एक बकरी या सात व्यक्तियों के लिए एक गाय या ऊंट की बलि देना वैकल्पिक है।ऐसा नहीं लगता कि

च

जी.

43 ए. आई. आर 1958 एस. सी. 731 ए

एच.

495

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

यह अनिवार्य है कि एक व्यक्ति को एक गाय की बलि देनी चाहिए।एक विकल्प का तथ्य एक अनिवार्य कर्तव्य की धारणा के विपरीत प्रतीत होता है।हालाँकि, यह बताया गया है कि अपने परिवार के छह अन्य सदस्यों के साथ एक व्यक्ति एक गाय की बलि देने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन वह सात गायों की बलि देने में सक्षम नहीं हो सकता है, हालाँकि, हमारे सामने रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो हमें यह कहने में सक्षम बनाए, पूर्वगामी तथ्यों के बावजूद, कि उस दिन एक गाय की बलि एक मुसलमान के लिए अपने धार्मिक विश्वास और विचार को प्रदर्शित करने के लिए एक अनिवार्य कार्य है।परिसर में, हमारे लिए याचिकाकर्ताओं के इस दावे को बरकरार रखना संभव नहीं है।"

103. मोहम्मद में।अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य। 44,

ग

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान उन मामलों को स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें पत्नी तलाक के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।यद्यपि उक्त निर्णय के प्रभाव को एक क़ानून द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि व्यक्तिगत कानून को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

डी.

“14. पाठ्य पुस्तकों में ये कथन इस प्रस्ताव को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं कि मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए बाध्य नहीं है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।एक गरीब पत्नी, जिसे उसके द्वारा तलाक दे दिया गया है, के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए पति के दायित्व की मात्रा और अवधि दोनों को निर्धारित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के पूरे पहलू को ध्यान में रखना चाहिए।उस कानून के तहत, पति पत्नी को उसके सम्मान के रूप

में महर देने के लिए बाध्य है।यह सच है कि वह अपनी पत्नी पर किसी भी राशि का भुगतान कर सकता है, जो 10 दिरहम से कम नहीं हो सकती है, जो तीन या तीन के बराबर है।

ई.

च

चार रुपये (मुल्ला का मुसलमान कानून, अठारहवीं संस्करण, पैरा।

286,पी. 308)।लेकिन, जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।महर पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक है।महर के माध्यम से तय की गई राशि से आम तौर पर शादी के दौरान और बाद में पत्नी की सामान्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है।लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के ये प्रावधान उन मामलों को स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें तलाक के बाद पत्नी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होती है।हम ऊपर निकाले गए बयानों के दायरे को उन मामलों तक बढ़ाने के लिए न केवल गलत बल्कि अन्यायपूर्ण मानते हैं जिनमें एक तलाकशुदा पत्नी खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।हमारा मानना है कि

जी.

44 (1985) 2 एस. सी. सी. 556

एच.

496

कानून के उन बयानों का अनुप्रयोग उन मामलों के वर्ग तक ही सीमित होना चाहिए, जिनमें तलाकशुदा पत्नी के निर्धनता से उत्पन्न होने वाली बेपरवाही या अभाव की कोई संभावना नहीं है।104. संविधान पीठ ने एक निर्णय में डॉ. एम.

इस्माइल फारूकी और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य। 45 ने उस पेशकश को रखा

प्रार्थना या पूजा एक धार्मिक प्रथा है, लेकिन हर उस स्थान पर इसकी चढ़ाई जहां ऐसी प्रार्थना की जा सकती है, ऐसी धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं होगा।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

"77. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 25 में संविधान के अनुच्छेद 26 के विपरीत संपत्ति का कोई संदर्भ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने के अधिकार में आवश्यक रूप से संपत्ति हासिल करने या रखने या रखने का अधिकार शामिल नहीं है।इसी तरह यह अधिकार किसी भी और हर पूजा स्थल पर पूजा के अधिकार तक नहीं फैला है ताकि किसी विशेष स्थान पर पूजा करने में कोई बाधा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सके।संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के लिए है जो धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है।एक प्रथा एक धार्मिक प्रथा हो सकती है लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं हो सकती है।

ग

डी.

ई.

78. जबकि प्रार्थना या पूजा की पेशकश एक धार्मिक प्रथा है, हर उस स्थान पर जहाँ इस तरह की प्रार्थना की जा सकती है, यह ऐसी धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं होगा जब तक कि उस स्थान का उस धर्म के लिए कोई विशेष महत्व न हो ताकि वह एक आवश्यक या अभिन्न अंग बन सके।उस धर्म के लिए विशेष महत्व रखने वाले किसी भी धर्म के पूजा

स्थल, इसे धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग बनाने के लिए, एक अलग आधार पर खड़े हैं और उनके साथ अलग और अधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

च

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

जी.

82. ... एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज (प्रार्थना) कहीं भी, खुले में भी अदा की जा सकती है।

45 (1994) 6 एससीसी 360 ए

एच.

497

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

105. बाद में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्णय में बताया कि

के रूप में जावेद और ओआरएस. वी.हरियाणा राज्य और अन्य। 46 ने तर्क को नकार दिया

कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ या अधिकार न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है जो यह प्रावधान करता है कि चार से कम महिलाओं से शादी करना या प्रत्येक पत्नी से बच्चे को जन्म देने से बचना धर्म के आदेशों के लिए अधार्मिक या अपमानजनक होगा।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“44. मुस्लिम कानून चार महिलाओं से शादी करने की अनुमति देता है।व्यक्तिगत कानून कहीं भी इसे चार विवाह करने के कर्तव्य के रूप में अनिवार्य या निर्देशित नहीं करता है।हमारे ध्यान में कोई भी धार्मिक ग्रंथ या अधिकार नहीं लाया गया है जो यह प्रावधान करता है कि चार से कम महिलाओं से शादी करना या अनुमत द्विविवाह या बहुविवाह के मामले में प्रत्येक पत्नी से एक बच्चे को जन्म देने से बचना धर्म के आदेशों के लिए अधार्मिक या अपमानजनक होगा।हमारे विचार में, हरियाणा अधिनियम के विवादित प्रावधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करने का सवाल ही नहीं उठता।

ग

106. शायरा बानो में, न्यायमूर्ति नरीमन, अपने लिए बोल रहे हैं

डी.

और न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि "एक प्रथा केवल इसलिए धर्म की मंजूरी प्राप्त नहीं करती है क्योंकि इसकी अनुमति है" और आवश्यक को लागू किया

धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण किया जाता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः“54. ... यह स्पष्ट है कि तीन तलाक केवल तलाक का एक रूप है जो कानून में स्वीकार्य है, लेकिन साथ ही, इसे बर्दाश्त करने वाले हनाफी स्कूल द्वारा पापपूर्ण कहा गया है।जावेद [जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 369 के अनुसारः2004 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 561], इसलिए, यह किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं होगा।

ई.

आचार्य जगदीश्वरानंद में बताए गए परीक्षण को लागू करना।पुलिस बनाम आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत, (2004) 12

एस. सी. सी. 770], यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस्लामी धर्म की मौलिक प्रकृति, जैसा कि एक भारतीय सुन्नी मुसलमान की नज़रों से देखा जाता है, इस प्रथा के बिना नहीं बदलेगी।

च

107. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति ललित के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पवित्र कुरान और इस्लामी कानूनी विद्वता की जांच पर, तीन तलाक की प्रथा को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि "केवल इसलिए कि एक अभ्यास है

जी.

यह लंबे समय तक जारी रहा, कि यदि इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य घोषित किया गया है तो यह अपने आप में इसे वैध नहीं बना सकता है।

46 (2003) 8 एस. सी. सी. 369

एच.

498

108. ऊपर उल्लिखित निर्णयों का पवित्र कुरान की आयतों की समझ को संशोधित करने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, इसके अलावा मुल्ला द्वारा ऊपर उल्लिखित अपनी पुस्तक में उल्लिखित कानूनों के अलावा।लेकिन मैं इस सवाल की जांच करूंगा कि अगर आस्था के विश्वासियों की राय है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, तो सवाल यह है कि क्या छात्र अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकों को एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं।

109. श्री शिरूर मठ के फैसले को पढ़ने से यह तर्क मिलता है कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ जो धर्म से जुड़ी हो सकती हैं लेकिन वास्तव में इसका एक अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं, वे राज्य विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं।सभी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया था।जिस प्रश्न की जांच की गई वह अनुच्छेद 26 के खंड (बी) का दायरा था जो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों के प्रबंधन की बात करता है।" भाषा निस्संदेह यह बताती है कि किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अन्य मामले हो सकते हैं जो धर्म के मामले नहीं हैं और जिनके लिए इस खंड द्वारा दी गई गारंटी होगी।

ग

लागू नहीं होता है।सवाल यह है कि धर्म के मामले क्या हैं और क्या नहीं हैं, इसके बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए।यह माना गया कि क्या

डी.

किसी धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा होने का निर्धारण मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"17. ... एक धर्म का आधार निस्संदेह मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली में होता है जिसे वे लोग मानते हैं जो उस धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि धर्म एक सिद्धांत या विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है।

ई.

हमारे संविधान के तहत गारंटी न केवल धार्मिक राय की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, बल्कि यह एक धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा करती है और यह अनुच्छेद 25 में "धर्म का अभ्यास" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है।"

च

XXX

XXX

XXX

19. ... धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, यह मुख्य रूप से धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में पता लगाया जाना चाहिए।

जी.

वह धर्म स्वयं।यदि हिंदुओं के किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि मूर्ति को दिन के विशेष समय पर भोजन चढ़ाया जाना चाहिए, तो इन सभी को धर्म का हिस्सा माना जाएगा और केवल यह तथ्य कि उनमें धन का खर्च या पुजारियों और नौकरों का रोजगार या विपणन योग्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है, उन्हें धर्मनिरपेक्ष गतिविधि नहीं बनाएगा।

एच.

499

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेना; ये सभी धार्मिक प्रथाएं हैं और इन्हें अनुच्छेद 26 (बी) के अर्थ के भीतर धर्म के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए।"

110. रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य 47 में, यह है

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "धार्मिक मान्यताओं के अनुसरण में धार्मिक प्रथाओं या कार्यों का प्रदर्शन उतना ही धर्म का हिस्सा है जितना कि विशेष सिद्धांतों में विश्वास या विश्वास और धर्म के मामलों और धार्मिक संपत्तियों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के बीच का अंतर, कभी-कभी, एक छोटा सा प्रतीत हो सकता है।लेकिन संदेह के मामलों में, न्यायालय को एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यावहारिक आवश्यकता के विचारों से प्रेरित होना चाहिए।"

ग

111. दरगाह समिति, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली 48 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, 1955 के दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 36 को चुनौती दी गई थी।चुनौती संविधान के अनुच्छेद 26 आई और (डी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के संबंध में थी।जिस संपत्ति के संबंध में दावा किया गया था, उसमें मंदिर के अंदर या बाहर किए गए प्रसाद शामिल थे।इस न्यायालय ने श्री शिरूर मठ से यह कहने के लिए उद्धृत किया कि "धर्म" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और यह एक ऐसा शब्द है जो शायद ही किसी कठोर परिभाषा के लिए अतिसंवेदनशील है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रथाएं, हालांकि धार्मिक हैं, केवल अंधविश्वासों से उत्पन्न हुई हैं और इस अर्थ में स्वयं धर्म के लिए बाहरी और अनावश्यक वृद्धि हो सकती हैं, जब तक कि ऐसी प्रथाओं को किसी धर्म का एक आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं पाया जाता है और अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण के लिए उनके दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुरक्षा ऐसी धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित होनी चाहिए जो इसका एक आवश्यक और अभिन्न अंग हैं और कोई अन्य नहीं।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 25 और 26 एक साथ नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं।यह निम्नानुसार देखा गयाः

डी.

ई.

च

“33. ... ...जब हम इस बिंदु पर विचार कर रहे हैं, तो संयोग से सावधानी बरतना और यह मानना अनुचित नहीं होगा कि जिन प्रथाओं पर विचार किया जा रहा है, उन्हें धर्म के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, उन्हें उक्त धर्म द्वारा इसका आवश्यक और अभिन्न अंग माना जाना चाहिए; अन्यथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं जो धर्म का आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं हैं, उन्हें भी धार्मिक रूप से पहना जाना उचित है और वे अनुच्छेद 26 के अर्थ के भीतर धार्मिक प्रथाओं के रूप में माने जाने का दावा कर सकते हैं।

जी.

47 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 388 48 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1402

एच.

इसी तरह, भले ही धार्मिक प्रथाएं केवल अंधविश्वासों से उत्पन्न हुई हों और इस मायने में धर्म के लिए बाहरी और अनावश्यक वृद्धि हो सकती हैं।जब तक कि ऐसी प्रथाएं न हों।

अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण के लिए उनके दावे की सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है; दूसरे शब्दों में, संरक्षण ऐसी धार्मिक प्रथाओं तक ही सीमित होना चाहिए जो एक आवश्यक और इसका एक अभिन्न हिस्सा हैं और कोई अन्य नहीं।” (जोर दिया गया)

112. श्री वेंकटरमण देवरू और ओआरएस बनाममैसूर राज्य

& ओआरएस। 49, जिस प्रश्न की जांच की गई वह यह था कि क्या अनुच्छेद 26 (बी) के तहत गारंटीकृत धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने का एक धार्मिक संप्रदाय का अधिकार अनुच्छेद 25 (2) (बी) द्वारा संरक्षित कानून के अधीन है, और उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।इस न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 26 संप्रदायों के अधिकारों की रक्षा करता है।इसे इस प्रकार देखा गयाः

ग

“29. परिणाम यह है कि समान अधिकार के दो प्रावधान हैं, जिनमें से कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है।सवाल यह है कि उनके बीच स्पष्ट संघर्ष को कैसे हल किया जाए।निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि यदि संभव हो तो दोनों पर प्रभाव डाला जा सके।इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है।इस नियम को लागू करते हुए, यदि अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो अनुच्छेद 25 (2) (बी) सांप्रदायिक मंदिरों पर लागू होने में पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा, हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस अनुच्छेद की भाषा में वे शामिल हैं।दूसरी ओर, यदि प्रत्यर्थियों का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो धर्म के सभी मामलों में अनुच्छेद 26 (बी) को पूरा प्रभाव दिया जा सकता है, केवल इसके अधीन रहते हुए कि उनमें से एक पहलू के संबंध में, पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश, अनुच्छेद 25 (2) (बी) के तहत घोषित अधिकार प्रबल होंगे।जबकि, पहले मामले में, अनुच्छेद 25 (2) (बी) को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, बाद में, उस प्रावधान और अनुच्छेद 26 (बी) दोनों को प्रभावी बनाया जा सकता है।हमें तदनुसार यह मानना चाहिए कि अनुच्छेद 26 (बी) को अनुच्छेद 25 (2) (बी) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।"

डी.

ई.

च

जी.

113. बाद के एक फैसले में तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज आदि के रूप में रिपोर्ट किया गया।राजस्थान राज्य और अन्य। **50,** नाथद्वार की वैधता

49 ए. आई. आर 1958 एस. सी. 255 50 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1638 ए

एच.

501

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

मंदिर अधिनियम, 1959 विचार का विषय था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण निरपेक्ष नहीं है और न्यायालय को यह पूछताछ करनी पड़ सकती है कि क्या विचाराधीन प्रथा धार्मिक है और क्या ऐसा है, क्या इसे धर्म का अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

"55. अनुच्छेद 25 और 26 इस देश के नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं।अनुच्छेद 25 (1) नागरिकों के विवेक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने के उनके अधिकार की रक्षा करता है।

हालाँकि, इस अधिकार को दिया गया संरक्षण पूर्ण नहीं है।यह.

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है जैसा कि अनुच्छेद 25 (1) स्वयं दर्शाता है।यह अनुच्छेद 25 (2) में निर्दिष्ट मौजूदा या भविष्य के कानूनों के अधीन भी है।

ग

XXX

XXX

XXX

57. इस सवाल को तय करने में कि क्या एक दिया गया धार्मिक

डी.

अभ्यास धर्म का एक अभिन्न अंग है या नहीं, परीक्षा हमेशा यह होगी कि धर्म का पालन करने वाले समुदाय द्वारा इसे ऐसा माना जाता है या नहीं।इस सूत्र में हो सकता है

कुछ मामलों में इसके संचालन में कठिनाइयाँ होती हैं।भोजन या पोशाक के संबंध में एक अभ्यास का मामला लें।.....इस प्रश्न का निर्णय हमेशा न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसा करने में न्यायालय को यह पूछताछ करनी पड़ सकती है कि क्या विचाराधीन प्रथा धार्मिक है।

ई.

चरित्र और यदि ऐसा है, तो क्या इसे धर्म का एक अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा माना जा सकता है, और ऐसे मुद्दे पर न्यायालय का निष्कर्ष हमेशा समुदाय की अंतरात्मा के बारे में उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य पर निर्भर करेगा और

च

उनके धर्म के सिद्धांत।यह इस संभावित जटिलता के आलोक में है जो कुछ मामलों में उत्पन्न हो सकती है कि इस न्यायालय ने दरगाह समिति अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली [(1962) 1 एस. सी. आर. 383 के मामले में पी.411] और यह मत व्यक्त किया कि जिन प्रथाओं को धर्म के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए, उन्हें उक्त धर्म द्वारा अपने आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए; अन्यथा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रथाएं जो धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं हैं, वे भी धार्मिक रूप से पहने जाने के लिए उपयुक्त हैं और अनुच्छेद 26 के अर्थ के भीतर धार्मिक प्रथाओं के रूप में माने जाने का दावा कर सकते हैं।"

जी.

एच.

114. आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और ओआरएस. वी.पुलिस आयुक्त, कलकत्ता और अन्र। 51, सवाल यह था कि क्या

तांडव नृत्य का प्रदर्शन एक धार्मिक संस्कार या अभ्यास है जो आनंद मार्ग के अनुयायियों की धार्मिक आस्था के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है।इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था, जब इस अदालत ने कहा था कि "यहां तक कि स्वीकार करना भी"

यह कि तांडव नृत्य को आनंद मार्ग के प्रत्येक अनुयायी के लिए एक धार्मिक संस्कार के रूप में निर्धारित किया गया है, यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं है कि सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है।

धार्मिक संस्कार का मामला "।बाद में, आचार्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में

जगदीश्वरानंद अवधूत-द्वितीय, यह माना गया था कि संरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटी केवल सिद्धांत या विश्वास के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों तक फैली हुई है और इसलिए इसमें उन अनुष्ठानों, अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के तरीकों की गारंटी है जो धर्म का आवश्यक या अभिन्न अंग हैं।धर्म का अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा क्या है, यह उसके सिद्धांतों, प्रथाओं, सिद्धांतों, दिए गए धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

डी.

“9. ... "धर्म के एक अनिवार्य भाग या प्रथाओं" का क्या अर्थ है, यह अब स्पष्ट करने का विषय है।एक धर्म के अनिवार्य भाग का अर्थ है मूल विश्वास जिन पर एक धर्म की स्थापना की जाती है।आवश्यक अभ्यास का अर्थ है वे प्रथाएँ जो किसी धार्मिक विश्वास का पालन करने के लिए मौलिक हैं।यह आवश्यक भागों या प्रथाओं की आधारशिला पर है कि किसी धर्म की अधिरचना का निर्माण किया जाता है, जिसके बिना कोई धर्म कोई धर्म नहीं होगा।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई भाग या अभ्यास किसी धर्म के लिए आवश्यक है, यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है कि क्या उस भाग या अभ्यास के बिना धर्म की प्रकृति बदल जाएगी।यदि उस भाग या प्रथा को हटाने से उस धर्म के चरित्र या उसके विश्वास में मौलिक परिवर्तन हो सकता है, तो ऐसे भाग को एक आवश्यक या अभिन्न अंग के रूप में माना जा सकता है।इस तरह के हिस्से में परिवर्धन या घटाव नहीं हो सकते क्योंकि यह उस धर्म का सार है और परिवर्तन इसके मौलिक चरित्र को बदल देंगे।ये ऐसे स्थायी आवश्यक भाग हैं जो संविधान द्वारा संरक्षित हैं।कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी के धर्म का एक आवश्यक हिस्सा या अभ्यास किसी विशेष तिथि या घटना से बदल गया है।इस तरह के परिवर्तनशील भाग या प्रथाएं निश्चित रूप से धर्म का "मूल" नहीं हैं, जिस पर विश्वास आधारित है और धर्म आधारित है।उन्हें केवल गैर-आवश्यक (एस. आई. सी. आवश्यक) भाग या प्रथाओं के लिए केवल अलंकरण के रूप में माना जा सकता है।"

ई.

च

जी.

51 (1983) 4 एससीसी 522 ए

एच.

503

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

115. संविधान पीठ के फैसले में यंग के रूप में रिपोर्ट किया गया

वकीलों का संगठन और अन्य। **(**सबरीमाला मंदिर**,** पुनः**)** बनाम राज्य

केरल और ओआरएस। 52, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

"208. खंड (1) में, अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को स्वीकार करने, उसकी रक्षा करने और प्रचार करने के लिए समान अधिकार की रक्षा करता है।सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करके, संविधान अधिकार की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देता है।सभी व्यक्तियों के लिए, संविधान का अर्थ ठीक वही है जो यह कहता हैःसमाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अधिकार का हकदार है।समान अधिकार की बात करके, संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक समान मंच पर रखता है।समानता की गारंटी होना

ग

कानून और अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण के समक्ष, मसौदा तैयार करने वालों ने विशेष रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार के एक आंतरिक तत्व के रूप में एक समान अधिकार के विषय को जारी रखा।अनुच्छेद 25 के खंड (1) की तीन परिभाषित विशेषताएं हैंःपहला, बिना किसी अपवाद के सभी व्यक्तियों का हक, दूसरा, एक समान हक की मान्यता; और तीसरा, विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार दोनों की मान्यता।अनुच्छेद 25 (1) के तहत अधिकार स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है, यह व्यक्ति में है जो एक विवेक में निहित है।इसके अलावा, यह वह व्यक्ति है जो धर्म को मानता है, उसका पालन करता है और उसका प्रचार करता है।अनुच्छेद 25 (1) में धार्मिक स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे संविधान प्रत्येक व्यक्ति या प्राकृतिक व्यक्ति में निवास के रूप में मान्यता देता है।

डी.

ई.

209. फिर भी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।क्योंकि संविधान ने स्पष्ट रूप से इसे एक ओर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन कर दिया है और दूसरी ओर भाग III के प्रावधानों के अधीन कर दिया है।धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन करना अनुच्छेद 14,15,19 और 21 में मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता के अन्य अधिकारों द्वारा कब्जा की गई स्थिति से एक सूक्ष्म विचलन है।अनुच्छेद 14 में समानता और कानूनों के समान संरक्षण और इसके उद्भव की गारंटी देते हुए, अनुच्छेद 15 में, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, संविधान समानता के इन बुनियादी मानदंडों को अन्य प्रावधानों के लिए शर्त नहीं देता है।

च

जी.

52 (2019) 11 एससीसी 1

भाग III का। अनुच्छेद 19 (1) द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के मामले में भी ऐसा ही है।अनुच्छेद 25 (1) के तहत धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन करना मूल सामग्री के बिना मामला नहीं था।जाहिर है, प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम में, धर्म की स्वतंत्रता का व्यक्तिगत अधिकार प्रबल होने का इरादा नहीं था, बल्कि भाग III के अन्य प्रावधानों में मान्यता प्राप्त समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल संवैधानिक अभिधारणाओं के अधीन था।

210. अनुच्छेद 25 का खंड (2) उन कानूनों की रक्षा करता है जो संविधान को अपनाने के समय मौजूद थे और भविष्य में कानून बनाने की राज्य की शक्ति, दो श्रेणियों से संबंधित है।उन श्रेणियों में से पहली में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाले कानून शामिल हैं जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हो सकते हैं।इस प्रकार, अनुच्छेद 25 (2) के उपखंड (ए) में, संविधान ने धार्मिक प्रथा के मामलों को धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से अलग किया है, जिसमें आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक प्रकृति के मामले भी शामिल हैं।"अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि" अभिव्यक्ति जो "आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक" अभिव्यक्ति का अनुसरण करती है, इंगित करती है कि धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के मामलों को कानून द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।तथ्य यह है कि ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ धार्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ी हुई हैं या, दूसरे शब्दों में, उन्हें विधायी विनियमन के दायरे से बाहर नहीं रखेंगी।दूसरी श्रेणी में (i) सामाजिक कल्याण और सुधार; या (ii) हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलने का प्रावधान करने वाले कानून शामिल हैं।"सामाजिक कल्याण और सुधार" अभिव्यक्ति केवल हिंदू धर्म के मामलों तक ही सीमित नहीं है।.....”

ग

डी.

ई.

च

116. बिजोए इम्मानुएल बनाम केरल राज्य 53 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

“अनुच्छेद 25 संविधान में विश्वास का एक अनुच्छेद है, जिसे इस सिद्धांत की मान्यता में शामिल किया गया है कि एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा देश के संविधान के तहत अपनी पहचान खोजने के लिए एक महत्वहीन अल्पसंख्यक की क्षमता है।इसे ध्यान में रखना होगा।

जी.

अनुच्छेद 25 की व्याख्या "।इस अदालत ने स्कूल की प्रार्थना में राष्ट्रगान नहीं गाने के लिए प्रभु के गवाहों से संबंधित छात्रों के अधिकार को बरकरार रखा, हालांकि छात्र राष्ट्रगान गाते समय खड़े थे।उक्त मामले में, राज्य सरकार का परिपत्र

53 (1986) 3 एससीसी 615 ए

एच.

दिनांक आई. डी. 1 में यह अनिवार्य किया गया था कि राज्य के सभी विद्यालयों में सुबह की सभा होगी और पूरा विद्यालय विधानसभा में राष्ट्रगान गाएगा।यह परिपत्र केवल धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सभी विद्यालयों के लिए था।उक्त निर्णय उठाए गए तर्कों के लिए कोई मदद नहीं करता है क्योंकि यह केवल धर्मनिरपेक्ष स्कूलों से संबंधित नहीं है।

117. इस प्रकार, संक्षेप में, आवश्यक धार्मिक अभ्यास सिद्धांत तब विकसित किया गया था जब राज्य धार्मिक स्थानों या धार्मिक उत्सवों या सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में कुछ प्रथाओं में हस्तक्षेप करता था या जहां ऐसी प्रथाएं मौलिक अधिकारों को कम करती थीं जैसे किः

(i) श्री शिरूर मठ में, क़ानून ने मठ के प्रबंधन में हस्तक्षेप किया।

ग

(ii) रतिलाल पनाचंद गांधी में, एक अधिसूचना के तहत जारी किया गया

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट को चुनौती दी गई थी जिसमें मंदिर और मठ शामिल थे जो सरकार को चैरिटी कमिश्नर के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार देते थे।

(iii) दरगाह समिति में, दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह दरगाह के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

डी.

((iv) तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज में,

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नाथद्वारा मंदिर की सभी संपत्तियां अपीलार्थी की निजी संपत्तियां हैं और राज्य विधानमंडल इस अधिनियम को लागू करने में सक्षम नहीं है। यह तर्क था कि भले ही नाथद्वारा मंदिर को एक सार्वजनिक मंदिर माना जाता था, लेकिन महांत या शेबियत के रूप में अपीलार्थी का महायाजक के पद के साथ-साथ मंदिर की संपत्तियों में लाभकारी हित था क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (च) और 31 (2) के तहत अपीलार्थी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

ई.

च

(v) दाउदी बोहरा में, संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन के हिस्से के रूप में अपने धार्मिक प्रमुख को समुदाय से बहिष्कार की शक्ति प्रदान करने वाले दाउदी बोहरा समुदाय के धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों को बरकरार रखा गया था।

जी.

(vi) तीन तलाक से संबंधित शायरा बानो का मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत दी गई लैंगिक समानता के संबंध में था।

एच.

118. उपर्युक्त मामलों में आवश्यक धार्मिक प्रथा (i) पूजा स्थलों के प्रबंधन का अधिकार, (ii) व्यक्तिगत पूजा स्थलों का अधिकार और (iii) धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कटौती से संबंधित है।अपीलार्थियों का दावा किसी धार्मिक संस्थान में धार्मिक गतिविधि करने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास के विश्वासियों से अपेक्षित सामाजिक आचरण के मामले के रूप में सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनने के लिए है।लेकिन वर्तमान में, छात्र राज्य के बजाय धर्म द्वारा विनियमित होने के लिए अपनी पसंद की पोशाक की स्वतंत्रता को कम करना चाहते हैं, जबकि वे वास्तव में एक सरकारी स्कूल के छात्र हैं। कानून के समक्ष समानता जाति, पंथ, लिंग या जन्म स्थान के बावजूद सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है।धार्मिक आस्था के आधार पर राज्य द्वारा इस तरह की समानता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

ग

119. संविधान ने अनुच्छेद 25 (2) को नकारात्मक रूप से लिखा है।अनुच्छेद 25 (2) (ए) धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के विनियमन के लिए सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रधानता देता है और अनुच्छेद 25 (2) (बी) "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" को प्रधानता देता है।दूसरे शब्दों में, यदि राज्य धर्म से जुड़े आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय या अन्य धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना चाहता है, तो प्रस्तावित अधिकार पर राज्य के कानून की प्रधानता होनी चाहिए।इसी तरह, यदि किसी धर्म की कोई विशेष प्रथा/विश्वास/हिस्सा अस्तित्व में है और उसे "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" के अधीन पाया जाता है, तो ऐसे अधिकार को "सामाजिक कल्याण" और "सुधार" को रास्ता देना होगा।

डी.

120. यह दोहराया जाता है कि अनुच्छेद 25 (2) का नकारात्मक होना स्पष्ट रूप से एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को उसमें उल्लिखित मामलों में शक्ति प्रदान करता है।उक्त प्रावधान विधायी या कार्यकारी शक्ति की प्रकृति में राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के अभाव में अनुच्छेद 25 (1) के तहत अन्यथा सकारात्मक अधिकार को कम या प्रतिबंधित नहीं करता है।

ई.

च

121. न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने केशवानंद भारती में सामाजिक क्रांति के संबंध में के. संथानम के कथन को उद्धृत किया था ताकि भारत को जन्म, धर्म, प्रथा और समुदाय जैसे कारकों के आधार पर मध्ययुगीनता से बाहर निकाला जा सके और कानून, व्यक्तिगत योग्यता और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की आधुनिक नींव पर उसकी सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण किया जा सके।मुझे लगता है कि धर्म को संकीर्ण सांप्रदायिक अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि हमारे लोकाचार को शामिल करके समझा जाना चाहिए कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है धर्मों के सभी मतभेदों से ऊपर उठना और अपने सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने का प्रयास करना, चाहे वे किसी भी धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के हों।राज्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की आस्था या विश्वास मायने नहीं रखता है।राज्य के लिए सभी समान हैं और सभी ए होने के हकदार हैं।

जी.

एच.

समान रूप से व्यवहार किया।सामाजिक न्याय, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था या पूजा और स्थिति और अवसर की समानता के संवैधानिक वादों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उसके धर्म, विश्वास या विश्वास को अपने विचार से पूरी तरह से अलग नहीं करता है।इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता के एक निष्क्रिय दृष्टिकोण से अधिक है।यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा है।इसलिए, राज्य का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को पाटना और सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समुदाय का विकास सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना है।122. अपीलकर्ताओं ने यह

तर्क देते हुए सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों के साथ भी तुलना की है कि चूंकि अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण I के संदर्भ में कृपाण की अनुमति है, इसलिए जो छात्र हिजाब पहनना चाहते हैं, उन्हें सिख छात्रों के अनुयायियों की तरह ही समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।पंजाब और हरियाणा की पूर्ण पीठ

ग

गुरलीन कौर और अन्य बनाम में उच्च न्यायालय।पंजाब राज्य और अन्य। 54 पकड़े गए

सिख धर्म के अनुयायियों के आवश्यक धार्मिक अभ्यास में बाल बिना काटे रखना शामिल है, जो सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांतों में से एक है।उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“128 भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत स्पष्टीकरण I के अवलोकन से पता चलता है कि सिखों द्वारा "कृपाण" पहनना और ले जाना सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाता है।ऐतिहासिक तथ्यों की जांच के दौरान, 'सिख धर्म' पर कानून, 'सिख रेहतमर्यादा'।"सिख अरदास" और सिख धर्म के लेखकों और विद्वानों के विचारों के अनुसार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "कृपाण" पहनना और ले जाना हालांकि सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन बालों को बिना बालों के बनाए रखने के महत्व और महत्व के करीब भी नहीं है।यदि भारत का संविधान स्वयं "कृपाण" पहनने और ले जाने को सिख धर्म के पेशे के एक हिस्से के रूप में मान्यता देता है, तो हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि बिना बाल पहने सिख धर्म के पेशे में एक मौलिक आवश्यकता के रूप में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।वर्तमान विवाद के लिए, हम तदनुसार मानते हैं कि बाल बिना काटे रखना सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांतों में से एक है।वास्तव में, यह निस्संदेह सिख धर्म की धार्मिक चेतना का एक हिस्सा है।"

ई.

च

जी.

एच.

54 2009 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 6132

508

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

123. ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है।इस प्रकार, उक्त निर्णय आज तक अंतिम है।वर्तमान अपीलों में मुद्दा सिख धर्म का पालन करने वाले लोगों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का नहीं है।उक्त धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को सुने बिना चर्चा करना उचित नहीं होगा।प्रत्येक धर्म की प्रथाओं की जांच केवल उसी धर्म के सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए।सिख धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को इस्लामी धर्म के विश्वासियों द्वारा हिजाब/हिजाब पहनने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

124. श्री मोहम्मद।निजामुद्दीन पाशा ने एल. आर. के माध्यम से एम. सिद्दीक (मृत) के रूप में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

ग

(राम जन्मभूमि मंदिर मामला) बनाम महांत सुरेश दास और अन्य। 55

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को धर्मशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"90. प्रस्तुतियों के दौरान, यह सामने आया है कि श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा चित्रित किए जाने वाले इस्लाम के चरम और यहां तक कि पूर्ण दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के मामले में इस्लामी कानून की एकमात्र उपलब्ध व्याख्या के रूप में सामने नहीं आता है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, इस न्यायालय के लिए धर्मशास्त्र के किसी क्षेत्र में प्रवेश करना और हदीस के दुभाषिये की भूमिका निभाना अनुचित है।असली परीक्षा यह है कि क्या जो लोग विश्वास करते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें उस स्थान की धार्मिक प्रभावशीलता में विश्वास है जहां वे प्रार्थना करते हैं।उस स्थान पर नमाज पढ़ने में उपासक के विश्वास और विश्वास को चुनौती नहीं दी जा सकती है जो उपासक के लिए एक मस्जिद है।इस न्यायालय के लिए इस आधार पर सवाल करना बेतुका होगा कि एक सच्चा मुसलमान ऐसी जगह पर प्रार्थना नहीं करेगा जो श्री मिश्रा द्वारा चुनिंदा रूप से विकसित सिद्धांत की चरम व्याख्या को पूरा नहीं करता है।एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में, एक संवैधानिक शासन के तहत स्थापित इस न्यायालय को धर्मशास्त्रीय सिद्धांत की कई संभावित व्याख्याओं में से एक को चुनने से बचना चाहिए और उपासक के विश्वास और विश्वास को स्वीकार करने के सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

91. इन सबसे ऊपर, धर्म का अभ्यास, इस्लाम कोई अपवाद नहीं है, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है। वास्तव में यही हमारे बहुलवादी समाज की ताकत है।सांस्कृतिक एकीकरण एक है

55 (2020) 1 एससीसी 1 ए

एच.

509

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

महत्वपूर्ण कारक जो धर्म के पालन के तरीके को आकार देता है।धार्मिक मान्यताओं की बहुवचन विविधता में, जैसा कि वे भारत में प्रचलित हैं, सांस्कृतिक एकीकरण को धार्मिक सिद्धांत की विनाशकारी विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके विपरीत, यह प्रक्रिया एक ऐसे देश के वास्तविक चरित्र को मजबूत और मजबूत करती है जो धार्मिक आस्थाओं और विचारों की विविधता को समायोजित, सहन और सम्मान करके अपनी एकता को बनाए रखने में सक्षम रहा है।श्री मिश्रा द्वारा किए गए निवेदन को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हो सकता है।हमारा न्यायालय एक संवैधानिक आदेश के आधार पर स्थापित है और इसका अस्तित्व है।धार्मिक सिद्धांत की पूर्ण और चरम रूप में व्याख्या करने और उपासकों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए न्यायालय का नेतृत्व करने के किसी भी प्रयास को हमें दृढ़ता से अस्वीकार करना चाहिए।संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतर्निहित मूल्यों के लिए कुछ भी इतना विनाशकारी नहीं होगा।"125. प्रचार किए गए प्रस्ताव को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिजाब पहनने की प्रथा एक 'धार्मिक प्रथा' या एक 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' हो सकती है या यह इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए सामाजिक आचरण हो सकता है।शिरस्त्राण पहनने के बारे में विश्वास करने वालों द्वारा की गई व्याख्या किसी व्यक्ति का विश्वास या विश्वास है।धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है।यह छात्रों के लिए खुला है कि वे उस स्कूल में अपनी आस्था बनाए रखें जो उन्हें हिजाब या कोई अन्य निशान, तिलक पहनने की अनुमति देता है, जिसकी पहचान किसी विशेष धार्मिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए की जा सकती है, लेकिन राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में यह निर्देश दे सकता है कि धार्मिक मान्यताओं के स्पष्ट प्रतीकों को राज्य द्वारा बनाए गए स्कूल में राज्य निधि से नहीं ले जाया जा सकता है।इस प्रकार, हिजाब पहनने की प्रथा को सरकारी आदेश के संदर्भ में राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

प्रश्न (v)-क्या अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार पारस्परिक रूप से अनन्य हैं या वे एक दूसरे के पूरक हैं; और क्या सरकारी आदेश अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों के लिए तर्कसंगतता के निषेधाज्ञा को पूरा नहीं करता है?

च

126. यह तर्क दिया जाता है कि एक नागरिक को न केवल अपनी पसंद की पोशाक पहनकर, बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में भी खुद को व्यक्त करने का अधिकार है, और यह कि ऐसी पोशाक जो दूसरों को यह पहचानने की अनुमति देती है कि वह एक विशेष समुदाय से संबंधित है, एक विशेष संस्कृति को अपनाती है, और उस संस्कृति के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

जी.

127. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो इस तरह की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करता है या उल्लंघन नहीं करता है।

एच.

कानून द्वारा निर्धारित शालीनता और नैतिकता के स्वीकृत मानदंड।यह तर्क दिया जाता है कि भारत की मिश्रित संस्कृति की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन संविधान में निहित अधिकारों के विपरीत, सरकारी आदेश के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप किया गया है।तर्क यह भी है कि क्या हिजाब पहनकर खुद को व्यक्त करने का यह अधिकार स्कूल के गेट पर रुकता है और स्कूल के गेट से परे, उसे दूसरों को यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक निश्चित संस्कृति को अपनाती है और वह उस संस्कृति के साथ खुद को पहचानना चाहती है।इस तरह की अभिव्यक्ति, उस समय जब अधिसूचना जारी की गई थी, न तो इसकी प्रवृत्ति थी, न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत था कि यह किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है, या शालीनता या नैतिकता का उल्लंघन करता है।उपरोक्त प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए अधिकार और कर्तव्य स्कूल गेट की सीमाओं को पार करते हैं।एक नागरिक या छात्र अपने मौलिक अधिकारों और संविधान के तहत गारंटीकृत सुरक्षा को नहीं छोड़ता है, जिसमें स्कूल परिसर में कदम रखते ही अपनी संस्कृति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एक नागरिक की विशिष्ट संस्कृति को दर्शाने वाले कपड़े पहनना, अनुच्छेद 29 (1) के तहत अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए एक नागरिक के मौलिक अधिकार के अनुरूप है और यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे उस संस्कृति को संरक्षित और संरक्षित करें जो भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा है।

ग

डी.

128. अपीलार्थियों का तर्क सरकारी आदेश दिनांक 1 की प्रस्तावना पर आधारित है जिसमें यह कहा गया था कि सिर पर स्कार्फ या सिर को ढंकने वाले कपड़े का निषेध संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है, इस तथ्य के अलावा कि यह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में है।यह भी तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकार ने पारित आदेश में

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए, राज्य सरकार बहस के दौरान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया का उल्लेख करना उचित नहीं है।दूसरे शब्दों में, राज्य आदेश में उल्लिखित कारणों को पूरा नहीं कर सकता है।

ई.

च

129. यह माना जाता है कि प्रस्तावना उच्च न्यायालयों के तीन निर्णयों को संदर्भित करती है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और इस न्यायालय के एक निर्णय को संदर्भित करती है।

आशा रंजन बनाम बिहार राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। 56.तर्क यह है कि फातिमा तसनीम (नाबालिग) और ए. एन. आर. बनाम.राज्य

जी.

केरल और ओआरएस। केरल उच्च न्यायालय की धारा 57 राज्य सरकार के रुख का समर्थन नहीं करती है, जबकि आशा रंजन में निर्णय नहीं है।

56 (2017) 4 एस. सी. सी. 397

57 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 5267 ए

एच.

511

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

इसलिए, हिजाब पहनने के संबंध में, यह बताने के लिए उक्त निर्णय पर भरोसा करना कि हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है, पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है।इस प्रकार राज्य उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष हिजाब का उपयोग करने के निषेध के समर्थन में कारणों का पूरक नहीं हो सकता है।

130. मोहिंदर सिंह गिल पर भरोसा रखा गया है और

एन**.** आर**.** वी**.**मुख्य चुनाव आयुक्त**,** नई दिल्ली और अन्य। **58,** जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कोई सांविधिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर आदेश देता है, तो इसकी वैधता को इस प्रकार उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे शपथ पत्र के रूप में या अन्यथा नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है।अन्यथा, शुरुआत में गलत आदेश, जब तक वह किसी चुनौती के कारण न्यायालय में आता है, तब तक बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है।

ग

131. मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्र। 59, यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही किसी अधिकार का अनुच्छेद 19 (1) में विशेष रूप से नाम नहीं दिया गया है, फिर भी यह उस अनुच्छेद के कुछ खंड द्वारा कवर किया गया एक मौलिक अधिकार हो सकता है, यदि यह एक नामित मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।यह देखा गया कि

डी.

“....बशर्ते कि जैसा भी हो, कानून अब तय हो गया है, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, कि भाग III का कोई भी अनुच्छेद एक द्वीप नहीं है, बल्कि एक महाद्वीप का हिस्सा है, और पूरे भाग का विवरण इन बुनियादी प्रावधानों की व्याख्या के लिए आवश्यक दिशा

और सुधार देता है।मनुष्य को अलग-अलग अंगों में विच्छेदित नहीं किया जा सकता है और इसी तरह, एक जैविक संविधान में प्रमुख अधिकार, जो मनुष्य को एक संश्लेषण बनाते हैं।यह प्रस्ताव निर्विवाद है कि अनुच्छेद 21, किसी दी गई स्थिति में, अनुच्छेद 19 को बाहर नहीं करता है यदि दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।"

ई.

132. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें अपने स्वयं के लिंग की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

च

“69. संविधान का अनुच्छेद 19 (1) कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की राज्य की शक्ति के अधीन है।अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो भारत का नागरिक नहीं है।अनुच्छेद 19 (1) उन महान बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है जिन्हें प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता और गारंटी दी जाती है।

जी.

58 (1978) 1 एससीसी 405 59 (1978) 1 एससीसी 248

एच.

512

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्थिति में।संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें अपने स्वयं के लिंग की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है।स्व-चिन्हित लिंग को पोशाक, शब्द, क्रिया या व्यवहार या किसी अन्य रूप के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन, किसी की व्यक्तिगत उपस्थिति या कपड़े पहनने की पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।"

133. देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम राज्य

महाराष्ट्र और ओआरएस। 60, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“93. अश्लीलता निर्धारित करने के लिए लागू होने वाले परीक्षण के बारे में कहने के बाद हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।"बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" शब्दों को "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता" के संयोजन शब्दों में जगह मिलती है, जो संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा हैं।प्रस्तावना की अपनी पवित्रता है और उक्त अवधारणाओं को प्रस्तावना में निहित किया गया है।XXX

ग

डी.

XXX

99. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) की व्याख्या करते हुए, परीक्षा हमेशा उक्त अनुच्छेद को प्रारंभिक उद्देश्यों की सहायता के लिए देखने के लिए होती है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं।अनुच्छेद 19 (1) (ए) आंतरिक रूप से प्रारंभिक उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है और यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान के मूल्यों को उत्तरोत्तर महसूस करे।

ई.

संविधान।मेनका गांधी बनाम भारत संघ में [मेनका]

गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248], यह आयोजित किया गया हैः(एस. सी. सी. पी. 280, पैरा 5)

च

"5. ... वास्तव में यह देखना मुश्किल है कि हम किस सिद्धांत पर अनुच्छेद 21 में उपयोग की गई 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति को उसका स्पष्ट स्वाभाविक अर्थ देने से इनकार कर सकते हैं और इसे संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थों में पढ़ सकते हैं ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उन लक्षणों को बाहर किया जा सके जो विशेष रूप से अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं।हमें नहीं लगता कि यह मौलिक अधिकारों को प्रदान करने वाले संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का सही तरीका होगा।न्यायालय का प्रयास मौलिक अधिकारों की पहुंच और दायरे का विस्तार करना होना चाहिए न कि उन्हें कम करना चाहिए।

जी.

60 (2015) 6 एससीसी 1 ए

एच.

513

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

न्यायिक निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अर्थ और विषय-वस्तु।मौलिक अधिकारों के दायरे और दायरे को समझने के लिए तरंग दैर्ध्य इस न्यायालय द्वारा आर. सी. कूपर में निर्धारित किया गया है।

मामला [रुस्तम कवासजी कूपर बनाम भारत संघ, (1970) 2

एस. सी. सी. 298] और. कि प्रत्येक स्वतंत्रता के अलग-अलग आयाम हैं और विभिन्न मौलिक अधिकारों के बीच अतिव्यापी हो सकता है और इसलिए यह कहना एक वैध तर्क नहीं है कि अनुच्छेद 21 में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए ताकि उस अनुच्छेद और अनुच्छेद 19 (1) के बीच अतिव्यापी से बचा जा सके।अनुच्छेद 21 में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति सबसे व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं और उनमें से कुछ के पास हैं।"

ग

134. सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 61 में, यह न्यायालय

उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण हो।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

डी.

"81. व्यवहार में भी, इस तरह के दावों को काफी शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है।एक अपेक्षाकृत सजातीय समाज का होना अनुकूल नहीं हो सकता है।यह धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा सकता है जो मानव जाति के लिए अभिशाप है।धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक स्कूल या कॉलेज, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग संकाय या विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और वे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।वे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और

समानता की केंद्रीय अवधारणा के साथ असंगत होंगे।प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है।छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण घटक हैं।यही वह जगह है जहाँ वे दूसरों की संस्कृतियों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करते हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण होना चाहिए।"

ई.

च

135. नवतेज सिंह जौहर और ओआरएस बनामभारत संघ 62,

जी.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख यह देखने के लिए किया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बोलने, व्यवहार, व्यवहार, प्रस्तुति और कपड़ों आदि के माध्यम से अपने स्वयं के लिंग को व्यक्त करने का अधिकार है। ने कहा कि

61 (1992) 1 एससीसी 558 62 (2018) 10 एससीसी 1

एच.

514

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

निर्णय पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया था कि एक विशेष कपड़े पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित गरिमा के अधिकार से निकलता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 641.2.राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ [राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, (2014) 5

एस. सी. सी. 438], इस न्यायालय ने नोट किया कि लिंग पहचान व्यक्तिगत पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू है और एक व्यक्ति के लिए अंतर्निहित है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भाषण, व्यवहार, व्यवहार, प्रस्तुति और कपड़ों आदि के माध्यम से अपने स्वयं की पहचान वाले लिंग को व्यक्त करने का अधिकार है। [इबिद, पैरा 69-72।]न्यायालय ने यह भी कहा कि लैंगिक पहचान की तरह, यौन अभिविन्यास किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, और यह आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता का एक बुनियादी पहलू है।[आई. बी. आई. डी., पैरा 22]के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एस. सी. सी. 1, पैरा 144,145 और 647 में संविधान पीठ ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की कि यौन अभिविन्यास किसी के व्यक्तित्व और पहचान का अभिन्न अंग है।]."

ग

डी.

136. इस अधिनियम का उद्देश्य छात्रों के मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में शैक्षणिक संस्थानों पर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना है।इसलिए, अनुशासन और नियंत्रण शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में है, न कि छात्रों के संबंध में।अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में, राज्य सरकार का प्रयास विकलांगों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, जबकि धारा 7 के तहत पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत निहित नागरिकों के कर्तव्यों की भावना को विकसित करना शामिल है।यह भी बताया गया है कि राज्य अपने सामाजिक दायित्वों के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को वर्दी प्रदान करता है और जाति, पंथ, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के साथ समानता बनाए रखता है।

ई.

च

137. अधिनियम की धारा 15 (बी) और 39 (बी) और (सी) किसी अनुमोदित स्कूल में बच्चे की गैर-उपस्थिति के लिए उचित बहाने के लिए परिस्थितियों का वर्णन करती हैं।एक स्वीकृत बहाना यह है कि जब उसके माता-पिता द्वारा अनुमोदित धार्मिक निर्देशों को अनिवार्य कर दिया जाता है।धारा 39 (1) (बी) और (सी) ऐसे स्कूलों की मान्यता वापस लेने से संबंधित है जो धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार करते हैं या जहां ए में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

जी.

एच.

515

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी प्रचार या प्रथा का शिक्षण संस्थान।

138. नियमों के नियम 11 में निजी संस्थानों सहित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को वर्दी लिखने का आदेश दिया गया है। एक बार वर्दी तय हो जाने के बाद, यह प्रावधान किया जाता है कि इसे अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए नहीं बदला जाएगा और जब इसे बदलने का इरादा होगा, तो इसके लिए माता-पिता को कम से कम एक साल पहले नोटिस दिया जाएगा।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि हिजाब की अस्वीकृति के संबंध में विनिर्देशों को शैक्षणिक अनुभाग के अंत में अचानक लागू किया गया था और यह पूर्वव्यापी रूप से भी लागू किया गया था जब लड़कियों को 31.12.2021 पर या उसके आसपास स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, हालांकि सरकारी आदेश को 5.2.2022 पर अधिसूचित किया गया था।

ग

139. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों में मुझे कोई योग्यता नहीं मिलती है।सरकारी आदेश राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है।किसी क़ानून, नियमों और वैधानिक आदेश के अधिनियमन के कारणों को इसका हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है।जब संवैधानिकता का मुद्दा उठाया जाता है, तभी कार्यपालिका को की गई कार्रवाई की वैधता के बारे में न्यायालय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है।हालाँकि, अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने के अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार भी अनुच्छेद 19 के उपखंड (2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। राज्य ने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इसे इस तरह से विनियमित किया है कि कार्य दिवसों पर स्कूल के घंटों के दौरान और कक्षा में छात्र निर्धारित वर्दी पहनेंगे।चूंकि यह वर्दी पहनने के लिए एक नियामक प्रावधान है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा कॉलेज विकास समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करने का निर्णय कि छात्र निर्धारित के अनुसार वर्दी पहनें, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को मजबूत करता है।महाविद्यालय विकास समिति का गठन वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में किया गया है और इसलिए, राज्य का यह निर्देश कि महाविद्यालय विकास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र निर्धारित पोशाक पहनें, संविधान के भाग III का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।140. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 63 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अनुच्छेद 19 (1) (ए) के आक्रमण की परीक्षा की पीठ और पदार्थ के सिद्धांत की परीक्षा द्वारा जांच की जानी आवश्यक है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

डी.

ई.

च

जी.

63 (1980) 2 एस. सी. सी. 684

एच.

516

“60. ऊपर देखे गए मामलों के सर्वेक्षण से, एक व्यापक परीक्षण जिसे तैयार किया जा सकता है, को निम्नानुसार दोहराया जा सकता हैः

“क्या विवादित कानून, अपने सार और सार में, चाहे उसका रूप और उद्देश्य कुछ भी हो, अनुच्छेद 19 (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित है?यदि ऐसा होता है, तो क्या यह उन अधिकारों में से किसी को कम करता है या निरस्त करता है?और भले ही वह अपने सार में, अनुच्छेद 19 (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, क्या उन अधिकारों में से किसी को कम करने या निरस्त करने जैसे विवादित कानून का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव है?"

केवल यह तथ्य कि विवादित कानून संयोग से, दूर से या संपार्श्विक रूप से उन अधिकारों को कम करने या निरस्त करने का प्रभाव रखता है, परीक्षण को संतुष्ट नहीं करेगा।यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो विवादित कानून को वैध होने के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत तर्कसंगतता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।लेकिन यदि अनुच्छेद 19 के खंड (1) के तहत किसी भी अधिकार पर कानून का प्रभाव केवल आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या संपार्श्विक है और उन कारकों पर निर्भर है जो अमल में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो अनुच्छेद 19 का प्रावधान इसकी वैधता का न्याय करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

ग

डी.

(जोर दिया गया)

141. यह देखा जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम के तहत जारी किए गए अधिनियम, नियम और आदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन, विकास, अनुशासन और नियंत्रण के लिए बनाए गए थे।इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा और इसके विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समग्र विकास को प्रोत्साहित करना था।वर्दी का निर्धारण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक आकस्मिक कार्रवाई है। इसलिए, बचन सिंह को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकार पर कुछ आकस्मिक प्रभाव को अनुचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है।

ई.

च

142. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है मौखिक, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार।इसमें संचार की स्वतंत्रता और अपनी राय का प्रचार या प्रकाशन करने का अधिकार शामिल है।विचारों का संचार किसी भी माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिका या फिल्म के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि ऐसा अधिकार संविधान 64 के अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

जी.

64 एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य, (1989) 2 एससीसी 547 ए

143. इसके अलावा, के. एस. पुट्टास्वामी की संविधान पीठ के फैसले में निहित निजता के अधिकार को वर्तमान अपीलों में संविधान के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया:

"298. .....अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का हकदार है।अनुच्छेद 21 के संयोजन में पढ़ने पर, स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का चयन करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कोई क्या और कैसे खाएगा, कोई कैसे कपड़े पहनेगा, कोई किस विश्वास का समर्थन करेगा और एक असंख्य अन्य मामला जिस पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की आवश्यकता होती है।अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है।ये कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह से गोपनीयता स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाती है और स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आंतरिक है।संविधान में एक अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें बताता है कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।न ही हमने भाग III के प्रावधानों को गोपनीयता के अल्फा-वर्धित अधिकार के साथ टैग किया है:यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है।गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है।दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है।निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है।यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है।

ग

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

च

377. यह बिना कहे चला जाता है कि कोई भी कानूनी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है।हर अधिकार की सीमाएँ होती हैं। मामले के इस पहलू को बार में स्वीकार किया जाता है। इसलिए निजता के मौलिक अधिकार की भी सीमाएँ हैं।दावा किए गए गोपनीयता हित की प्रकृति के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर सीमाओं की पहचान की जानी है।मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए समीक्षा के विभिन्न मानक हैं।जबकि तर्कसंगतता की अवधारणा भाग III पर हावी है, यह लेखों में अलग-अलग तरीके से काम करती है (भले ही उनमें से कुछ में थोड़ा अलग हो)।निजता के मौलिक अधिकार को समाहित करने के लिए संविधान की स्वतंत्रता की गारंटी की जोरदार व्याख्या करने के बाद, मेरे लिए यह आवश्यक है कि

जी.

एच.

निजता के इस तरह के अधिकार को किस तरह सीमित किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार करें।मैं ऐसा केवल बहस की दिशा को इंगित करने के लिए करता हूं क्योंकि यहाँ सीमा की प्रकृति का कोई मुद्दा नहीं है।

XXX

XXX

XXX

526. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा अधिकार निरपेक्ष है।यह अधिकार राज्य के वैध हितों या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए राज्य द्वारा बनाए गए उचित नियमों के अधीन है।हालाँकि, जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो विभिन्न लेखों की कवायद जिसका अधिकार संबंधित है, का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।उदाहरण के लिए, यदि गोपनीयता पर प्रतिबंध मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर है जो किसी व्यक्ति को करना है, तो राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद 21 के तहत रोका जा सकता है यदि यह मनमाना और अनुचित है; और अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद 21 के तहत केवल तभी जब यह अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित विषयों से संबंधित है और इस न्यायालय द्वारा इस तरह के कानून या अधीनस्थ कानून को उक्त लेख के तहत पारित करने के लिए निर्धारित परीक्षणों से संबंधित है।अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के तहत इस न्यायालय द्वारा विकसित प्रत्येक परीक्षण, कानून या कार्यकारी कार्रवाई; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ पठित अनुच्छेद 21 को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य कार्रवाई को पारित कर सके।अंतिम विश्लेषण में, व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाने का कार्य न्यायिक मस्तिष्क के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

639. निजता का अधिकार जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निरपेक्ष नहीं है।संविधान के भाग III में आने वाला निजता का अधिकार, इसके परिवर्तनीय तथ्यों के आधार पर, एक या दूसरे भाग में निहित हो सकता है, और इस प्रकार उस विशेष मौलिक अधिकार के प्रयोग के प्रतिबंधों के अधीन होगा।इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा एक स्पष्ट प्रतिबंध होगा, इसलिए विभिन्न मौलिक अधिकारों के प्रावधान भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि निजता का अधिकार कहां से उत्पन्न होगा।जनहित तत्व एक अन्य पहलू होगा।"

च

144. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 65 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक संविधान पीठ के फैसले में, इस न्यायालय ने कहा कि अब यह नहीं कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा अलग-अलग समूहों में आती है।इसके विपरीत, ये अधिकार मिलकर राज्य प्राधिकरणों द्वारा ज्यादतियों के खिलाफ एक व्यापक गारंटी प्रदान करते हैं। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

जी.

65 (1999) 7 एससीसी 580 ए

एच.

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

“60. यह स्पष्ट है कि अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा अलग-अलग पूल में आती है।इसके विपरीत, ये अधिकार मिलकर राज्य अधिकारियों द्वारा ज्यादतियों के खिलाफ एक व्यापक गारंटी प्रदान करते हैं।इस प्रकार मेनका गांधी के मामले के बाद यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का विकास ऐसा रहा है कि इसमें अधिकारों की व्याख्या अलग-अलग सुरक्षा के रूप में शामिल नहीं है जो सीधे उत्पन्न होती है, लेकिन वे सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में राज्य शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक व्यापक परीक्षण बनाते हैं जो एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में होता है।इसलिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को काफी बढ़ाया गया है।"

ग

145. इस प्रकार, इस देश के नागरिकों के अधिकारों को एक या दूसरे अधिकार में विभाजित नहीं किया जा सकता है।नागरिकों के अधिकारों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि संविधान के भाग III को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ प्रदान किया जा सके।इस प्रकार, संविधान के भाग III के तहत सभी मौलिक अधिकारों को एक दूसरे की सहायता के लिए पढ़ा जाना चाहिए।वे अधिकारों का एक गुलदस्ता हैं जिन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और इन्हें समग्र रूप से एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

डी.

146. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौलिक अधिकारों में से कोई भी निरपेक्ष नहीं है।उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिकार में कटौती की अनुमति है जो तर्कसंगतता की कसौटी का सामना कर सकती है।सरकारी आदेश का उद्देश्य और उद्देश्य केवल निर्धारित वर्दी का पालन करके छात्रों के बीच एकरूपता बनाए रखना है।यह उचित है क्योंकि इसका प्रभाव अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार के विनियमन पर पड़ता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों के लिए तर्कसंगतता के निषेधाज्ञा को पूरा करते हैं।

ई.

च

प्रश्न (vi)-क्या सरकारी आदेश प्रस्तावना के तहत बंधुत्व और गरिमा के संवैधानिक वादे के साथ-साथ अनुच्छेद 51-ए उपखंड (ई) और (एफ) के तहत गिने गए मौलिक कर्तव्यों को बाधित करता है?

जी.

147. श्री अहमदी ने तर्क दिया है कि विवादित सरकारी आदेश दिनांक 5.2.2002 प्रस्तावना में उल्लिखित "बंधुत्व" के संवैधानिक वादे के साथ-साथ अनुच्छेद 51 ए (ई) और (एफ) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में बाधा डालता है।यह तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व असमानताओं के प्रति क्षैतिज और सामाजिक संवेदनशीलता का आह्वान करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की त्रिमूर्ति है।यह तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता है

एच.

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की; समानता स्थिति और अवसर की है; और बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है।

148. इंद्र साहनी में, माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत ने अपने आदेश में

उन्होंने कहा कि "असमानता बंधुत्व के पक्ष में नहीं है, और एकता बिना बंधुत्व के एक सपना बनी हुई है।इसलिए, संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व का लक्ष्य तब तक अप्राप्य रहना चाहिए जब तक कि सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं की जाती है।" (पैरा 412)।

149. इस अदालत ने एक फैसले में सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में रिपोर्ट किया

v. भारत संघ, विधि और अन्य मंत्रालय। 66 को व्याख्या करने का अवसर मिला

ग

"बंधुत्व" शब्द (सी. ए./के. क्यू. आर. के.) संवैधानिक मूल्य के रूप में है जिसे लोगों द्वारा स्वयं अपने सामाजिक व्यवहार के हिस्से के रूप में विकसित किया जाना है।एकर एकरूपता के नस्ल के बारे में सकारात्मक रूप से समझना चाहिए न कि असहमति और विविधता को रौंदने के लिए।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"153. संवैधानिक कानून के इतिहास में "बंधुत्व" शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है।वास्तव में, यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रमुखता में आया है।रिपब्लिकन फ्रांस का आदर्श वाक्य प्रतिध्वनित होता हैः"लिबर्टे, égalité, fraternité, या "स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व"।"बंधुत्व" शब्द का संवैधानिक स्पेक्ट्रम में एक सक्रिय प्रभाव पड़ता है।प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए बंधुत्व को बढ़ावा देना एक संवैधानिक कर्तव्य है।यह कहा जाए कि बंधुत्व एक प्रारंभिक प्रतिज्ञा है।

डी.

ई.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

156. एक अवधारणा के रूप में बंधुत्व अन्य संवैधानिक लक्ष्यों से विशिष्ट रूप से अलग है।एक संवैधानिक अवधारणा के रूप में इसका अन्य अवधारणाओं के साथ घनिष्ठ संबंध है।और इसलिए, इसे एकरूपता की नस्ल में सकारात्मक अर्थों में समझा जाना चाहिए न कि असहमति और विविधता को रौंदने के लिए।यह न तो अलग है और न ही अकेला है।बंधुत्व के विचार को एक संवैधानिक मानदंड और एक नियम के रूप में मान्यता दी गई है।यह एक संवैधानिक गुण है जिसे बनाए रखने और पोषित करने की आवश्यकता है।

च

जी.

157. यह एक संवैधानिक मूल्य है जिसे लोगों द्वारा स्वयं अपने सामाजिक व्यवहार के एक भाग के रूप में विकसित किया जाना है।वहाँ हैं।

66 (2016) 7 एससीसी 221 ए

एच.

521

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

विचार के दो स्कूल; एक व्यक्तिगत उदारीकरण का प्रचार कर रहा है और दूसरा सामूहिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की सुरक्षा की वकालत कर रहा है।व्यक्ति को संविधान के तहत सभी अधिकार होने चाहिए लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक हित को मजबूत करने वाले आवश्यक भाईचारे जैसे संवैधानिक मूल्यों पर खरा उतरे।भ्रातृत्व का अर्थ है भाईचारा और साझा हित।निंदा और आलोचना करने का अधिकार बंधुत्व को बढ़ावा देने के संवैधानिक उद्देश्य के साथ संघर्ष नहीं करता है।भाईचारा रद्द और रद्द नहीं करता है

आलोचना की अवधारणा।वास्तव में, भाई आलोचनात्मक हो सकते हैं और होने चाहिए।दोष-खोज और असहमति की आवश्यकता तब भी होती है जब यह किसी व्यक्ति की अशांति या सामूहिक अशांति की ओर ले जाती है।दुश्मन एनिग्मास वनगिनीज कुछ लोगों की ओर से बंधुत्व के विचार में सेंध नहीं लगाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विसंगत नोट रखने की स्वतंत्रता दूसरों को बदनाम करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।एक व्यक्ति की गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ग

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

डी.

161. संविधान के तहत बंधुत्व की अवधारणा प्रत्येक नागरिक से दूसरे की गरिमा का सम्मान करने की अपेक्षा करती है।आपसी सम्मान भाईचारे का आधार है जो गरिमा का आश्वासन देता है।इसका मतलब यह नहीं है कि असहमति या मतभेद या विसंगति या एक अलग आवाज नहीं हो सकती है।यह नहीं बताता है कि सभी को कोरस में शामिल होना चाहिए या एक ही गीत गाना चाहिए।निसन्देह नहीं।हर किसी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के विचार में निहित संवैधानिक मूल्य को बनाए रखना भी आवश्यक है।संविधान के तहत बंधुत्व के विचार को बढ़ावा देने के लिए कोई भी बाध्य है।यह एक संवैधानिक दायित्व है।"150. प्रथम राज चौहान बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया गया है। 67 जिसमें यह देखा गया है कि एक प्रारंभिक आश्वासन है कि गणतंत्र वह होगा जो अपने लोगों को स्वतंत्रता, गरिमा, स्थिति की समानता और अवसर और भाईचारे की गारंटी देता है।यह भाईचारा है, जो भाग III के प्रावधानों के माध्यम से मार्मिक रूप से अंतर्निहित है, जो सच्ची समानता का आश्वासन देता है, जहां राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है, सभी को समान स्वतंत्रता के साथ विकास और समृद्धि के लाभों का आश्वासन देता है, और इससे भी अधिक, जो गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक अन्य नागरिक के साथ समान व्यवहार करता है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

च

जी.

67 (2020) 4 एस. सी. सी. 727

एच.

“15. ..... यही कारण है कि प्रारंभिक आश्वासन कि गणतंत्र वह होगा जो अपने लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है,

गरिमा, स्थिति की समानता और अवसर और बंधुत्व।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

17. इस प्रावधान का निर्माण-और अन्य, मेरे विचार में, संविधान निर्माताओं द्वारा इस देश को दी गई प्रस्तावना दृष्टि की त्रिमूर्ति से प्रेरित है।..... मेरी राय में, तीनों-स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।स्वतंत्रता या बंधुत्व के बिना समानता का अधिकार-जैसा कि वर्तमान में ज्ञात अवधारणा को हर तरह से बराबर के बीच समानता तक सीमित कर दिया जाएगा-संविधान के भव्य दृष्टिकोण का एक मात्र हिस्सा होगा।इसी तरह, समानता या बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता, मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने में अच्छी तरह से परिणाम दे सकती है और इससे भी बदतर, समाज की सबसे बुनियादी प्रथाओं में लिप्त होने का लाइसेंस हो सकता है।यह भाईचारा है, जो भाग III के प्रावधानों के माध्यम से मार्मिक रूप से अंतर्निहित है, जो सच्ची समानता का आश्वासन देता है, जहां राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है, सभी को समान स्वतंत्रता के साथ विकास और समृद्धि के लाभों का आश्वासन देता है, और इससे भी अधिक, जो गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक दूसरे नागरिक के साथ समान व्यवहार करता है।

ग

डी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ई.

34. ..... यह एक खंडित समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए है, जो संविधान के ऐसे प्रावधानों को व्यक्त करता है जो प्रस्तावना में निर्दिष्ट बंधुत्व के विचार को प्रभावी बनाते हैं, और अधिनियम जैसे क़ानून बनाए गए हैं।ये यह सुनिश्चित करने के सामाजिक-बल्कि सामूहिक संकल्प को रेखांकित करते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ मनुष्य के रूप में व्यवहार किया जाए, कि उनकी जन्मजात प्रतिभा को समान अवसरों के माध्यम से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए और उनमें से प्रत्येक अपने सपनों का पीछा करने में निडर हो।हम में से प्रत्येक को रोजमर्रा की जिंदगी में जिस सवाल का जवाब देना है, वह यह है कि क्या जाति पहचान के आधार पर बहिष्कार की मौजूदा स्थिति को लोकतंत्र में बने रहने दिया जा सकता है जो समानता और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है?यदि हाँ, तो कब तक?और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के सभी वर्गों के बीच भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है, (बंधुत्व की) अवधारणा को एक अनुष्ठानिक औपचारिकता, एक मौन स्वीकृति, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की "अन्यता" तक कम किए बिना।"

च

जी.

एच.

523

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

151. विवादित सरकारी आदेश को विविधता का विरोधी सिद्धांत कहा गया था, हालांकि यह गलत तरीके से समझे गए भ्रातृ व्यवहार पर आधारित था, जब यह कहा गया था कि कर्नाटक राज्य में पढ़ने वाले सभी स्कूली छात्रों को भ्रातृ तरीके से व्यवहार करना चाहिए, अपनी समूह पहचान को पार करना चाहिए और सामाजिक न्याय के प्रति अभिविन्यास विकसित करना चाहिए।यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी आदेश से पता चलता है कि सभी मतभेदों को पूरी तरह से मिटाने से बंधुत्व की नैतिकता की सबसे अच्छी सेवा होती है।इसका मतलब यह नहीं है कि 'मतभेदों से बाहर निकलना', या जबरन आत्मसात करना।तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ, 68 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे संविधान का उद्देश्य विविधता में एकता है और विविधताओं को आत्मसात करके भारतीयों के बीच एकता को समृद्ध करने की किसी भी विभाजक प्रवृत्ति को बाधित करना है।यह भी तर्क दिया गया कि सरकारी आदेश 'एकता' और 'एकरूपता' शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करता है और एकरूपता एक संवैधानिक या वैधानिक जनादेश नहीं है, और इसका एकता के साथ कोई संबंध नहीं है।यह तर्क दिया जाता है कि आवाज़ों की बहुलता एक उदार लोकतंत्र के संवैधानिक विचार का जश्न मनाती है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

डी.

“21. विभिन्न रूपों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक विचारों के विकास के लिए बहुत ही बीज है।आवाजों की बहुलता एक उदार लोकतंत्र के संवैधानिक विचार का जश्न मनाती है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए।यही हमारे राष्ट्र का विचार और सार है जिसे रवींद्रनाथ टैगोर से जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग या धर्म की "संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित" नहीं किया जा सकता है।बहुलवाद और सहिष्णुता आवश्यक गुण हैं और वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण खंडों का गठन करते हैं।यह दृढ़ता से कहा जाना चाहिए कि एक गतिशील समकालीन संवैधानिक लोकतंत्र विचार और दृष्टिकोण में बहुलवाद को समायोजित करने की आवश्यक विशेषता को आत्मसात करता है ताकि सामंजस्य और एकता को बनाए रखा जा सके।हठधर्मी मानसिकता से उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता उथल-पुथल के बीज बोती है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव डालती है।इसलिए, सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए।

ई.

च

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एच.

68 (2018) 9 एस. सी. सी. 501

524

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

26. इस स्थिति में, हमारे देश के साथी नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने और बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की जानी चाहिए, जो विभिन्न जातियों, पंथ और नस्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और कई भाषाओं

का उपयोग करते हैं।यह कहना आवश्यक है कि हमारे देश को एकजुटता और सद्भाव की भावना को बनाए रखना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए और उसका जश्न मनाना चाहिए ताकि सामूहिक चरित्र में एकता की भावना स्थापित हो सके।इस तरह के सामंजस्य और समझ के बिना, हम अनजाने में आपदा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ग

28. "राष्ट्र के संदर्भ में "एकता" का अर्थ है साथी नागरिकों के बीच एकता।इसका तात्पर्य नागरिकों के एकीकरण से है जिससे नागरिक साथी नागरिकों के साथ बंधन की भावना के साथ "हम" की भावना को अपनाते हैं जो निश्चित रूप से भारतीय समाज को एकजुट रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खेम ने कहा है कि जब एकता विषमता और विविधता पर आधारित होती है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से जैविक एकजुटता के रूप में वर्णित किया जा सकता है।दुर्खेम का दृष्टिकोण भारतीय समाज के संदर्भ में स्वीकार्य होगा क्योंकि यह पूरी तरह से जैविक सामाजिक एकजुटता को प्रदर्शित करता है।

डी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ई.

31. विविधता में एकता को भारत के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में पहचाना जाना चाहिए जो विभिन्न और विभिन्न प्रकार के लोगों को मानवता के पवित्र धागे में बांधता है।यह विविधता हमारे राष्ट्र की ताकत है और इस ताकत को महसूस करने के लिए, यह अपरिहार्य है कि हम इसे बनाए रखें और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को छोड़ दें।यह याद रखना होगा कि "विविधता में एकता" की अनूठी विशेषता नागरिकों में दूसरों की राय और पसंद का सम्मान करने का गुण पैदा करती है।इस तरह का सम्मान बहुलता की स्वीकृति की भावना को आत्मसात करता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर और भाईचारे और सौहार्द की भावना को प्रेरित करके सहिष्णुता के विचार को बढ़ाता है।"

च

152. इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा रखा गया है।

जी.

सेंट स्टीफंस कॉलेज, काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री आदि विशेश्वर, और कर्नाटक राज्य और अन्न बनाम।डॉ. प्रवीण

भाई थोगाडिया 69 जिसमें विविधता में एकता की अवधारणा को संवैधानिक उद्देश्य माना गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि विविधता में एकता है

69 (2004) 4 एससीसी 684 ए

एच.

525

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

भारत के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार जो विभिन्न और विभिन्न प्रकार के लोगों को मानवता के पवित्र धागे में बांधता है। विविधता में एकता नागरिकों में दूसरों की राय और पसंद का सम्मान करने का गुण पैदा करती है।इस तरह का सम्मान बहुलता की स्वीकृति की भावना को आत्मसात करता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर और भाईचारे और सौहार्द की भावना को प्रेरित करके सहिष्णुता के विचार को बढ़ाता है।

153. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि स्कूल विविधता और आलोचनात्मक सोच के स्थान हैं।यह भ्रातृ मुक्त सोच वाला सार्वजनिक स्थान है क्योंकि ज़रूरतें और अपेक्षाएँ अलग-अलग हैं।नीति में 'वर्दी' या 'अनुशासन' का उल्लेख नहीं है।भारतीय शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाले मौलिक सिद्धांत इस प्रकार हैंः

ग

“2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में फलने-फूलने में सक्षम हैं, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश;

डी.

नैतिकता और मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक, भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय;

6.12.शिक्षकों, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और सलाहकारों द्वारा लाई गई इस नई स्कूली संस्कृति के साथ-साथ एक समावेशी स्कूली पाठ्यक्रम लाने के लिए संबंधित परिवर्तनों के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाया जाएगा।स्कूली पाठ्यक्रम में सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानवाधिकार, लिंग, समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेश और समानता जैसे मानवीय मूल्यों पर सामग्री शामिल होगी।इसमें विविधता के प्रति सम्मान को संवेदनशील बनाने और विकसित करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग पहचान आदि का अधिक विस्तृत ज्ञान भी शामिल होगा।स्कूली पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा और अधिक सामग्री शामिल की जाएगी जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित हो।

ई.

च

जी.

3.4.एक बार बुनियादी ढांचा और भागीदारी स्थापित हो जाने के बाद, छात्रों को बनाए रखने में गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि वे (विशेष रूप से, अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की लड़कियां और छात्र) स्कूल जाने में रुचि न खोएं।इसके लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान वाले शिक्षकों को उच्च ड्रॉपआउट वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी

एच.

दरों के साथ-साथ पाठ्यक्रम को और अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए उसमें बदलाव करना।"

154. के. एस. पुट्टास्वामी में, निजी और सार्वजनिक स्थानों के बीच अंतर किया गया था और यह कहा गया था कि दोनों को इस हद तक स्वतंत्र होना चाहिए कि विचार और विश्वास पर किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव के बिना सोचने की स्वतंत्रता

होनी चाहिए।इस प्रकार, स्कूलों को छात्रों को गोपनीयता और अपनी पसंद के बारे में सोचने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।इसलिए, सरकारी आदेश शिक्षा और भ्रातृ स्थानों के लिए एक मनमाना बाधा पैदा करता है।

155. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ विवाद नहीं करते हुए, सरकारी आदेश के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'बंधुत्व' और 'गरिमा' अभिव्यक्तियों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है।बंधुत्व और गरिमा की अवधारणा अकेले खड़ी नहीं होती है, बल्कि संदर्भ, परिस्थितियों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए।जैसा कि लिखित प्रस्तुतियों में कहा गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बंधुत्व को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में पेश करने का उद्देश्य असमानताओं के प्रति क्षैतिज या सामाजिक संवेदनशीलता का आह्वान करना है, इसके अलावा असमानताओं के प्रति ऊर्ध्वाधर या ऊपर से नीचे की ओर राजनीतिक निर्देश।वास्तव में बंधुत्व सामाजिक संवेदनशीलता है।यहाँ के छात्र 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।शिक्षा का बीज सभी छात्रों के बीच समान रूप से अंकुरित होना चाहिए।इसलिए, किसी भी धार्मिक मतभेदों, असमानताओं को दूर करके और वयस्कता की आयु प्राप्त करने से पहले छात्रों के साथ समान व्यवहार करके न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व के प्रारंभिक लक्ष्य की बेहतर सेवा की जा सकती है।

ग

डी.

ई.

156. छात्रों को आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए एक समान मंच दिया गया है।वर्दी के मामले में छात्रों के बीच एकरूपता उन्हें धार्मिक प्रतीकों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बढ़ने के लिए तैयार करेगी, अगर किसी पूर्व-विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कक्षा की पढ़ाई के दौरान नहीं पहना जाता है।

च

157. इससे भी आगे, बंधुत्व का हिंदी शब्द ^ ca/kqRo * * है जो भाईचारा है।भाईचारा देश के सभी नागरिकों के बीच होता है न कि किसी विशेष समुदाय का।बंधुत्व एक खंडित समाज का विरोधाभास है जिसमें सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उनकी जन्मजात प्रतिभा को समान अवसरों के संपर्क में लाकर एक निकास की अनुमति दी जाती है।

जी.

158. तर्क यह है कि अपीलकर्ता सार्वजनिक शिक्षा तक समान पहुंच चाहते हैं जहां उन्हें धार्मिक, वर्ग और लिंग सीमाओं को पार करने का अवसर मिलेगा, एक ऐसा अवसर जो उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा यदि वे धार्मिक स्कूलों में स्थानांतरित हो जाते।

एच.

527

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क.

इसलिए, सरकारी आदेश ने शिक्षा और भ्रातृ स्थानों के लिए एक मनमानी बाधा पैदा कर दी है।

159. मुझे उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है।बंधुत्व एक महान लक्ष्य है लेकिन इसे केवल एक समुदाय के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है।यह जाति, पंथ, लिंग और धर्म की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए एक लक्ष्य है।बंधुत्व के अमूर्त विचार, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों में चर्चा की गई है, को जमीनी वास्तविकताओं पर लागू किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित एक धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में हिजाब पहनने वाले कुछ छात्र अलग दिखेंगे और स्पष्ट रूप से अलग दिखेंगे।बंधुत्व की अवधारणा खंडित होगी क्योंकि हेडस्कार्फ पहनने वाले कुछ छात्रों का स्पष्ट भेद एक ऐसे स्कूल में छात्रों का एक समान समूह नहीं बनाएगा जहां किसी भी धार्मिक पहचान चिह्न की परवाह किए बिना शिक्षा को सजातीय और समान रूप से प्रदान किया जाना है।यदि छात्रों को अपने स्पष्ट धार्मिक प्रतीकों को कक्षा में अपने साथ ले जाने की

अनुमति दी जाती है तो बंधुत्व का संवैधानिक लक्ष्य विफल हो जाएगा।अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों में से कोई भी उन नागरिकों के एक वर्ग के संबंध में बंधुत्व के मुद्दे से संबंधित नहीं है जो अपने धार्मिक प्रतीकों को कक्षा में ले जाना चाहते हैं।प्रस्तावना से उत्पन्न होने वाले संवैधानिक लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि छात्रों को कक्षा में धार्मिक प्रतीकों के साथ खुद को पहचानने के संबंध में बंधुत्व को एक संकीर्ण अर्थ दिया जाए।

ग

डी.

ई.

160. मुझे इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि विवादित आदेश में "युवा छात्रों के रूप में उनकी समूह पहचान को पार करके भ्रातृ तरीके से व्यवहार करें" वाक्यांश का उपयोग किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है।कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए जाने से पहले, उसे एक विशिष्ट पहचान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि समूह की पहचान से परे अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता की छत्रछाया में आगे बढ़ना चाहिए।धर्म, जो एक निजी मामला है, का राज्य द्वारा संचालित एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में कोई अर्थ नहीं है।छात्र अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसके अलावा जब वे एक ऐसी कक्षा में भाग ले रहे हों जहां धार्मिक पहचान को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए।

च

जी.

161. तदनुसार, मुझे नहीं लगता कि सरकारी आदेश बंधुत्व और गरिमा के संवैधानिक वादे को बाधित करता है।इसके बजाय, यह एक समान वातावरण को बढ़ावा देता है जहां ऐसे भ्रातृ मूल्यों को बिना किसी बाधा के आत्मसात किया जा सकता है और पोषित किया जा सकता है।

एच.

162. हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि सिर पर कपड़े का टुकड़ा पहनना निर्धारित वर्दी का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है।'वर्दी' शब्द का शब्दकोश अर्थ इस प्रकार हैः

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (यूनिफॉर्म, विशेषण)

एक नियम, मोड, या अपरिवर्तनीय मानक के अनुरूप; अलग-अलग समय या स्थानों पर अलग-अलग नहीं; किसी देश के सभी स्थानों या विभाजनों के लिए आवेदन।

कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी (यूनिफॉर्म, संज्ञा)

कपड़ों का एक विशेष समूह जिसे एक ही संगठन या लोगों के समूह के सदस्यों द्वारा पहना जाता है।एक प्रकार के कपड़े जो लोगों के एक विशेष समूह से जुड़े होते हैं।

ग

मरियम वेबस्टर शब्दकोश

डी.

(वर्दी, संज्ञा) किसी विशेष समूह के सदस्यों द्वारा पहनी जाने वाली विशिष्ट डिजाइन या फैशन की पोशाक और पहचान के साधन के रूप में कार्य करना।

(विशेषण) हमेशा एक ही रूप, तरीका या डिग्री होनाःपरिवर्तनशील या परिवर्तनशील नहीं।दूसरों के साथ एक ही रूप का-एक नियम या अधिक के अनुरूप।सतह, पैटर्न या रंग का एक अपरिवर्तित रूप प्रस्तुत करना।(उदा.- समान प्रक्रियाएँ, समान लाल ईंट के घर)

ई.

163. यह मुद्दा कि क्या इस्लाम मानने वाला व्यक्ति भारतीय वायु सेना के सदस्य के रूप में दाढ़ी रख सकता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।

च

786505-एन प्रमुख विमान चालक अंसारी आफताब अहमद बनाम यूनियन

भारत और ओआरएस। 70.एकल पीठ ने मौलाना वाहिदुद्दीन खान द्वारा उनकी पुस्तक "इस्लाम द वॉयस ऑफ ह्यूमन नेचर" से इस्लाम के सिद्धांतों और वायुसैनिकों पर लागू नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाना वर्दी के मानदंडों का उल्लंघन है। तदनुसार, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।एक अंतर-अदालत अपील भी खारिज कर दी गई थी।यह मामला इस न्यायालय के समक्ष एक फैसले में सुनवाई के लिए आया, जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है -

जी.

70 2008 एल. आई. सी. 4004 (2005 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14927 ने 14.7.2008 पर निर्णय लिया) 2008 का 71 एल. पी. ए. सं. 196 ने 31.7.2008 ए पर निर्णय लिया

एच.

529

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

मोहम्मद जुबैर कार्पोरल नंबर **781467-**जी बनाम भारत संघ और

ओआरएस। 72.इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न मामले पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया।यह देखा गया कि अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, जिनमें से एक यह है कि दाढ़ी बनाए रखना वांछनीय है।इसलिए, भारतीय वायु सेना द्वारा नियुक्त एक वायुसैनिक के संबंध में, बनाए गए नियमों के अनुसार दाढ़ी की अनुमति नहीं थी।

164. यदि छात्र को वर्दी के किसी भी हिस्से को जोड़ने या घटाने की अनुमति दी जाती है तो निर्धारित वर्दी अपना अर्थ खो देगी।ये विद्यालय भविष्य के प्रयासों के लिए नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए नर्सरी हैं।यदि स्कूल में वर्दी के मानदंडों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है, तो छात्रों को किस तरह का अनुशासन दिया जाता है।अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हिजाब पहनने तक नहीं है।एक बार वर्दी निर्धारित हो जाने के बाद, सभी छात्र निर्धारित वर्दी का पालन करने के लिए बाध्य हैं।वर्दी का उद्देश्य छात्रों को अमीर या गरीब के भेद के बिना, जाति, पंथ या आस्था के बावजूद आत्मसात करना और छात्रों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए और एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना है।हिजाब पहनने की अनुमति केवल स्कूल के समय में नहीं है, इसलिए छात्र इसे स्कूलों को छोड़कर हर जगह पहन सकते हैं।धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में वर्दी के अलावा कुछ भी पहनने की अपेक्षा नहीं की जाती है।राज्य की कीमत पर बनाए गए एक धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में, राज्य वर्दी के अलावा किसी अन्य चीज़ की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं है।

ग

डी.

ई.

165. यह तर्क भी मान्य नहीं है कि हिजाब पहनना छात्राओं को गरिमा प्रदान करता है।छात्र एक ऑल-गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं।छात्रों को स्कूलों के बाहर अपने धार्मिक प्रतीकों को ले जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्व-विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्रों को एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा महसूस करना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए और एक सामंजस्यपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ अध्ययन करना चाहिए।वर्दी के पीछे यही उद्देश्य है, ताकि दिखने में एकरूपता लाई जा सके।

च

प्रश्न (vii)-क्या, यदि हिजाब पहनने को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाता है, तो छात्र अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में हिजाब पहनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है?

जी.

166. तर्क यह है कि हिजाब सिर पर पहना जाने वाला एक अतिरिक्त कपड़ा है, और यह किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है।द.

72 (2017) 2 एससीसी 115

एच.

तर्क विवेक और धर्म (अनुच्छेद 25), संस्कृति (अनुच्छेद 29 और 51-ए (एफ)), पहचान (अनुच्छेद 19 और 21-स्वायत्तता, गरिमा, विकल्प) और धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 19 और 21-स्वायत्तता, गरिमा, विकल्प) पर आधारित है, इसलिए, छात्रों को धर्म के आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया है।छात्रों का तर्क है कि हिजाब पहनने के अधिकार से इनकार करके, उन्हें उन कक्षाओं में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया है जो अनुच्छेद 29 के खंड (2) के जनादेश के साथ अनुचित हैं।

167. मुझे उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है।राज्य द्वारा संचालित स्कूल किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के बावजूद प्रवेश के लिए खुले हैं।यहां तक कि अधिनियम भी आदेश देता है कि छात्रों को ऐसे आधारों पर बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश दिया जाएगा।हालांकि, छात्रों को वर्दी के मामले में स्कूल के अनुशासन का पालन करना आवश्यक है।उन्हें क़ानून और नियमों के तहत निर्धारित वर्दी के जनादेश का उल्लंघन करते हुए स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

ग

168. एम. अजमल खान बनाम भारत के चुनाव आयोग में, प्रतिनिधि।इसके मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली-I और अन्य द्वारा। 73, द

डी.

पात्र मतदाता सूची में विशेष रूप से मुस्लिम गोशा महिलाओं की तस्वीरों के साथ मतदाता सूची को चुनौती दी गई थी।तर्क यह था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पर्दा पहनना पवित्र कुरान में निर्धारित सिद्धांतों में से एक है और मुस्लिम महिलाओं द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।इसलिए, इस तरह की धार्मिक प्रथा में कोई भी हस्तक्षेप मुस्लिम महिलाओं के मौलिक

अधिकार में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है।मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तरह की रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि "मतदाता सूची में तस्वीरें डालने का निर्वाचन आयोग का निर्णय मतदाता सूची की निष्ठा में सुधार लाने और प्रतिरूपण की जांच करने और फर्जी मतदान को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया था।इसलिए, विद्वान वकील के इस तर्क को खारिज करने की आवश्यकता है कि निर्णय गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।हालांकि उक्त निर्णय चुनावों के संदर्भ में है, लेकिन इसका अनुपात वर्तमान मामलों पर लागू होता है, राज्य द्वारा एक स्कूल में शिक्षा जाति, लिंग और धर्म के बावजूद गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए।

ई.

च

जी.

169. राज्य ने छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से मना नहीं किया है।यदि वे वर्दी के कारण कक्षाओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं

73 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 794:(2006) 5 सीटीसी 121 ए

एच.

531

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

जो निर्धारित किया गया है, यह ऐसे छात्रों का एक स्वैच्छिक कार्य है और इसे राज्य द्वारा अनुच्छेद 29 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।यह राज्य द्वारा अधिकारों से इनकार नहीं है, बल्कि छात्रों का स्वैच्छिक कार्य है।इस प्रकार यह शिक्षा के अधिकार से इनकार करने के बराबर नहीं होगा यदि कोई छात्र अपनी पसंद से स्कूल नहीं जाता है।इस प्रकार, एक छात्र अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में हिजाब पहनने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

प्रश्न **(viii)-**क्या संवैधानिक योजना में एक छात्र**-**नागरिक है

अनुच्छेद 19 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का समर्पण करने की अपेक्षा की जाती है,

21 और 25 किसी राज्य के संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में?

170. श्री शोएब आलम ने तर्क दिया कि संवैधानिक योजना में किसी विशेषाधिकार या अधिकार के आनंद के लिए मौलिक अधिकारों का कोई आदान-प्रदान नहीं हो सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि राज्य अनुच्छेद 21 के तहत किसी छात्र को उपलब्ध स्कूल/शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए वस्तु-विनिमय की शर्त नहीं लगा सकता है और बदले में, एक लड़की से स्कूल के अंदर हिजाब पहनने का अपना अधिकार छोड़ने के लिए कह सकता है, जो कि उसका निजता, गरिमा और स्वायत्तता का मौलिक अधिकार है।रिलायंस को इस अदालत के एक फैसले पर रखा गया था

ग

डी.

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के रूप में रिपोर्ट किया गया-भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ

केरल शिक्षा विधेयक।इस प्रावधान ने राज्य को शैक्षणिक संस्थान की मान्यता और सहायता के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन को संभालने के लिए अधिकृत किया।इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव से कहाः

ई.

“31. ... इसलिए, एंग्लो-इंडियन समुदाय सहित ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित सहायता प्राप्त संस्थानों पर उक्त विधेयक द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण इन सभी सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, जब तक कि वे प्रबंधन के अपने मौलिक अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं।वास्तव में कोई भी शैक्षणिक संस्थान राज्य की सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता है और यदि वे इसे तब तक नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि वे अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं, तो वे वित्तीय आवश्यकताओं की मजबूरी से अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे।अनुच्छेद 245 और 246 द्वारा राज्यों के विधानमंडलों को प्रदत्त विधायी शक्तियां संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं और निश्चित रूप से भाग III के प्रावधानों के अधीन हैं जो मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं जो इसलिए इन पर बाध्यकारी हैं -

च

जी.

74 आकाशवाणी 1958 एससी 956:1959 एससीआर 995

एच.

532

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

राज्य विधानमंडल।यह स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल केवल एक ही परिणाम प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करके उन प्रावधानों की अवहेलना या ओवरराइड नहीं कर सकता है।यहां तक कि विधायिका भी अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकती जो वह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती।

171. नर सिंह पाल बनाम भारत संघ और अन्य। 75, यह आयोजित किया गया था

आकस्मिक श्रम का यह अर्थ नहीं है कि उसने उत्तरदाताओं के पक्ष में अपने सभी संवैधानिक अधिकारों को समर्पण कर दिया था।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता है।उनसे समझौता नहीं किया जा सकता है और न ही संविधान के तहत उपलब्ध मौलिक अधिकारों के प्रयोग के खिलाफ कोई रोक लगाई जा सकती है।

172. रिलायंस को नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी रखा गया था।

ग

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी में जहां उक्त अधिनियम था

असंवैधानिक घोषित किया गया जो शैक्षणिक संस्थानों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य को अपना प्रबंधन सौंपने के लिए बाध्य करता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस स्थिति में, जिस शर्त में समर्पण शामिल है, वह अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार के प्रयोग के लिए उतना ही प्रभावी है जितना कि प्रत्यक्ष निषेध होगा।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धार्मिक अल्पसंख्यक स्वेच्छा से अपने अधिकार को माफ नहीं करते हैं-इसे शामिल विशेषाधिकार के मूल महत्व, अर्थात् संबद्धता के कारण मजबूर किया गया है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“161. यह संदेहपूर्ण है कि क्या अनुच्छेद 30 (1) के तहत मौलिक अधिकार को किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा विनिमय या समर्पण किया जा सकता है या इसे माफ किया जा सकता है।इसका कारण यह है कि मौलिक अधिकार एक इकाई के रूप में व्यक्तियों की बहुलता में निहित है या यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो अनिवार्य रूप से उतार-चढ़ाव वाले व्यक्तियों के समुदाय में। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के वर्तमान सदस्य अनुच्छेद के तहत अधिकार को छोड़ सकते हैं या समर्पण कर सकते हैं ताकि

इसके भावी सदस्यों को एक इकाई के रूप में बांधा जा सके?मौलिक अधिकार जीवित पीढ़ी के लिए है।एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित एक शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता के स्वैच्छिक कार्य द्वारा समुदाय के पूर्व सदस्य उस समुदाय के भावी सदस्यों के अधिकार को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं।समुदाय के भावी सदस्य अनुच्छेद 30 (1) के तहत उत्तराधिकार या विरासत से अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं।"173. के. एस. पुट्टास्वामी में माननीय न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया था, जहां अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों को समझने के लिए 'निर्णयात्मक स्वायत्तता' पर चर्चा की गई है, जैसे कि

ई.

च

जी.

75 (2000) 3 एससीसी 588 ए

एच.

533

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

प्रजनन को नियंत्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए विकल्प जैसे विश्वास या पोशाक के तरीके।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“248. गोपनीयता के अलग-अलग अर्थ हैं जिनमें (i) स्थानिक नियंत्रण; (ii) निर्णयात्मक स्वायत्तता; और (iii) सूचनात्मक नियंत्रण शामिल हैं।[भैरव आचार्य, "द फोर पाट्र्स ऑफ प्राइवेसी इन इंडिया", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (2015), वॉल्यूम। 50 अंक 22, पृ.32.] स्थानिक नियंत्रण निजी स्थानों के निर्माण को दर्शाता है।निर्णयात्मक स्वायत्तता अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों को समझती है जैसे कि प्रजनन को नियंत्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए विकल्प जैसे विश्वास या पोशाक के तरीके।

XXX

XXX

XXX

ग

297. ...निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति पाते हैं।यह व्यक्तियों को एकरूपता की सामाजिक मांगों के खिलाफ अपनी मान्यताओं, विचारों, अभिव्यक्तियों, विचारों, विचारधाराओं, प्राथमिकताओं और विकल्पों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है।गोपनीयता विविधता की एक आंतरिक मान्यता है, व्यक्ति के अलग होने के अधिकार की और एकांत का क्षेत्र बनाने में अनुरूपता के ज्वार के खिलाफ खड़े होने की।निजता व्यक्ति को उन मामलों में प्रचार की खोज से बचाती है जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं।निजता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहां वह जुड़ी हुई है।निजता सभी स्वतंत्रता की नींव का गठन करती है क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है।व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुने गए पैटर्न में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।"

डी.

ई.

174. इसके अलावा**,** के**.** एस**.** पुट्टास्वामी मामले में माननीय न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

च

“372. ... जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं का संबंध है, हमारी प्रजातियों के दुख का एक बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व के कारण है और धर्म के प्रचार के अधिकार के प्रतिस्पर्धी दावों के आसपास केंद्रित है।भारत का संविधान सभी विषयों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।जबकि स्वतंत्र रूप से "धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने" का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू हो सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास या विश्वास की स्वतंत्रता विशुद्ध रूप से निजी विचार प्रक्रिया के क्षेत्र में आने वाली विवेक की बात है और यह स्वतंत्रता का एक पहलू है।

जी.

एच.

534

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

373. ... रूप और परिधान का चुनाव भी निजता के अधिकार के पहलू हैं।विषयों के कुछ समूहों की अपनी उपस्थिति और परिधान निर्धारित करने की स्वतंत्रता (जैसे लंबे बाल रखना और पगड़ी पहनना) को गोपनीयता के अधिकार के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि उनके धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में संरक्षित किया जाता है।जरूरी नहीं कि ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत आने वाली धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हो।

175. मुझे नहीं लगता कि सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी छात्रा के उपलब्ध किसी भी अधिकार को छीनता है, या यह मौलिक अधिकारों के किसी भी आदान-प्रदान पर विचार करता है।अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार अभी भी उपलब्ध है, लेकिन इस अधिकार का लाभ उठाना या न लेना छात्र की पसंद है।छात्र से यह शर्त रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि जब तक उसे हिजाब पहनकर एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाती, वह स्कूल नहीं जाएगी। निर्णय छात्र का होता है न कि स्कूल का जब छात्र समान नियमों का पालन नहीं करने का विकल्प चुनता है।

ग

डी.

प्रश्न **(ix)-**क्या संवैधानिक योजना में राज्य है

अपने नागरिकों के लिए 'उचित आवास' सुनिश्चित करने के लिए बाध्य?

176. तर्क यह है कि स्कूल को छात्रों को हिजाब पहनने के लिए उचित रूप से समायोजित करना चाहिए क्योंकि यह साथी छात्रों के किसी भी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

ई.

177. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के फैसलों को जीजा घोष और अन्र बनाम के रूप में संदर्भित किया है। संघ का

भारत और ओआरएस। 76, विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य। 77 और रविंदर कुमार धारीवाल और अन्र बनामभारत संघ और अन्य। 78.

च

178. रविंदर कुमार धारीवाल के मामले में इस अदालत ने कहा कि

उचित समायोजन सिद्धांत समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार का एक घटक है।उचित आवास की अवधारणा एक अलग तरह से सक्षम उम्मीदवार, केंद्रीय रेलवे पुलिस बल के एक सदस्य को एक वैकल्पिक उपयुक्त पद प्रदान करने के संदर्भ में उत्पन्न हुई।

जी.

76 (2016) 7 एससीसी 761 77 (2021) 5 एससीसी 370

78 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1293 ए

एच.

535

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

179. जीजा घोष में, यह न्यायालय उड़ान की सुविधा का उपयोग करने में एक विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर विचार कर रहा था।इस अदालत ने पाया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं कि कोई भी एयरलाइन विकलांग व्यक्तियों या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों को ले जाने से इनकार नहीं करेगी और उनके सहायक उपकरण/उपकरण, एस्कॉर्ट्स और गाइड कुत्तों को केबिन में उनकी उपस्थिति सहित यात्रियों को चेक-इन के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एयरलाइन द्वारा इस तरह के निर्देश का उल्लंघन किया गया था जब इस न्यायालय ने कहा कि समानता का अर्थ न केवल भेदभाव को रोकना है, बल्कि समाज में भेदभाव को दूर करना भी है।ठोस शब्दों में, इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन की धारणा को अपनाना।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

“40. ... ठोस शब्दों में, इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन की धारणा को अपनाना।180. विकास कुमार के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

डी.

“62. ... यदि एक सामाजिक संरचना के रूप में अक्षमता को ठीक करना है, तो विकलांगों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सकारात्मक रूप से स्थितियां बनानी होंगी।उचित आवास समावेशन के मानदंड में स्थापित किया गया है।बहिष्करण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत गरिमा और मूल्य की उपेक्षा होती है या वे उचित समायोजन का मार्ग चुन सकते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान किया जाता है।

ई.

181. हालाँकि अपीलकर्ताओं का तर्क है कि वे स्कूल अधिकारियों द्वारा उचित आवास की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें निर्धारित वर्दी के अलावा मिलान करने वाले हिजाब/हिजाब पहनकर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सके जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होगा।

च

182. उचित आवास की अवधारणा एक विशेष बच्चे या व्यक्ति के संबंध में पेश की गई।बिजोए इमैनुएल में, यह माना गया है कि एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा संविधान के तहत अपनी पहचान खोजने के लिए एक महत्वहीन अल्पसंख्यक की क्षमता है।उपरोक्त मामले में, छात्रों, जो कि भगवान में विश्वास करते हैं, ने राष्ट्रगान गाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, हालाँकि जब राष्ट्रगान बजाया जाना था तो वे पूरा सम्मान दे रहे थे।अपीलार्थियों के मामले में, लोकतंत्र परीक्षा में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल, वर्दी निर्धारित करने के बाद, इस बात पर जोर देने का अधिकार रखता है कि सभी छात्र एक ही वर्दी पहनें ताकि इस मामले में असमानता या असमानता न हो।

जी.

वर्दी पहनना।नियम 11 वास्तव में दर्शाता है कि वर्दी में कोई भी बदलाव माता-पिता को नोटिस देने के बाद ही प्रभावित हो सकता है और एक बार वर्दी निर्धारित हो जाने के बाद, इसे पांच साल में नहीं बदला जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वर्दी की निरंतरता है और जिस अवधि के लिए वर्दी निर्धारित की गई है, उसका पालन किया जाना है।

183. यह तर्क कि देश भर के केंद्रीय विद्यालय मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब/हिजाब पहनने की अनुमति देते हैं, इसलिए राज्य में भी इसका पालन किया जाना चाहिए।केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों सहित हस्तांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।इन दोनों संस्थानों में, एक राज्य के अधीन और दूसरा केंद्र सरकार के अधीन, स्वतंत्र संगठन और कार्य का दायरा है।ऐसा हो सकता है कि कुछ राज्य हिजाब पहनने की अनुमति दें और कुछ नहीं।यह राज्य द्वारा लिया गया एक निर्णय है जिसे केवल उसी आधार पर मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

ग

डी.

184. पक्षों ने उचित समायोजन के प्रश्न पर निर्णय सहित अपने-अपने तर्कों के समर्थन में कुछ विदेशी निर्णयों का उल्लेख किया है।हमारा एक अनूठा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग विभिन्न प्रथाओं का पालन करते हैं।इसलिए, अलग-अलग सामाजिक संरचना और राजनीति वाले अन्य देशों के निर्णय हमारे जैसे इतने व्यापक और विविध देश में धार्मिक प्रथाओं के सवाल को निर्धारित करने के लिए एक उचित आधार प्रदान नहीं करेंगे।

ई.

185. इस प्रकार, यद्यपि हमारे देश में न्यायालयों द्वारा उचित समायोजन का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होता है।धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, गरिमा जैसे संवैधानिक लक्ष्यों का अर्थ है सभी के लिए समानता, किसी को प्राथमिकता नहीं।माँगा गया आवास अनुच्छेद 14 की भावना के विपरीत है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों में छात्रों के साथ अलग-अलग व्यवहार होगा जो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का पालन कर रहे होंगे।

च

प्रश्न (x)-क्या सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21,21 ए, 39 (एफ), 41,46 और 51 ए के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के वैध राज्य हित के विपरीत है?

जी.

186. यह तर्क दिया गया है कि सरकारी आदेश साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के वैध राज्य हित के विपरीत है।

अनुच्छेद 21 और 21 ए के साथ-साथ अनुच्छेद 39 (एफ), 41,46 में निहित निर्देशक सिद्धांतों और अनुच्छेद 51 ए में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के तहत अनिवार्य। कहा जाता था कि इसका महिलाओं के लिए शिक्षा को सीमित करने का प्रभाव पड़ता है।

187. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सरकारी आदेश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) के संदर्भ में 'बच्चे के सर्वोत्तम हित', विशेष रूप से बच्चे की पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में नहीं है।

188. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का भी संदर्भ दिया गया है, जो बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, कन्वेंशन, जिसे भारत ने 11.12.1992 पर स्वीकार किया है, को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है।इस अधिनियम को इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और सम्मेलन में निर्धारित मानकों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के अनुसार, बच्चे का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि बच्चे पर लागू कानून के तहत, वयस्कता पहले प्राप्त नहीं हो जाती है।कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य पक्ष बच्चों के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करेंगे और अपने धर्म या मान्यताओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता केवल उन सीमाओं के अधीन हो सकती है जो कानून द्वारा निर्धारित हैं और सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता, या दूसरों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उस समझौते के संदर्भ में जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, बच्चे को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता है और अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, जो केवल उसके तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन है।इसलिए, हिजाब का उपयोग करने का प्रतिबंध न केवल संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उल्लंघन करता है।189. बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुसरण में अधिनियमित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को इस बात पर विचार करने के लिए संदर्भित किया गया है कि विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के अधीन होना चाहिए।हालाँकि, ऐसे अधिकार संविधान के तहत नागरिकों को उपलब्ध अधिकारों से बड़े नहीं हो सकते हैं।इसलिए, कन्वेंशन या अधिनियम में धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं, बल्कि इन्हें संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

190. विश्वविद्यालय-पूर्व महाविद्यालय सभी जातियों और धर्मों के सभी छात्रों के लिए खुला है।ऐसे संस्थानों के दरवाजे किसी भी समुदाय के किसी भी छात्र के लिए बंद नहीं हैं।राज्य का उद्देश्य एक अवसर प्रदान करना है

एच.

छात्रों को धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए।इस तरह की सुविधा का लाभ उठाना छात्रों का दायित्व है।यदि किसी विशेष छात्र को लगता है कि वह हिजाब पहनने या किसी अन्य छात्र के किसी भी बाहरी धार्मिक प्रतीक को पहनने के लिए समझौता नहीं कर सकती है, तो स्कूल को सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने के व्यापक हित में ऐसे छात्र को अनुमति नहीं देना उचित होगा।उन छात्रों के लिए स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है जो कक्षा 10+1 या 10+2 में पढ़ रहे हैं।

छात्रों के पास कई साल आगे हैं जहां वे अपनी धार्मिक आस्था को जारी रख सकते हैं, लेकिन वर्दी पहनने को अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है।

ग

191. इस न्यायालय के फैसले को सोसाइटी फॉर अनएडेड के रूप में रिपोर्ट किया गया

राजस्थान के निजी स्कूल बनाम भारत संघ और अन्न। 79 ने माना कि

शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में पढ़ा गया है।तर्क यह है कि एक बच्चा जिसे शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जाता है, वह न केवल गरिमा के साथ जीने के अपने अधिकार से वंचित है, बल्कि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार से भी वंचित है।इस प्रकार शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है।राज्य ने शिक्षा के ऐसे अधिकार का लाभ उठाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध है।राज्य ने अधिकार को केवल इस तरह से विनियमित किया है कि छात्र केवल निर्धारित वर्दी में कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्कूल आते हैं, और यही वैधानिक और संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है।छात्र यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन वे अपनी इच्छा के अनुसार और जिस तरीके से वे उचित समझते हैं, उस तरीके से इस अधिकार का लाभ उठाएंगे।विद्यालयों को छात्रों को जीवन में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार करना है।अनुशासन उन विशेषताओं में से एक है जो छात्र स्कूलों में सीखते हैं।स्कूल के नियमों की अवहेलना वास्तव में अनुशासन के विपरीत होगी जिसे उन छात्रों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो अभी तक वयस्कता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।इसलिए, उन्हें भाईचारे और भाईचारे के माहौल में बढ़ना चाहिए, न कि विद्रोह या अवज्ञा के माहौल में।यह तर्क कि स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में हिजाब पहनने के अधिकार को आत्मसमर्पण करने या कम करने पर जोर दे रहा है, मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षा का अधिकार उपलब्ध है, लेकिन केवल शर्त यह है कि छात्रों को निर्धारित वर्दी में कक्षाओं में भाग लेना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

79 (2012) 6 एससीसी 1 ए

एच.

539

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

192. सरकारी आदेश को साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के वैध राज्य लक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।अनुच्छेद 21 ए लागू नहीं होता है क्योंकि सभी छात्रों की आयु 14 वर्ष से अधिक है।छात्रों को अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अपने धर्म के एक हिस्से के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में वर्दी के साथ कुछ अतिरिक्त पहनने पर जोर देने का अधिकार नहीं है।

193. वास्तव में, अधिनियम स्वयं स्वस्थ तरीके से अवसरों और सुविधाओं को प्रदान करने और बचपन और युवाओं की गरिमा को बनाए रखने पर विचार करता है ताकि कोई नैतिक या भौतिक परित्याग न हो।छात्रों के लिए वर्दी निर्धारित की गई है ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच कोई अंतर न हो और प्रत्येक छात्र समानता, निष्पक्षता और समान अवसरों के वातावरण में आगे बढ़े।वर्दी असमानताओं की बराबरी करने वाली है।इसलिए, एक प्रभावशाली उम्र में बच्चों के लिए वर्दी निर्धारित

करना न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि एकता के वातावरण में बढ़ने के लिए बच्चे के मानसिक विकास पर एक लाभकारी प्रभाव डालता है।उक्त उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (एफ) के अनुरूप है जो इस प्रकार हैः

ग

डी.

"39(च) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए।"

ई.

194. इसलिए, सरकारी आदेश को संविधान के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य के लक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।सरकारी आदेश केवल यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों द्वारा निर्धारित वर्दी का पालन किया जाए और यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य इस तरह के आदेश के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर रहा है।

च

प्रश्न (xi)-क्या सरकारी आदेश न तो शिक्षा तक कोई न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करता है, न ही धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता को पूरा करता है, और न ही कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के उद्देश्य के लिए सही है?

195. तर्क यह है कि मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य एक सकारात्मक दायित्व के अधीन है।इसके विपरीत, इसका अर्थ है कि विषयों की गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से अनुकूल वातावरण बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।यदि एक धर्म के छात्र एक विशेष पोशाक पर जोर देते हैं, तो दूसरों के लिए अपने विश्वासों और मान्यताओं को स्कूलों में ले जाने के लिए कोई रोक नहीं है।यह स्कूल के पवित्र वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होगा जहां छात्र रहते हैं।

जी.

एच.

शिक्षा के लिए प्रवेश लें।वास्तव में, वर्दी छात्रों के बीच 'समानता' की भावना को बढ़ावा देती है-एकता की भावना पैदा करती है, व्यक्तिगत मतभेदों को कम करती है, सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है क्योंकि छात्र अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में परेशान नहीं होंगे, अनुशासन में सुधार करता है, स्कूल में कम संघर्ष करता है, स्कूल की भावना को बढ़ावा देता है-स्कूल के प्रति अपनापन, गर्व, वफादारी की भावना पैदा करता है, माता-पिता पर आर्थिक दबाव को दूर करता है, शैक्षणिक संस्थान के सामने समानता सुनिश्चित करता है, विविध समुदाय की आवश्यकता को पूरा करता है और सांप्रदायिक पहचान की सकारात्मक भावना को बढ़ावा देता है और धन और शैली की असमानताओं को बढ़ावा नहीं देता है।स्कूल सीखने और जीवन में भविष्य की खोजों की नींव रखने का समय है।छात्रों से अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और स्कूल एक मजबूत नींव रखने के लिए जिम्मेदार है ताकि छात्रों को देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पोषित किया जा सके।

ग

196. इंडिबली क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस बनामसरकार की

पश्चिम बंगाल और अन्य। 80, पश्चिम बंगाल राज्य में एक फिल्म की रिलीज की अनुमति शांति के उल्लंघन के खतरे के कारण नहीं दी गई थी।इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य उन स्थितियों की व्यापकता सुनिश्चित करने

के लिए कर्तव्यबद्ध है जिनमें संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“50. अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ सार्वभौमिक हैं।अनुच्छेद 19 (1) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ मिलेंगी जिन्हें वह मान्यता देता है।राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करके राज्य पर एक संयमित प्रभाव डालती है जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।इसलिए, इन स्वतंत्रताओं को राज्य पर संयम के दायित्वों को लागू करने के लिए माना जाता है।लेकिन, राज्य पर "नकारात्मक" प्रतिबंध लगाने के अलावा ये स्वतंत्रताएँ एक सकारात्मक जनादेश भी लागू करती हैं।कानून के शासन को लागू करने वाले एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन स्थितियों में ये स्वतंत्रताएँ पनपती हैं, उन्हें बनाए रखा जाए।बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आरक्षित स्थान में, जब संगठित हित स्वतंत्रता के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं, तो राज्य बेपरवाह नहीं दिख सकता है।राज्य उन स्थितियों की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जिनमें उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सकता है।राज्य के साधनों का उपयोग स्वतंत्रता के प्रयोग को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए।जब संगठित हितों से थिएटर मालिकों या दर्शकों की संपत्तियों को खतरा होता है

ई.

च

जी.

80 (2020) 12 एससीसी 436 ए

एच.

541

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

प्रतिशोध के साथ, यह सुनिश्चित करना राज्य का स्पष्ट कर्तव्य है कि भाषण भीड़ के डर से चुप न हो।जब तक हम ऐसी परिस्थितियाँ बनाने और बनाए रखने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व नहीं पढ़ते हैं जिसमें संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जा सके, तब तक एक वास्तविक खतरा है कि कला और साहित्य असहिष्णुता का शिकार हो जाएंगे।वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि निर्माताओं, अभिनेताओं और दर्शकों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करने का एक असंवैधानिक प्रयास किया गया है।इससे भी बदतर, उनमें से एक उदाहरण बनाकर, आलोचना और आलोचना को चुप कराने का प्रयास किया गया है।अन्य जो इसी तरह का उद्यम शुरू करते हैं, वे "इसी तरह के दुस्साहस" के भयावह प्रभाव के अधीन होंगे।इसे एक स्वतंत्र समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।स्वतंत्रता सत्ता की प्रार्थना नहीं है।"

ग

197. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए, एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा।इस प्रकार, सरकारी आदेश को धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता या कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के उद्देश्य के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है।

डी.

उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं सभी अपीलों और रिट याचिकाओं को खारिज करता हूं, हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित आधारों से अलग आधारों पर।कोई लागत नहीं।

ई.

सुधांशु धूलिया, जे।

1. कई दिनों तक चली इस मामले की लंबी सुनवाई में मुझे दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की विद्वतापूर्ण दलीलें सुनने का सौभाग्य मिला।याचिकाकर्ताओं की ओर से हमने सुना है कि श्री कपिल सिब्बल, श्री राजीव धवन, श्री दुष्यंत दवे, श्री सलमान खुर्शीद, श्री कॉलिन गोंजाल्विस, श्री यूसुफ हातिम मुच्छाला, श्री हुज़ेफा अहमदी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री आदित्य सोंधी, श्री संजय आर. हेगड़े, श्री देवदत्त कामत, सुश्री जयना कोठारी, श्री ए. एम. डार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रशांत भूषण, श्री शोएब आलम, श्री निजाम पाशा, सुश्री कीर्ति सिंह और श्री तुलसी के. राज विद्वान अधिवक्ता हैं।राज्य की ओर से तर्क श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, श्री के. एम. नटराज, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री प्रभुलिंग नवदगी, कर्नाटक के महाधिवक्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए।श्री आर. वेंकटरमानी, सुश्री वी. मोहना और श्री दमा शेषाद्री नायडू, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शिक्षकों की ओर से पेश हुए हैं।

2. मुझे न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के निर्णय को देखने का लाभ मिला।न्यायमूर्ति गुप्ता ने मामले की लंबी सुनवाई में हमारे सामने बार में उठाए गए प्रत्येक तर्क को दर्ज किया है और उन्होंने प्रत्येक मुद्दे पर अपने निष्कर्ष दिए हैं।यह एक बहुत अच्छी तरह से रचित निर्णय है।हालाँकि, मैं न्यायमूर्ति गुप्ता के फैसले से सहमत नहीं हूँ।इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर एक अलग राय दे रहा हूं।
3. जबकि मैं ऐसा करता हूं, मैं इस बात से अवगत हूं कि जहां तक संभव हो, एक संवैधानिक न्यायालय को एक स्वर में बोलना चाहिए।विभाजित निर्णय और विसंगत टिप्पणियाँ किसी विवाद का समाधान नहीं करते हैं।अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। लेकिन फिर लॉर्ड एटकिन के शब्दों को उधार लेने के लिए (जो उन्होंने पूरी तरह से अलग तरीके से कहा था)

संदर्भ), ". अंतिमता एक अच्छी बात है, लेकिन न्याय बेहतर है।” 1

ग

4. इस न्यायालय के समक्ष विवादित निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 15 मार्च, 2022 को सुनाया गया था।इसे कई एसएलपी में इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी।एसएलपी के अलावा हमारे सामने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर दो रिट याचिकाएं भी थीं।कर्नाटक उच्च न्यायालय 7 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मुख्य मामला डब्ल्यू. पी. (ग) 2022 की सं. 2347।फिर भी जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं, तो हम ऐशात शिफा का उल्लेख करेंगे जो 2022 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) 5236 में थीं, और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दो याचिकाकर्ताओं में से एक थीं, 2022 की लिखित याचिका (दीवानी) संख्या 2880 में।हमने इसे प्रमुख मामले के रूप में सुना है।22.09.2022 पर इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, और निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

डी.

ई.

5. कर्नाटक के उडुपी जिले में कुंडापुरा नामक एक छोटा सा शहर है।ऐशत शिफा और तेहरीना बेगम कुंडापुरा के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की दो द्वितीय वर्ष की छात्राएँ थीं।वे दोनों इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और हिजाब पहनते हैं।उनके अनुसार वे एक साल से अधिक समय पहले कॉलेज में शामिल होने के बाद से अपनी कक्षाओं के अंदर हिजाब पहन रहे हैं।उनका कहना है कि अतीत में उन्हें कभी भी किसी की आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा था, जिसमें कॉलेज प्रशासन भी शामिल था और उनकी कक्षा के अंदर हिजाब पहनना कभी कोई मुद्दा नहीं था।

जी.

6. 3 फरवरी, 2022 को इन दोनों छात्राओं को उनके कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया।उन्हें बताया गया कि उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने से पहले अपना हिजाब उतारना होगा।चूंकि उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया था

1 रास बिहारी लाल और अन्य बनाम। आकाशवाणी 1933 पी. सी. 208 ए. में राजा-सम्राट

एच.

543

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

उनके हिजाब, उन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

7. अगले दिन यानी 4 फरवरी, 2022 को दोनों ने उपायुक्त उडुपी के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें प्रार्थना की गई कि कॉलेज के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें अपने कॉलेज में प्रवेश करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने दें।उपायुक्त द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किए गए, लेकिन इसके बजाय सरकार 5 फरवरी, 2022 को एक आदेश लेकर आई।इस जी. ओ. की एक प्रस्तावना है, जो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 और उसमें बनाए गए नियमों को संदर्भित करती है, जहां से यह अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और फिर विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन निर्णयों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकालती है कि हिजाब को प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है।इसके बाद यह अनिवार्य है कि सरकारी स्कूलों में स्कूल की वर्दी होनी चाहिए और जो कॉलेज पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे कॉलेज विकास समितियों (सरकारी कॉलेजों में) और प्रबंधन बोर्ड (निजी स्कूलों में) द्वारा निर्धारित वर्दी पहनी जानी चाहिए।हालांकि, एक चेतावनी थी, जिसमें कहा गया था कि यदि प्रबंधन बोर्ड किसी भी वर्दी को अनिवार्य नहीं करता है तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो एकता, समानता के हित में हों।

ग

डी.

और सार्वजनिक व्यवस्था।"

8. चूंकि पूरे जी. ओ. को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपने निर्णय में पुनः प्रस्तुत किया है, इसलिए मुझे पूरे जी. ओ. को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जी. ओ. के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं:

ई.

“प्रस्ताव में उजागर किए गए मुद्दों की पृष्ठभूमि में, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 133 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को आधिकारिक वर्दी का पालन करना अनिवार्य है।निजी स्कूलों को अपने प्रबंधन मंडल द्वारा तय की गई वर्दी अनिवार्य करनी चाहिए।

च

उन कॉलेजों में जो पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनिवार्य वर्दी पहनी जानी चाहिए।यदि प्रबंधन वर्दी अनिवार्य नहीं करता है, तो छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हों।

जी.

कर्नाटक के राज्यपाल के आदेश से "

एच.

9. चूंकि हिजाब को 'वर्दी' का हिस्सा नहीं बनाया गया था, और इसे पहनना 'एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' नहीं था, जैसा कि जी. ओ. ने अनिवार्य किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उनके स्कूल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।इस अदालत को बार में सूचित किया गया है कि कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में स्कूल जाने वाली अन्य लड़कियों पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था।

10. उन दोनों लड़कियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया था।प्रारंभ में यह मामला उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष गया, जिन्होंने मामले के महत्व पर विचार करते हुए इसे एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया।मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था, जिसने मामले की विस्तार से सुनवाई की और फिर 15 मार्च, 2022 को रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने आदेश पारित किए, एक आदेश जो वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष विवादित है।

ग

11. कर्नाटक उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि 5 फरवरी, 2022 का जी. ओ. और याचिकाकर्ताओं को अपनी कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने में स्कूल अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 25 (1) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उन्हें दिए गए उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि हिजाब पहनना उनकी आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है।दूसरी ओर राज्य का तर्क यह होगा कि जी. ओ. केवल संबंधित स्कूलों के स्कूल अधिकारियों को स्कूल की वर्दी लिखने का निर्देश देता है।यह एक हानिरहित व्यवस्था है, जो धर्म तटस्थ है। जहां तक मौलिक अधिकारों पर तर्क का संबंध है, जवाब यह था कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और वे हमेशा उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।कक्षा के अंदर हिजाब को प्रतिबंधित करना एक उचित प्रतिबंध है।हिजाब पहनना भी एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं कहा जाता था।

डी.

ई.

च

12. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए चार प्रश्न तैयार किए थे।ये प्रश्न इस प्रकार हैंः

क) क्या हिजाब/हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित इस्लामी विश्वास में आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है।

जी.

ख) क्या स्कूली वर्दी का प्रिस्क्रिप्शन कानूनी रूप से अनुज्ञेय नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं के मौलिक ए का उल्लंघन है।

एच.

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए), (यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (यानी निजता) के तहत गारंटीकृत अधिकार।

ग) क्या अक्षम होने के अलावा 05.02.2022 का सरकारी आदेश बिना किसी समझदारी के जारी किया गया है और आगे स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है?

घ) क्या 2022 की रिट याचिका संख्या 2146 में प्रत्यर्थी संख्या 6 से 14 के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और प्रत्यर्थी संख्या 15 और 16 के खिलाफ क्वो वारंट जारी करने का निर्देश जारी करने के लिए कोई मामला बनाया गया है?

ग

13. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दिया है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी विश्वास में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।दूसरे प्रश्न पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्यालय की वर्दी का प्रिस्क्रिप्शन केवल एक उचित प्रतिबंध लगाता है जो संवैधानिक रूप से अनुमेय है और छात्रों द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती है।जहां तक तीसरे, यानी 5 फरवरी 2022 के जी. ओ. के संबंध में यह फिर से अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार के पास इस तरह का आदेश जारी करने की शक्तियां हैं और इसके अमान्य होने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।चौथा अंक भी नकारात्मक में दिया गया था।

डी.

ई.

14. 5 फरवरी, 2022 के जी. ओ. की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों में से एक यह है कि यह केवल एक कार्यकारी आदेश है।लेकिन जहां तक संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 25 (1) के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए मौलिक अधिकारों में कटौती का संबंध है, इसके दूरगामी परिणाम हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि कानून की स्थिर स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल एक वैधानिक कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि कार्यकारी आदेश द्वारा।द.

च

खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2** में इस न्यायालय का निर्णय था

पर भरोसा किया।हालाँकि, यह निवेदन सही नहीं है और इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है।इसका कारण यह है कि कर्नाटक की धारा 133 3 के तहत

जी.

2 (1964) 1 एससीआर 332

3 ‘133.निर्देश देने के लिए सरकार की शक्तियाँ-(1) राज्य सरकार, अधीन कर सकती है।

इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए, आदेश द्वारा लोक शिक्षण आयुक्त या निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के तहत जांच करने या उचित कार्यवाही करने का निर्देश दें।

एच.

शिक्षा अधिनियम, 1983 सरकार के पास निर्देश देने की शक्तियाँ हैं।1983 के अधिनियम की धारा 145 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, जिन्हें बनाया गया है और जिन्हें कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (वर्गीकरण, विनियमन और पाठ्यक्रम

आदि का प्रिस्क्रिप्शन) नियम, 1995 कहा जाता है।उपरोक्त नियमों के नियम 11 (1), 4 में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान वर्दी लिख सकते हैं।इसलिए, राज्य सरकार के पास किसी भी मामले में वर्दी/ड्रेस कोड निर्धारित करने की शक्तियां हैं।इसलिए, यह निवेदन कि जी. ओ. एक वैध कानून नहीं है, सही नहीं है।जी. ओ. अपना स्रोत प्रतिमा और वैधानिक नियमों से प्राप्त करता है।इसलिए, इसमें कानून की शक्ति है।फिर भी, तथ्य यह है कि इसे अभी भी संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के प्रावधानों को पारित करना है।

ग

15. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए चार प्रश्नों में से पहला प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है।सब कुछ इस सवाल के दृढ़ संकल्प पर निर्भर था।लेकिन तब अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपना मामला साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा आदेश दिया था।याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में एक मूल विश्वास है।ई. आर. पी. का अर्थ यह भी था कि इस तरह की प्रथा को एक धार्मिक विश्वास या प्रथा के रूप में पालन करने के लिए मौलिक होना चाहिए क्योंकि ई. आर. पी. को नींव माना जाता था, जिस पर धर्म की अधिरचना का निर्माण किया गया था।आवश्यक धार्मिक अभ्यास का अर्थ होगा एक ऐसी प्रथा जिसके बिना धर्म एक ही धर्म नहीं रहेगा।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना था कि हिजाब पहनने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसका पालन उनके धर्म की शुरुआत से ही किया जा रहा है।याचिकाकर्ताओं के लिए अपने मामले को साबित करने के लिए यह कार्य निर्धारित किया गया था।लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, यह केवल एक सीमा थी

डी.

ई.

उक्त आदेश में निर्दिष्ट किसी भी मामले में निदेशक या अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपने द्वारा की गई जांच या की गई कार्यवाही के परिणाम के बारे में नियत समय पर राज्य सरकार को सूचित करेगा।

च

(2) राज्य सरकार किसी भी शैक्षणिक संस्थान या शिक्षण संस्थान को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसमें निहित किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसी संस्था की शासी परिषद या मालिक, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा।

जी.

(3) राज्य सरकार अपने नियंत्रण में अधिकारियों या प्राधिकरणों को ऐसे निर्देश भी दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे निर्देश का पालन करना ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

4 ‘11.वर्दी, कपड़े, पाठ्य पुस्तकों आदि का प्रावधान, (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षा

संस्थान वर्दी का अपना सेट निर्दिष्ट कर सकता है।एक बार निर्दिष्ट की गई ऐसी वर्दी को अगले पांच वर्षों की अवधि के भीतर नहीं बदला जाएगा।

एच.

547

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।]

क.

आवश्यकताएँ।याचिकाकर्ताओं को यह भी साबित करना था कि ई. आर. पी. किसी भी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है।यह शायद सही था, क्योंकि एक ई. आर. पी. जो दूसरों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण है, उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी।न्यायालय ने निम्नलिखित 5 का निर्णय दिया:“...प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि हिजाब

पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और याचिकाकर्ता शुरू से ही हिजाब पहन रहे हैं।इसके अलावा, यह शायद ही तर्क दिया जा सकता है कि हिजाब पोशाक का मामला होने के कारण, इसे इस्लामी विश्वास के लिए मौलिक माना जा सकता है।ऐसा नहीं है कि अगर हिजाब पहनने की कथित प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, तो जो हिजाब नहीं पहनते हैं वे पापी बन जाते हैं, इस्लाम अपनी महिमा खो देता है और यह एक धर्म नहीं रह जाता है।याचिकाकर्ता दलीलों और सबूतों की सीमा की आवश्यकता को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अलंघनीय धार्मिक प्रथा है और 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' का बहुत कम हिस्सा है। "चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सीमा की आवश्यकता को पूरा नहीं किया, इसलिए उच्च न्यायालय ने संवैधानिक मूल्यों के पहलू को छूने की आवश्यकता महसूस नहीं की।इसलिए, उन्होंने कहा किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“यह कहने की शायद ही आवश्यकता है कि यदि एक सीमा आवश्यकता के रूप में आवश्यक धार्मिक प्रथा को पूरा नहीं किया जाता है, तो मामला विस्तार से उन संवैधानिक मूल्यों के क्षेत्र के आसपास के गुणों की यात्रा नहीं करेगा।"

ई.

16. निर्णय तब 5 फरवरी, 2022 के जी. ओ. की वैधता को बरकरार रखता है और यह मानता है कि अधिकारियों के पास स्कूलों में वर्दी लिखने की शक्ति है।

17. मेरी राय में, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का प्रश्न, जिसे हमने इस निर्णय में ई. आर. पी. के रूप में भी संदर्भित किया है, न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्धारण में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था।मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत सुरक्षा मांगी जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया जा रहा है, तो किसी व्यक्ति के लिए यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह जो दावा करता है वह एक ईआरपी है। यह केवल कोई भी धार्मिक प्रथा, विश्वास या विवेक की बात हो सकती है!हां, जिसे एक अधिकार के रूप में दावा किया जाता है, वह "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और निश्चित रूप से, यह संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

च

जी.

5 निर्णय ए के पृष्ठ 87 पर पैरा XII

एच.

548

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

18. आंशिक रूप से, याचिकाकर्ताओं को अदालत द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के लिए दोषी ठहराया जाना था क्योंकि वास्तव में याचिकाकर्ताओं या कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा है।हालाँकि, हमारे सामने, जब बार में दलीलें उठाई गईं, तो कुछ वकीलों ने स्वीकार किया कि ईआरपी मामले में मुख्य मुद्दा नहीं था, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे अन्य बातों के साथ-साथ 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश पर हमला कर रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगा।जो भी हो, तथ्य यह है कि मुद्दा उठाया गया था।न्यायालय द्वारा इसे मुख्य मुद्दा बनाया गया था और यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गया था।

ग

19. उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अलग हो सकता था।ई. आर. पी. मार्ग को सीधे लेने के बजाय, एक सीमा आवश्यकता के रूप में, न्यायालय पहले यह जांच कर सकता था कि क्या स्कूल या जी. ओ. द्वारा हिजाब पहनने पर लगाया गया प्रतिबंध, वैध प्रतिबंध थे?या क्या ये प्रतिबंध आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित हैं।में

डी.

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस बनाम केरल राज्य और ओआरएस। **6** यह क्या है

अदालत को कहना पड़ाः"...इसलिए, जब भी विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने, पालन करने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार का आह्वान किया जाता है, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसा कार्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है, यह पता लगाने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में शिकायत किए गए अधिनियम की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए है या क्या यह किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए बनाई गई कानून द्वारा अधिकृत है जो धार्मिक प्रथा से जुड़ी हो सकती है या सामाजिक कल्याण और सुधार का प्रावधान करने के लिए हो सकती है।ऐसा करना न्यायालय का कर्तव्य और कार्य है।"

ई.

च

20. जो भी हो, आइए हम इस बात की जांच करें कि इस न्यायालय द्वारा आवश्यक धार्मिक प्रथा की पूरी अवधारणा को कैसे और क्या परिभाषित किया गया है।

जी.

21. ई. आर. पी. का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा अतीत में एक विशेष प्रकृति के विवादों को हल करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे।मोटे तौर पर ये ऐसे मामले थे जहाँ राज्य के हस्तक्षेप को चुनौती दी गई थी जिसे "आवश्यक धार्मिक" होने का दावा किया गया था।

एच.

6 1986 3 एस. सी. सी. 615; पैरा 19 ए

549

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

अभ्यास करें।" जो उठाया गया वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ-साथ अनुच्छेद 26 का संरक्षण था।दूसरे शब्दों में, ये वे मामले थे जहाँ अनुच्छेद 25 (1) और (2) और अनुच्छेद 26 दोनों लागू थे।अनिवार्य रूप से, ये ऐसे मामले थे जहां किसी संप्रदाय या किसी विशेष धर्म के संप्रदाय के अनुष्ठान और प्रथाओं ने राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। यहां तक कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों को उठाया गया था, जैसा कि हम शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में कह सकते हैं। 7 जो तीन तलाक का मामला है या भारतीय युवा वकीलों का मामला है

एसोसिएशन और अन्य**, (**सबरीमाला मंदिर**,** पुनः**)** बनाम केरल राज्य

और ओआरएस। 8 जिसे आमतौर पर सबरीमाला मामले के रूप में जाना जाता है, ये ऐसे मामले थे जहां एक धार्मिक प्रथा के खिलाफ एक व्यक्तिगत अधिकार का दावा किया गया था या जहां मुख्य रूप से एक धार्मिक पहचान पर दावा किया गया था।हाथ में मामले में, सवाल केवल धार्मिक प्रथा या पहचान का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक नागरिक को दी गई 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का भी है, और यह इस मामले को अलग बनाता है।

ग

डी.

22. ऐसा लगता है कि 'आवश्यक धार्मिक प्रथाओं' की अभिव्यक्ति थी

संविधान सभा की बहसों से लिया गया।एक प्रश्न के उत्तर में, डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो संरक्षित है वह हर धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि केवल ऐसी प्रथाएं हैं जो अनिवार्य रूप से धार्मिक हैं।संविधान सभा की बहस VII का प्रासंगिक पारित होनाः781 इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

ई.

"...यह कहने में कुछ भी असाधारण नहीं है कि हमें धर्म की परिभाषा को इस तरह से सीमित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम इसे मान्यताओं और ऐसे अनुष्ठानों से परे न बढ़ाएं जो अनिवार्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हों।23. इस संबंध में पहला मामला, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, वह था आयुक्त, हिंदू।

च

धार्मिक दान**,** मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ

श्री शिरूर मठ 9 के स्वामी, जिसे शिरूर मठ मामले के रूप में जाना जाता है।इस मामले के तथ्य यह थे कि उडुपी में शिरूर मठ के माथाधीपति ने मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1927 का अधिनियम 2) के तहत आयुक्त की शक्तियों को चुनौती दी थी, जो शिरूर मठ के मामलों पर नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे।

जी.

7 (2017) 9 एस. सी. सी. 1 8 (2019) 11 एस. सी. सी. 1 9 (1954) एस. सी. आर. 1005

एच.

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और माथाधीपति के पक्ष में एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन दिया गया था।इस आदेश को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास के आयुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह सवाल था कि क्या अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उन्हें दिए गए माथाधीपति के मौलिक अधिकारों के प्रयोग और मंदिर के प्रबंधन पर आक्रमण थे।यह न्यायालय तब धर्म के अर्थ और संविधान के संदर्भ में इसे कैसे समझा जाना चाहिए, इस पर विस्तार से आगे बढ़ा।सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की ओर से सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

ग

"...धर्म निश्चित रूप से व्यक्तियों या समुदायों के साथ आस्था का विषय है और यह जरूरी नहीं कि यह आस्तिक हो।भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रसिद्ध धर्म हैं जो ईश्वर या किसी भी बुद्धिमान प्रथम कारण में विश्वास नहीं करते हैं।एक धर्म का आधार निस्संदेह मान्यताओं या सिद्धांतों की एक प्रणाली में होता है जिसे वे लोग मानते हैं जो उस धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि धर्म और कुछ नहीं बल्कि विश्वास का सिद्धांत है।एक धर्म न केवल अपने अनुयायियों को स्वीकार करने के लिए नैतिक नियमों की एक संहिता निर्धारित कर सकता है, बल्कि यह अनुष्ठानों और अनुष्ठानों, समारोहों और पूजा के मॉडल को निर्धारित कर सकता है जिन्हें धर्म का अभिन्न अंग माना जाता है, और ये रूप और पालन भोजन और पोशाक के मामलों तक भी विस्तारित हो सकते हैं।10 "

डी.

ई.

24. अदालत ने कहा कि उनके संविधान के तहत गारंटी न केवल धार्मिक राय की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, बल्कि यह एक धर्म के अनुसरण में किए गए कार्यों की भी रक्षा करती है और इसे अनुच्छेद 25 में 'धर्म का अभ्यास' अभिव्यक्ति का उपयोग करके स्पष्ट किया गया है।इस न्यायालय ने एल. डी. की दलीलों को खारिज कर दिया। भारत के महान्यायवादी, जैसा कि वे उस समय थे, ने कहा कि राज्य को उन धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो एक ऐसे धर्म से जुड़ी हैं जो इसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है।इस संबंध में शिरूर मठ मामले (ऊपर) में अदालत की टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं:

च

जी.

"19. ...विद्वान महान्यायवादी लेख के खंड 2 (ए) पर जोर देते हैं और उनका तर्क है कि सभी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ,

10 शिरूर मठ का पैरा 17 (ऊपर)

एच.

551

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

क.

धर्म से जुड़े हो सकते हैं लेकिन वास्तव में इसका एक अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं, राज्य विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं।

20. ... इस तरह के व्यापक शब्दों में तैयार किया गया विवाद, हम नहीं कर सकते

सोचिए, समर्थन करें।सबसे पहले, किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्य रूप से उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।अगर

हिंदुओं के किसी भी धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांतों में यह निर्धारित किया गया है कि मूर्ति को दिन के विशेष समय पर भोजन का प्रसाद दिया जाना चाहिए, कि आवधिक समारोह वर्ष की कुछ अवधियों में एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए या पवित्र ग्रंथों का दैनिक पाठ या पवित्र अग्नि के लिए बलिदान होना चाहिए, इन सभी को धर्म का हिस्सा माना जाएगा और केवल यह तथ्य कि उनमें धन का खर्च या पुजारियों और सेवकों का रोजगार शामिल है या विपणन योग्य वस्तुओं का उपयोग उन्हें वाणिज्यिक या आर्थिक चरित्र में भाग लेने वाली धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ नहीं बना देगा; ये सभी धार्मिक प्रथाएं हैं और इन्हें अनुच्छेद 26 (बी) 11 के अर्थ के भीतर धर्म के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए।'

ग

डी.

(जोर दिया गया**)**

इसके बाद हालांकि ई. आर. पी. जैसी अवधारणा आई थी, लेकिन आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का गठन उस धर्म के सिद्धांत पर छोड़ दिया गया था।

ई.

25. अगला मामला जो इस न्यायालय के विचार के लिए आया था

रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य में था। **12.**

जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के रूप में जाने जाने वाले अधिनियम की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अधिनियम के प्रावधान उनके मौलिक अधिकारों पर आक्रमण थे, जो उन्हें अनुच्छेद 25 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दिए गए थे।मूल रूप से, यह उसी विचार का पालन करता था जो शिरूर मठ (उपरोक्त) मामले में निर्धारित किया गया था।न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:"10. ...धर्म का स्वतंत्र अभ्यास, जिसके द्वारा धार्मिक विश्वास के अनुसरण में बाहरी कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लोगों की व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को सुरक्षित करने के लिए लगाए गए राज्य विनियमन के अधीन है।कौन-सा उपखंड

च

जी.

11 पैरा 19 और 20

12 1954 एससीआर 1055; पैरा

एच.

552

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

(क) अनुच्छेद 25 के खंड 2 में कहा गया है कि ऐसी धार्मिक प्रथाओं का राज्य विनियमन नहीं है जो तब तक संरक्षित हैं जब तक कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन गतिविधियों का है जो वास्तव में आर्थिक, वाणिज्यिक या राजनीतिक चरित्र की हैं, हालांकि वे धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हैं।"

26. अब हम दरगाह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आते हैं।

समिति**,** अजमेर और ए**.** एन**.** आर**.** वी**.**सैयद हुसैन अली और ओआरएस। **13** इसमें

हजरत हाजी मोइनुद्दीन चिश्ती के 'खादिमों' के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दरगाह हजरत ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। ख्वाजा मोइन-उद-दीन चिश्ती (जिसे दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के नाम से भी जाना जाता है) की दरगाह के 'खादिम' ने चिश्ती नामक एक सूफी संप्रदाय या सिलसिला के अनुयायी होने का दावा किया और उन्होंने दावा किया कि वे दरगाह में सेवा कर रहे थे

ग

सूफी संत हजरत हाजी मोइनुद्दीन चिश्ती।उनका मामला यह था कि

दरगाह समिति का हस्तक्षेप अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत उन्हें गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों पर आक्रमण के बराबर है।राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनके दावे को काफी हद तक स्वीकार कर लिया था और उक्त आदेश के खिलाफ दरगाह समिति उच्चतम न्यायालय के समक्ष थी।इस न्यायालय के समक्ष जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना था, वे यह थे कि क्या कोई सुन्नी मुसलमान के रूप में दरगाह के मामलों का प्रबंधन कर सकता है या क्या यह केवल चिश्ती सिलसिला के अनुयायियों द्वारा किया जा सकता है।कुछ अन्य प्रश्न भी थे, जो इस निर्णय के संदर्भ में चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं होंगे।सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए दरगाह समिति की अपील को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि खादीम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ई. आर. पी. क्या होगा और न्यायालय इसे कैसे निर्धारित करेगा।फिर भी यह फिर से किया गया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 की परस्पर क्रिया थी, और जो दावा किया जा रहा था वह राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ एक संप्रदाय या संप्रदाय के अधिकार थे।

डी.

ई.

च

जी.

27. आचार्य जे**.** अवधूत और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय।

v. पुलिस आयुक्त**,** कलकत्ता और अन्र। **14** और आयुक्त

पुलिस और ओआरएस**.** वी**.**आचार्य जे**.** अवद्युत **15** दोनों प्रदर्शन से संबंधित हैं।

13 (1962) 1 एससीआर 383 14 (1983) 4 एससीसी 522 15 (2004) 12 एससीसी 770 ए

एच.

553

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

आनंद मार्गिस की आस्था के अनुयायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर तांडव नृत्य।' कोलकाता पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य के इस तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था।यह मामला अंततः 1983 में इस अदालत के समक्ष आया और यह माना गया कि सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य करना 'आनंद मार्गी' आस्था का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है।यह मामला 2004 में फिर से इस न्यायालय के समक्ष पहुंचा और इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ 1983 के पहले के फैसले पर भरोसा करके उसी निष्कर्ष पर पहुंची।

28. इसलिए, यहां जो बात स्पष्ट रूप से अलग की जा सकती है वह यह है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा पर विचार करते समय या क्या किसी विशेष प्रथा को ईआरपी कहा जा सकता है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ-साथ अनुच्छेद 26 दोनों से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर रहा था।ये ऐसे मामले थे जो या तो किसी धार्मिक मंदिर या संस्थान से संबंधित किसी गतिविधि के प्रबंधन से संबंधित थे या जहां राज्य को नागरिकों द्वारा किसी प्रकार के प्रतिरोध या चुनौती का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 दोनों के तहत अधिकारों का दावा किया था।ये ऐसे मामले भी थे जहां कोई समुदाय, संप्रदाय या किसी धर्म का धार्मिक संप्रदाय राज्य की कार्रवाई के खिलाफ था।हालाँकि, वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष यह मामला नहीं है।हमारे सामने व्यक्तिगत अधिकार के दावे का एक मामला है जो एक सामुदायिक अधिकार से अलग है।हम केवल अनुच्छेद 25 (1) से संबंधित हैं न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (2) या अनुच्छेद 26 से।जहां अनुच्छेद 25 का खंड 1 व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है, वहीं भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 (2) और अनुच्छेद 26 बड़े पैमाने पर समुदाय आधारित अधिकारों से संबंधित है।इस मायने में ई. आर. पी. के रूप में इस न्यायालय द्वारा पहले जो निर्णय लिया गया है, वह हमारे लिए ज्यादा मददगार नहीं होगा।इस कारण से, केवल ई. आर. पी. के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का मूल्यांकन करने में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा की गई पूरी कवायद गलत थी।29. शायरा बानो (ऊपर) के हाल के मामले में बहुमत की राय 3:2 यह माना गया कि तीन तलाक एक अनियमित प्रथा है और सुन्नी मुसलमानों के बीच एक आवश्यक प्रथा नहीं है।इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः"54. ...उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि तीन तलाक केवल तलाक का एक रूप है जो कानून में अनुमत है, लेकिन साथ ही, इसे बर्दाश्त करने वाले हनफी स्कूल द्वारा पापपूर्ण कहा गया है।जावेद 16 के अनुसार, इसलिए, यह किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं होगा।आचार्य में बताए गए परीक्षण को लागू करना

ग

डी.

ई.

च

जी.

16 जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 369 [शायरा बानो (ऊपर) में उद्धृत]

एच.

जगदीश्वरानंद यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इस्लामी धर्म की मूल प्रकृति, जैसा कि एक भारतीय सुन्नी मुसलमान की नज़रों से देखा जाता है, इस प्रथा के बिना नहीं बदलेगी।

30. सबरीमाला मंदिर (उपरोक्त) मामले में संवैधानिक पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या केरल के सबरीमाला में स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में 1 वर्ष से कम आयु की महिला भक्तों को प्रवेश करने का अधिकार है।इसके बाद, पारंपरिक प्रथा और परंपरा के आधार पर मंदिर अधिकारियों द्वारा उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था।4 द्वारा रिट याचिका की अनुमति देनाः1 बहुमत से, पीठ ने महिला भक्तों के पक्ष में निर्णय दिया और उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को भारत के संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया।

ग

31. ऊपर बताए गए दोनों मामलों में फिर से न्यायालय के समक्ष आवश्यक निर्धारण धर्म और धार्मिक प्रथा का था।अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत किसी नागरिक को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई मुद्दा नहीं था, और अगर ऐसा था तो यह परिधि में था।दूसरे शब्दों में, केंद्रीय मुद्दा नहीं।

डी.

32. हम वर्तमान में तथ्यों के एक पूरी तरह से अलग समूह से चिंतित हैं।हमें केवल अनुच्छेद 25 (1) के साथ काम करना चाहिए, न कि अनुच्छेद 25 (2) के साथ, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के साथ भी।अनुच्छेद 25 (1) किसी व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 25 (2) और अनुच्छेद 26 समुदायों या धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।इसके अतिरिक्त, हमें अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के साथ इसकी परस्पर क्रिया से निपटना चाहिए।

ई.

33. अनुच्छेद 25 एक नागरिक को "विवेक और स्वतंत्र पेशे, धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।" यह आवश्यक धार्मिक प्रथा की बात नहीं करता है।यह अवधारणा तभी आती है जब हम अनुच्छेद 25 (2) या अनुच्छेद 26 के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जहां इन दोनों अनुच्छेदों का परस्पर संबंध होता है।

च

34. हमारे सामने दो बच्चे हैं, दो विद्यार्थिनियाँ, जो हिजाब पहनकर अपनी पहचान का दावा करती हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा का दावा करती हैं।हिजाब पहनना इस्लाम में ई. आर. पी. है या नहीं, यह इस विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है।यदि विश्वास ईमानदार है, और यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है।

जी.

क.

35. हालाँकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत अध्ययन किया है कि ईआरपी क्या है और क्या हिजाब पहनना इस्लाम में ईआरपी का एक हिस्सा है।पवित्र कुरान के सूरों और छंदों को संदर्भित और समझाया गया है, और फिर पवित्र पुस्तक पर एक टिप्पणी की सहायता लेते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और सबसे अच्छा यह प्रकृति में निर्देशिका है, अनिवार्य नहीं है।सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है, और कुछ अन्य निर्णयों पर भी विचार किया गया है कि ई. आर. पी. का गठन क्या है, और फिर यह निर्धारित किया गया है कि जो अधिकार होने का दावा किया जा रहा है वह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है!

ग

36. इस तथ्य के अलावा कि विवाद के निर्धारण के लिए ई. आर. पी. आवश्यक नहीं था, जो हम पहले ही ऊपर कह चुके हैं, एक और पहलू है जो और भी महत्वपूर्ण है, जो यह बताएगा कि ई. आर. पी. क्या है, यह निर्धारित करने के मामलों में न्यायालयों को धीमा क्यों होना चाहिए। मेरी विनम्र राय में न्यायालय धर्मशास्त्रीय प्रश्नों को हल करने के लिए मंच नहीं हैं। न्यायालय विभिन्न कारणों से ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी विशेष धार्मिक मामले पर हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण होंगे, और इसलिए कुछ भी न्यायालय को एक को दूसरे पर चुनने का अधिकार नहीं देता है।हालाँकि, न्यायालयों को तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब संविधान द्वारा निर्धारित सीमाएँ टूट जाती हैं, या जहाँ अनुचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

डी.

ई.

37. एम. सिद्दीक (मृत) के मामले में एल. आर. बनाम महांत के माध्यम से

सुरेश दास और ओआरएस। 17 राम जन्मभूमि मामले के रूप में लोकप्रिय इस न्यायालय ने धर्मशास्त्र के उन क्षेत्रों में नहीं जाने के लिए आगाह किया था जिनके साथ न्यायालय अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं।एक धर्म के भीतर विचारों की विविधता हो सकती है और दूसरों पर एक को चुनना सही नहीं हो सकता है।अदालतों को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने से बचना चाहिए। न्यायालय द्वारा यह निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

च

"90. प्रस्तुतियों के दौरान, यह सामने आया है कि श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा चित्रित किए जाने वाले इस्लाम के चरम और यहां तक कि पूर्ण दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के मामले में इस्लामी कानून की एकमात्र उपलब्ध व्याख्या के रूप में सामने नहीं आता है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, इस न्यायालय के लिए धर्मशास्त्र के किसी क्षेत्र में प्रवेश करना और यह मान लेना अनुचित है कि

जी.

17 (2020) 1 एस. सी. सी. 1; पैरा 90 और 91

हदीस के दुभाषिये की भूमिका।असली परीक्षा यह है कि क्या जो लोग विश्वास करते हैं और पूजा करते हैं, उन्हें उस स्थान की धार्मिक प्रभावशीलता में विश्वास है जहां वे प्रार्थना करते हैं।उस स्थान पर नमाज पढ़ने में उपासक के विश्वास और विश्वास को चुनौती नहीं दी जा सकती है जो उपासक के लिए एक मस्जिद है।इस न्यायालय के लिए इस आधार पर सवाल करना बेतुका होगा कि एक सच्चा मुसलमान ऐसी जगह पर प्रार्थना नहीं करेगा जो श्री मिश्रा द्वारा चुनिंदा रूप से विकसित सिद्धांत की चरम व्याख्या को पूरा नहीं करता है।यह न्यायालय, एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में

एक संवैधानिक शासन के तहत स्थापित संस्था को धर्मशास्त्रीय सिद्धांत की कई संभावित व्याख्याओं में से एक को चुनने से बचना चाहिए और उपासक के विश्वास और विश्वास को स्वीकार करने के सुरक्षित मार्ग की ओर मुड़ना चाहिए।'

ग

91. इन सबसे ऊपर, धर्म का अभ्यास, इस्लाम कोई अपवाद नहीं है, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है। वास्तव में यही हमारे बहुलवादी समाज की ताकत है।सांस्कृतिक एकीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है जो धर्म के पालन के तरीके को आकार देता है।धार्मिक मान्यताओं की बहुवचन विविधता में, जैसा कि वे भारत में प्रचलित हैं, सांस्कृतिक एकीकरण को धार्मिक सिद्धांत की विनाशकारी विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके विपरीत, यह प्रक्रिया एक ऐसे देश के वास्तविक चरित्र को मजबूत और मजबूत करती है जो धार्मिक आस्थाओं और विचारों की विविधता को समायोजित, सहन और सम्मान करके अपनी एकता को बनाए रखने में सक्षम रहा है।

डी.

ई.

धार्मिक सिद्धांत की पूर्ण और चरम रूप में व्याख्या करने और उपासकों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए न्यायालय का नेतृत्व करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हो सकता है।संविधान के अनुच्छेद **25** में अंतर्निहित मूल्यों के लिए कुछ भी इतना विनाशकारी नहीं होगा।**18** '

च

(जोर दिया गया**)**

38. किसी भी मामले में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है, इसकी सभी जटिलताओं में, एक ऐसा मामला है जो इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन है और इसलिए किसी भी मामले में मेरे लिए इस पहलू में आगे जाना उचित नहीं हो सकता है।

जी.

18 पारस 90 और 91

19 कांतारू राजीवरु बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। [आर. पी. (ग) डब्ल्यू. पी. में 2018 की सं. 3358। (ग) 2006 की सं. 373] क

एच.

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

39. जो निर्णय हमारे उद्देश्यों के लिए इस मामले में आवश्यक महत्व का है, वह इस न्यायालय द्वारा बिजोए इमैनुएल (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय है।इस मामले को कुछ विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक है, क्योंकि मेरी राय में यह मामला एक मार्गदर्शक सितारा है जो हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों के सुस्थापित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित मार्ग, समझ और सहिष्णुता का मार्ग

दिखाएगा, जिसे हम "उचित समायोजन" भी कह सकते हैं, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष कुछ वकीलों द्वारा समझाया गया है।कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, फिर भी, इस मौलिक निर्णय पर इस कारण से भरोसा नहीं करने का फैसला किया कि "बिजोए इमैनुएल सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं।

अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता पर आधारित एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए वाहन

विवेक से 20." लेकिन यह बात सही नहीं है।उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर वर्तमान मामले में सबसे अधिक प्रासंगिक है।

ग

40. आइए अब उस मामले के तथ्यों पर गौर करते हैं:

केरल में तीन लड़कियाँ, जो एक धर्म से ताल्लुक रखती थीं, जिन्हें जेहोवा 'ज़ विट्नेस कहा जाता था, एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही थीं।हर सुबह जब स्कूल में राष्ट्रगान गाया जाता था तो ये तीनों छात्र स्कूल के अन्य बच्चों की तरह सम्मानपूर्वक राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन वे राष्ट्रगान नहीं गाते थे।उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका विश्वास उन्हें भगवान के अलावा किसी और के लिए गाने से मना करता है।शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन फिर किसी ने राज्य के सर्वोच्च प्राधिकरण के समक्ष शिकायत की, जिसके कारण स्कूलों के उप निरीक्षक और फिर स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा पारित आदेशों द्वारा इन तीन बच्चों को उनके स्कूल से निष्कासित कर दिया गया।बच्चों ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका दायर की जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और साथ ही केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा उनकी अपील भी खारिज कर दी गई।आखिरकार उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस न्यायालय के समक्ष अपनी विशेष अनुमति याचिका दायर की।उनका मामला सरल था:वे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का अनादर नहीं करते हैं। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो वे सम्मानपूर्वक खड़े होते हैं, वे केवल गायन में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वे ईमानदारी से मानते हैं कि उनका विश्वास उन्हें किसी के लिए भी गाने से मना करता है लेकिन भगवान के लिए।

डी.

ई.

च

जी.

41. इन तीन बालिकाओं की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था क्योंकि केरल उच्च न्यायालय को भारतीय राष्ट्रगान में ऐसा कोई शब्द या विचार नहीं मिला जो किसी की धार्मिक संवेदनशीलता को आहत कर सके।इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

20 विवादित निर्णय के पृष्ठ 85 पर पैरा X1 (iii)

एच.

बच्चों के राष्ट्रगान न गाने का कोई कारण नहीं था!उनके मामले की जांच करते हुए न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जिन्होंने न्यायालय के लिए यह निर्णय लिखा था, ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में ऐसा करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया था और यह एक स्पर्शरेखा पर चला गया।याचिकाकर्ताओं की आपत्ति राष्ट्रगान की भाषा पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी भी देश की परवाह किए बिना किसी भी राष्ट्रगान को गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे ईमानदारी से मानते हैं कि उनका धर्म उन्हें ऐसा करने के लिए निर्धारित करता है।

42. सुप्रीम कोर्ट ने तब संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला दिया, जिनका हमें यहां भी उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि वे स्कूलों और स्कूलों द्वारा लगाए गए 'अनुशासन' से संबंधित हैं।पहला यह है कि

ग

माइनर्सविले स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनाम गोबिटिस **21** और दूसरा मामला वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाम बार्नेट **22** का है।जबकि

दो निर्णयों का उल्लेख करते हुए मेरा स्रोत निर्णय बना रहेगा।

बिजोए इमैनुएल (ऊपर)।

43. माइनर्सविले (ऊपर) में सवाल यह था कि क्या राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य रूप से सलामी देना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है।न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर द्वारा दी गई बहुमत की राय ने इस आधार पर आवश्यकता को बरकरार रखा कि इस तरह के निर्णय स्कूल बोर्डों पर छोड़े जाने चाहिए।जस्टिस स्टोन ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा,

डी.

ई.

"इतिहास हमें सिखाता है कि राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत कम उल्लंघन हुए हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया गया है, जैसा कि वे यहां हैं, धार्मिकता और सार्वजनिक भलाई के नाम पर, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें निर्देशित नहीं किया गया है, जैसा कि वे अब हैं, राजनीतिक रूप से असहाय अल्पसंख्यकों पर 23."

च

संक्षेप में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य रूप से सलामी देने में हस्तक्षेप नहीं किया।हालाँकि, इस मामले का संदर्भ यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत जल्द इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार्नेटा (उपरोक्त) के मामले में खारिज कर दिया गया था जो दूसरा मामला है।

जी.

44. दूसरा मामला वह है जिसने कुछ ही वर्षों बाद गोबाइटिस (उपरोक्त) को खारिज कर दिया।जस्टिस जैक्सन, जजमेंट के लेखक

21 310 यू. एस. 586 (1940) 22 319 यू. एस. 624 (1943)

23 बिजोए इम्मानुएल का पैरा 21 (ऊपर)

एच.

559

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।]

क.

बार्नेट में अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध दुविधा का उल्लेख किया गया है जो

"क्या आवश्यक रूप से एक सरकार को अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए, या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर होना चाहिए?" न्याय

जैक्सन ने फिर कहाः"यह संदेह हो सकता है कि क्या श्री लिंकन ने सोचा होगा कि खुद को बनाए रखने के लिए सरकार की ताकत राज्य की मुट्ठी भर बच्चों को स्कूल से निष्कासित करने की हमारी पुष्टि करने की शक्ति से प्रभावशाली रूप से सही साबित होगी।

45. स्कूल प्राधिकरणों के साथ हस्तक्षेप न करने के न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के तर्क में जाते हुए, क्योंकि यह न्यायालय को एक स्कूल बोर्ड बना देगा, न्यायमूर्ति जैक्सन ने आगे कहाः

ग

"गाँव के तानाशाहों के साथ-साथ गाँव के हैम्पडेन भी हैं, लेकिन कोई भी जो कानून के रंग के तहत काम करता है वह Constitution.We की पहुंच से बाहर नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा जैसी विशेषताओं में हमारी क्षमता के मामूली अनुमानों के कारण, उस निर्णय को रोक नहीं सकता है जिसे इतिहास इस न्यायालय के कार्य के रूप में प्रमाणित करता है जब स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है।" न्यायमूर्ति जैक्सन ने तब निष्कर्ष निकालाः24 , "यदि हमारे संवैधानिक तारामंडल में कोई निश्चित तारा है, तो यह है कि कोई भी अधिकारी, ऊँचा या छोटा, यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि राजनीति, राष्ट्रवाद, धर्म या राय के अन्य मामलों में रूढ़िवादी क्या होगा या नागरिकों को शब्द द्वारा स्वीकार करने या उसमें अपने विश्वास का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है।यदि ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जो अपवाद की अनुमति देती हैं, तो वे अब हमारे साथ नहीं होती हैं।

डी.

ई.

हम सोचते हैं कि ध्वजारोहण और प्रतिज्ञा को मजबूर करने में स्थानीय अधिकारियों की कार्रवाई उनकी शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं को पार करती है और बुद्धि और भावना के क्षेत्र पर आक्रमण करती है जिसे हमारे संविधान के पहले संशोधन का उद्देश्य सभी आधिकारिक नियंत्रण से सुरक्षित रखना है।"

च

46. न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने अपने निर्णय में विभिन्न देशों में, जहाँ उन्हें इसी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, उन लोगों के संघर्षों और कठिनाइयों का पता लगाया है जिनका सामना वे करते थे।इसके बाद न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 25 (1) का आह्वान करता है।इसमें कहा गया हैः

जी.

24 बिजोए इम्मानुएल का पैरा 22 (ऊपर)

एच.

क.

"संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 (2) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) में कुछ भी राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसी कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है।अनुच्छेद 25 (1) सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।"

ग

47. यह तब माना गया था कि यह राष्ट्रगान का अनादर नहीं है यदि लड़कियां राष्ट्रगान गाए जाने पर सम्मानपूर्वक खड़ी होती हैं, लेकिन गायन में शामिल नहीं होती हैं।इसलिए स्कूल से उनके निष्कासन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत उन्हें दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया।जिस सरकारी परिपत्र में निर्देश दिया गया था कि पूरे स्कूल को राष्ट्रगान गाना चाहिए, वह संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में दिया गया 'कानून' नहीं था।कानून अर्थात वैधानिक कानून 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' था।एक व्यक्ति जो राष्ट्रगान गाए जाने पर सम्मानपूर्वक खड़ा होता है लेकिन गायन में भाग नहीं लेता है, वह अधिनियम के तहत अपराध नहीं करता है। अपराध तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे को राष्ट्रगान गाने से रोकता है।इस प्रकार न्यायालय का तात्पर्य यह भी था कि गाने की स्वतंत्रता का अर्थ चुप रहने की स्वतंत्रता भी होगी।

डी.

ई.

48. संविधान के अनुच्छेद 25 को आस्था के एक अनुच्छेद के रूप में वर्णित किया गया था और इसे निम्नानुसार मनाया गया थाः

च

“18. ...अनुच्छेद 25 संविधान में विश्वास का एक अनुच्छेद है, जिसे इस सिद्धांत की मान्यता में शामिल किया गया है कि एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा देश के संविधान के तहत अपनी पहचान खोजने के लिए एक महत्वहीन अल्पसंख्यक की क्षमता है।अनुच्छेद 25 की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

जी.

49. आज हमारे सामने जो लड़कियाँ हैं, उन्हें भी उपरोक्त मामले में उसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि यहोवाह के गवाहों को करना पड़ता है।वर्तमान याचिकाकर्ता भी अपने विश्वास की वस्तु के रूप में हिजाब पहनते हैं।वे भी मानते हैं कि यह उनके धर्म और सामाजिक अभ्यास का एक हिस्सा है।इसलिए मेरी सुविचारित राय में, यह मामला ए

एच.

561

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

यह स्पष्ट रूप से बिजोए इमैनुएल (ऊपर) के मामले और उसमें निर्धारित अनुपात द्वारा कवर किया गया है।

50. कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर वापस आते हुए एक और निष्कर्ष है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है।यह वह जगह है जहाँ उच्च न्यायालय निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता एक कक्षा के अंदर अपने मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं जिसे न्यायालय "योग्य सार्वजनिक स्थान" के रूप में बताता है और एक स्कूल के अंदर के अधिकार केवल "व्युत्पन्न अधिकार" हैं।” न्यायालय निम्नलिखित बताता हैः

“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्कूल योग्य सार्वजनिक स्थान हैं जो मुख्य रूप से छात्रों को शैक्षिक निर्देश प्रदान करने के लिए संरचित हैं।इस तरह के योग्य स्थान अपने स्वभाव से सामान्य अनुशासन और शिष्टाचार के नुकसान के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के दावे को निरस्त करते हैं।यहाँ तक कि मूल अधिकार भी ऐसे स्थानों पर एक प्रकार के व्युत्पन्न अधिकारों में रूपांतरित हो जाते हैं।” 25

ग

डी.

उच्च न्यायालय 'उचित आवास' पर याचिकाकर्ताओं के मामले को खारिज कर देता है, और यह तर्क भी कि स्कूल संस्कृति की विविधता के लिए एक शोरूम हैं, इस कारण से कि स्कूल 'योग्य सार्वजनिक स्थान' होने के कारण स्कूली लड़कियों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है, जो हिजाब निर्धारित नहीं करता है।इसमें कहा गया हैः

ई.

"इसे शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि किसी अधिकार की सामग्री और दायरा, इसके प्रयोग के संदर्भ में परिस्थिति पर निर्भर है।आम तौर पर, व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य बातों के साथ-साथ उनकी स्थिति, नियुक्ति आदि के कारण कम हो जाती है।घर में स्वायत्तता की सीमा बहुत अधिक है, क्योंकि आम तौर पर किसी व्यक्ति के निवासी को उसका अलंघनीय महल माना जाता है।हालांकि, स्कूलों, अदालतों, युद्ध कक्षों, रक्षा शिविरों आदि जैसे योग्य सार्वजनिक स्थानों में, अनुशासन और शिष्टाचार और कार्य और उद्देश्य के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कटौती की जाती है।"

च

51. युद्ध कक्ष या रक्षा शिविर के साथ एक स्कूल की तुलना, कम से कम कहने के लिए, अजीब लगती है।विद्यालयों में सैन्य शिविर का अनुशासन और रेजिमेंट होना आवश्यक नहीं है।फिर भी, मेरी समझ में, उच्च न्यायालय जो बताना चाहता था वह यह था कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर एक

जी.

25 आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 100 पर पैरा XIV (iv) 26 पैरा XIV (vii) आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 104 पर

एच.

किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर के अंदर या सार्वजनिक स्थान के बाहर कहीं भी कुछ हद तक अनुशासन और सीमाएं और अधिकार का आनंद लेना, सार्वजनिक स्थान के अंदर रहने के बाद उसे मिलने वाले आनंद से अलग होता है।एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।लेकिन फिर हम मामले के तथ्यों पर आते हैं।एक सिद्धांत निर्धारित करना एक बात है, एक मामले के तथ्यों को उचित ठहराना बिल्कुल अलग है।हमें तथ्य का न्यायाधीश होने के साथ-साथ कानून का न्यायाधीश भी होना चाहिए।क्या मामले के तथ्य एक कक्षा के अंदर प्रतिबंधों को सही ठहराते हैं, जो निश्चित रूप से एक सार्वजनिक स्थान है?मेरी राय में इसका कोई औचित्य नहीं है।

52. स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है, फिर भी स्कूल और जेल या सैन्य शिविर के बीच एक समानांतर चित्र बनाना सही नहीं है। पुनः, यदि उच्च न्यायालय द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा था वह किसी विद्यालय में अनुशासन के बारे में था, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।विद्यालयों में अनुशासन होना आवश्यक है।लेकिन अनुशासन स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं, न ही गरिमा की कीमत पर।एक पूर्व विश्वविद्यालय की स्कूली छात्रा को उसके स्कूल के द्वार पर अपना हिजाब उतारने के लिए कहना, उसकी निजता और गरिमा पर आक्रमण है।यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 21 के तहत उन्हें दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।अपनी गरिमा का यह अधिकार 27 और अपनी गोपनीयता 28 वह अपने व्यक्ति में रखती है, यहां तक कि अपने स्कूल के द्वार के अंदर या जब वह अपनी कक्षा में होती है।यह अभी भी उसका मौलिक अधिकार है, न कि "व्युत्पन्न अधिकार" जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया है।

ग

डी.

ई.

53. पुट्टास्वामी निर्णय (ऊपर) में, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 298 में कहा हैः

‘298.व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है।एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा अपने आप में एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है।इसके वाद्य पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है।निजता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का एहसास करने में सक्षम बनाती है।स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है।सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है।गोपनीयता व्यक्ति को बनाए रखने में सक्षम बनाती है

च

जी.

27 मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्न। [(1978) 1 एस. सी. सी. 248] पैरा 85 28 के. एस. पुट्टास्वामी और अन्न बनाम भारत संघ और अन्य। [(2017) 10 एससीसी 1] ए

एच.

563

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

शरीर और मन की स्वायत्तता।व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है।निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है।लेकिन यह उसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से विचलित नहीं करता है, एक बार जब गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और उन मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझा जाता है जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं।गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है।समानता की गारंटी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है।यह राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है।राज्य द्वारा एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान का विनाश, चाहे वह शरीर का हो या मन का, मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है।शरीर की गोपनीयता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है।किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं।परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं।इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा।एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा रूप चुप रहना है।मौन गोपनीयता के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है।एक कलाकार एक रचनात्मक प्रयास में आत्मा का प्रतिबिंब पाता है।एक लेखक विचार की प्रक्रिया के परिणाम को व्यक्त करता है।एक संगीतकार उन स्वरों पर विचार करता है जो संगीत की दृष्टि से मौन की ओर ले जाते हैं।मौन, जो भीतर निहित है, विचारों और विचारों को व्यक्त करने या दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका चुनने की क्षमता को दर्शाता है।ये व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं।अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने का हकदार है।अनुच्छेद 21 के संयोजन में पढ़ने पर, स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का चयन करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कोई क्या और कैसे खाएगा, कोई कैसे कपड़े पहनेगा, कोई किस विश्वास का समर्थन करेगा और असंख्य अन्य मामले शामिल हैं जिन पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की आवश्यकता होती है।अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है।ये हैं कुछ चित्र

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

जिस तरह से गोपनीयता स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाती है और स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आंतरिक है।संविधान में एक अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें बताता है कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।न ही हमने भाग III के प्रावधानों को गोपनीयता के अल्फा-वर्धित अधिकार के साथ टैग किया हैःयह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है।गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है।दोनों जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्यों के भीतर रहते हैं जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है।निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है।यह एक संवैधानिक मूल्य है जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है।'54. इस न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने जी. ओ. दिनांक 05.02.2022 के महत्व को रेखांकित किया था जो पूर्व-विश्वविद्यालय कक्षाओं सहित स्कूलों में अनुशासन को लागू करने और एक ड्रेस कोड लागू करने के लिए था।इसलिए इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा की बेहतरी और स्कूल जाने वाले बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करना था।कर्नाटक के विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में कानून जो कि 5 फरवरी, 2022 का जी. ओ. है, मुख्य रूप से पूर्व-विश्वविद्यालय कक्षाओं सहित स्कूलों में ड्रेस कोड के प्रवर्तन के लिए है।यह केवल संयोग से उन अधिकारों पर प्रभाव डाल सकता है जो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत दावा करते हैं।यह देखना होगा कि कानून का सार और सार क्या है जो स्कूलों में वर्दी का प्रवर्तन है, जो बदले में स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना है।इस प्रस्तुति के लिए विद्वान महाधिवक्ता ने भरोसा किया है

ग

डी.

ई.

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **29** जो कहता हैः

"60. ऊपर देखे गए मामलों के सर्वेक्षण से, एक व्यापक परीक्षण जिसे तैयार किया जा सकता है, को निम्नानुसार दोहराया जा सकता हैः

च

"क्या विवादित कानून, अपने सार और सार में, चाहे उसका रूप और उद्देश्य कुछ भी हो, अनुच्छेद 19 (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित है?यदि ऐसा होता है, तो क्या यह उन अधिकारों में से किसी को कम करता है या निरस्त करता है?और भले ही वह अपने सार में अनुच्छेद 19 (1) द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, क्या उन अधिकारों में से किसी को कम करने या निरस्त करने जैसे विवादित कानून का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव है?"

जी.

29 (1980) 2 एससीसी 684 ए

एच.

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

केवल यह तथ्य कि विवादित कानून संयोग से, दूर से या संपार्श्विक रूप से उन अधिकारों को कम करने या निरस्त करने का प्रभाव रखता है, परीक्षण को संतुष्ट नहीं करेगा।यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो विवादित कानून को वैध होने के लिए, अनुच्छेद 19 के तहत तर्कसंगतता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।लेकिन यदि अनुच्छेद 19 के खंड (1) के तहत किसी भी अधिकार पर कानून का प्रभाव केवल आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या संपार्श्विक है और उन कारकों पर निर्भर है जो अमल में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो अनुच्छेद 19 का प्रावधान इसकी वैधता का न्याय करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

फिर भी, मैं इस न्यायालय के समक्ष विवाद के तथ्यों में उपरोक्त प्रस्तुतिकरण की प्रयोज्यता नहीं देखता।जी. ओ. विशेष रूप से हिजाब के प्रश्न को संबोधित करना चाहता है, जो जी. ओ. की प्रस्तावना से स्पष्ट है। इसके अलावा, विद्वान महाधिवक्ता का उपरोक्त निवेदन पुट्टास्वामी निर्णय (ऊपर) को देखते हुए सही नहीं है जो कहता हैः

ग

डी.

“24. एम. पी. शर्मा [एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300 में निर्णयः1954 क्रि एलजे 865:1954 एस. सी. आर. 1077] और खरक सिंह [खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295:(1963) 2 क्रि एल. जे. 329:(1964) 1 एस. सी. आर. 332] ने गोपालन [ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27 में बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर अनुच्छेद 19 और 21 के बीच संबंधों पर एक सैद्धांतिक स्थिति अपनाईः1950 एससीआर 88]।इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से कूपर [रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248] के फैसले और मेनका [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] में सिद्धांत के बाद के बयान द्वारा निरस्त कर दिया गया है।मेनका [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248] में निर्णय, वास्तव में, स्पष्ट रूप से मान्यता देता है कि यह सुब्बा राव, जे. का खड़क सिंह [खड़क सिंह बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295 में असहमतिपूर्ण निर्णय हैः(1963) 2 क्रि एल. जे. 329:(1964) 1 एस. सी. आर. 332] जो सही संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है।न्यायशास्त्र की नींव जिसने 63 साल पहले एम. पी. शर्मा [एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300 में इस क्षेत्र को संभाला थाः1954 क्रि एलजे 865:1954 एस. सी. आर. 1077] और पचास-पाँच साल पहले खरक सिंह [खरक सिंह बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295:(1963) 2 क्रि एल. जे. 329:(1964) 1 एस. सी. आर. 332] ने उस स्थिति को रास्ता दिया है जो अब संवैधानिक कानून में एक तय स्थिति है।

ई.

च

जी.

एच.

सबसे पहले, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और गरिमा की बुनियादी धारणाओं से उत्पन्न होते हैं और अनुच्छेद 19 के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं की गणना अनुच्छेद 21 को इसके व्यापक दायरे से वंचित नहीं करती है।दूसरा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून की वैधता का परीक्षण राज्य की कार्रवाई के उद्देश्य के संदर्भ में नहीं बल्कि स्वतंत्रता की गारंटी पर इसके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।तीसरा, अनुच्छेद 14 की आवश्यकता कि राज्य की कार्रवाई मनमाना नहीं होनी चाहिए और तर्कसंगतता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, भाग III में संवैधानिक गारंटी को अर्थ प्रदान करता है।

55. अब हम विदेशी न्यायालयों के कुछ निर्णयों की जांच करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल परिसर में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के दावे की सराहना करने के लिए, कुछ ऐसे ही विवादों का उल्लेख करना सार्थक होगा जो अन्य देशों के न्यायालयों के समक्ष सामने आए थे जिनके पास एक संवैधानिक लोकतंत्र है।दो मामले हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा।पहला मामला दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय का 'नोस-स्टड' मामला है और दूसरा इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है।

ग

डी.

56. दक्षिण अफ्रीका के मामले को हालांकि दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कानून की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जहां गरिमा अपने संविधान के तहत अपने नागरिकों को दिया गया अधिकार है।भेदभाव के मामलों से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए दक्षिण अफ्रीका में समानता अदालतों की भी स्थापना की गई है।लेकिन फिर भी, मूल सिद्धांत और कानून समान हैं।

ई.

57. सुनाली डरबन गर्ल्स हाई स्कूल (डी. जी. एच. एस.) में कक्षा 10 की छात्रा थी।स्कूल की आचार संहिता ने स्कूल में गहने पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।जब सुनाली 10 वीं कक्षा में थी, तब उसकी माँ ने उसे पहनने के लिए एक नोज़ स्टड दिया, जो एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि सुनाली की हिंदू-तमिल संस्कृति का एक हिस्सा था।स्कूल ने नाक की छड़ी पर आपत्ति जताई और सुनाली को इसे हटाने के लिए कहा गया।जब सुनाली ने नाक की छड़ी उतारने से इनकार कर दिया तो उसकी माँ को बुलाया गया।उसकी माँ ने अधिकारियों के साथ तर्क किया कि यह उसकी हिंदू-तमिल संस्कृति का एक हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जा सकता है।अंततः, सुनाली को अपनी माँ के माध्यम से समानता न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करनी पड़ी, जहाँ भेदभाव के ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है क्योंकि सुनाली ने अपने स्कूल द्वारा भेदभाव का आरोप लगाया था। समानता न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि भेदभाव के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, लेकिन इसे 'अनुचित' नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार उनके मामले को खारिज कर दिया गया।इसके बाद मामला उठाया गया।

च

जी.

30 निर्णय क के पृष्ठ 14 पर पैरा 14

एच.

567

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, जिसने उसकी अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि सुनाली को अपनी नाक की पट्टी हटाने के लिए कहना भेदभाव के बराबर है जो गलत है।स्कूल और प्रशासन दोनों संवैधानिक न्यायालय गए जिसने मामले की सुनवाई की और फिर से सुनाली के पक्ष में फैसला सुनाया।58. स्कूल के इस तर्क के बारे में कि नासिका अध्ययन सुनाली के धर्म या संस्कृति के लिए केंद्रीय नहीं था और यह केवल एक वैकल्पिक प्रथा है, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय ने यही कहा थाः

"86. स्कूल ने आगे तर्क दिया कि नोज़ स्टड सुनाली के धर्म या संस्कृति के लिए केंद्रीय नहीं है, लेकिन यह केवल एक वैकल्पिक अभ्यास है।मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी प्रथा या विश्वास की केंद्रीयता को यह निर्धारित करने में भूमिका निभानी चाहिए कि उस विश्वास को समायोजित करने के लिए किसी अन्य पक्ष को कितनी दूर जाना चाहिए।उचित समायोजन का सार आनुपातिकता का अभ्यास है।जो व्यक्ति केवल एक धार्मिक और/या सांस्कृतिक प्रथा का पालन करते प्रतीत होते हैं, लेकिन जो आवश्यक होने पर इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, वे शायद ही दूसरों से उसी समायोजन की मांग कर सकते हैं, जिनकी पहचान गंभीर रूप से कम हो जाएगी यदि वे अपने विश्वास का पालन नहीं करते हैं।कठिन प्रश्न यह है कि केंद्रीयता का निर्धारण कैसे किया जाए।क्या हमें समुदाय या व्यक्ति के लिए प्रथा या विश्वास की केंद्रीयता की जांच करनी चाहिए?

ग

डी.

87. जबकि यह भेदभाव उचित है या नहीं, यह निर्धारित करने में किसी विशेष धर्म या संस्कृति के लिए किसी विश्वास के वस्तुनिष्ठ महत्व या केंद्रीयता पर विचार करने के लिए लुभावना है, यह दृष्टिकोण कई कठिनाइयों को जन्म देता है।मेरे विचार में, अदालतों को प्रथाओं की वस्तुनिष्ठ केंद्रीयता निर्धारित करने में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रथा के अर्थ के बारे में अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करने और अक्सर कड़वे आंतरिक विवादों में पक्ष लेने की आवश्यकता होगी।यह धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं दोनों के लिए सच है।यदि सुनाली कहती है कि एक दक्षिण भारतीय तमिल हिंदू के रूप में उसके लिए नाक की पुतली केंद्रीय है, तो उसे यह बताना अदालत का काम नहीं है कि वह गलत है क्योंकि अन्य लोग उसी तरह से उस धर्म या संस्कृति से संबंधित नहीं हैं।"

ई.

च

जी.

59. स्कूल की ओर से यह भी अनुरोध किया गया था कि आखिरकार नाक की पुतली एक सांस्कृतिक मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा नहीं है और इसलिए किसी भी अधिकार का उल्लंघन, यदि बिल्कुल भी हो, तो बहुत कम है।इस मुद्दे को इस प्रकार निपटाया गयाः

एच.

"91. स्कूल के केंद्रीय धनुष की अगली कड़ी यह थी कि सुनाली के समानता के अधिकार का उल्लंघन कम गंभीर है क्योंकि नाक की छड़ी एक धार्मिक अलंकरण के बजाय सांस्कृतिक है।छूट से इनकार करने के लिए स्कूल द्वारा मूल रूप से इस आधार पर भी भरोसा किया गया था और यह सुनाली को छूट दिए बिना अध्ययन के सांस्कृतिक महत्व को क्यों पहचान सकता था।मेरे विचार से यह तर्क त्रुटिपूर्ण है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं किसी व्यक्ति की पहचान के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं।प्रासंगिक यह नहीं है कि किसी प्रथा को धार्मिक या सांस्कृतिक के रूप में चिह्नित किया गया है या नहीं, बल्कि इसमें शामिल व्यक्ति के लिए इसका अर्थ है।

92. स्कूल ने यह भी तर्क दिया कि अगर सुनाली को कोड पसंद नहीं है, तो वह बस दूसरे स्कूल में जा सकती है जो उसे नाक की छड़ी पहनने की अनुमति देगा।मैं सहमत नहीं हो सकता।मेरे विचार में इसका प्रभाव धर्मों और संस्कृतियों को हाशिए पर डालना होगा, कुछ ऐसा जो हमारे संविधान के मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत है।जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, संविधान विविधता को एक आवश्यक बुराई के रूप में बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन इसे हमारे राष्ट्र के प्राथमिक खजाने में से एक के रूप में पुष्टि करता है।हालाँकि, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब विशिष्ट तथ्यात्मक परिस्थितियाँ किसी अन्य विद्यालय की

उपलब्धता को उचित आवास की खोज में एक प्रासंगिक विचार बनाती हैं।हालाँकि, इस मामले में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं और इसलिए किसी अन्य विद्यालय की उपलब्धता एक प्रासंगिक विचार नहीं है।"

ग

डी.

ई.

60. अंततः जो हुआ वह नीचे दिया गया हैः

"112. भेदभाव का सुनाली पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और, हालांकि साक्ष्य से पता चलता है कि वर्दी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती है, यह नहीं दर्शाता है कि सुनाली को छूट देने से इनकार करने से उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ गया है।स्टड को अनुमति देने से स्कूल पर अनुचित बोझ नहीं पड़ता सुनाली को नोज स्टड पहनने की अनुमति देकर एक उचित समायोजन प्राप्त किया जा सकता था।इसलिए मैं उच्च न्यायालय के अनुचित भेदभाव के निष्कर्ष की पुष्टि करूंगा।"

च

जी.

61. दूसरा मामला, जिस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया था

अदालत रेजिना **(**एस**.** बी**.)** बनाम डेनबीग हाई स्कूल के राज्यपाल **31** है।

मुख्य रूप से विवाद यह था कि स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति थी, लेकिन जिस पर आगे जोर दिया गया वह था जिलबाब पहनना (जो अधिक या अधिक है)।

31 [2007] 1 एसी 100 ए

एच.

569

एशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

कम बुर्का)।जिलबाब को अस्वीकार कर दिया गया और इसके कारण मुकदमा चलाया गया जहां जिलबाब पर स्कूल के प्रतिबंध को बरकरार रखा गया।इस पृष्ठभूमि में हमें न्यायालय की टिप्पणियों की सराहना करनी चाहिए, यह कहा गया थाः

"लेकिन स्कूल अलग हैं।उनका कार्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार इस देश के सभी विभिन्न परिवारों और समुदायों के युवाओं को शिक्षित करना है।उनका कार्य अपने सभी छात्रों को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने में मदद करना है।इसमें वे जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें वे जो भी भूमिका चुनते हैं, उसे निभाने के लिए बड़े होना शामिल है।इस विद्यालय का कार्य विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों की सद्भाव में एक साथ रहने की क्षमता को बढ़ावा देना भी है।विद्यालय के भीतर सामुदायिक भावना और सामंजस्य को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।एक समान पोशाक संहिता जातीय, धार्मिक और सामाजिक विभाजन को सुचारू बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती है।लेकिन यह इससे भी बढ़ कर काम करती है।यह पसंद हो या न हो, यह एक ऐसा समाज है जो सैद्धांतिक और कानूनी रूप से पुरुषों और महिलाओं को यह चुनने की समान स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है कि वे कानून के भीतर अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे।यहाँ पली-बढ़ती जातीय, सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों की युवा लड़कियों को विशेष रूप से कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता हैःप्रमुख संस्कृति को अपनाना या उससे खुद को कितना दूर रखना है।एक अच्छा विद्यालय उन्हें सक्षम बनाएगा और उनका समर्थन करेगा।यह विशेष विद्यालय एक अच्छा विद्यालय हैःऐसा प्रतीत होता है कि यही एक कारण है कि शबीना बेगम वहाँ रहना चाहती थी।यह एक मिश्रित विद्यालय भी है।यही कठिनाई का कारण बना।यह लड़कियों के स्कूल में सभी महिला कर्मचारियों के साथ उत्पन्न नहीं हुआ होगा।"

ग

डी.

ई.

62. जब स्कूली अनुशासन और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों के बीच निर्णय लेना होता है तो संतुलन बनाए रखना होता है।यही आयोजित किया गया था।रिचमंड की बैरोनेस हेल ने इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए "संस्कृति, धर्म और लिंग" का उल्लेख किया।

च

(2003) प्रोफेसर फ्रांसेस रेडे द्वारा 98 पर सटीक अनुच्छेद जो

यह इस तरह पढ़ता है:"जहाँ ये लड़कियाँ अभी तक वयस्क नहीं हैं, वहाँ भेदभावपूर्ण प्रथा या उससे असहमति के लिए वास्तविक व्यक्तिगत सहमति संभव नहीं हो सकती है।सवाल यह है कि क्या पितृसत्तात्मक पारिवारिक नियंत्रण की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेते समय लड़कियों को घूंघट के निहितार्थ के अनुसार सामाजिक बनाया जाना चाहिए।.....एक अनिवार्य नीति जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में घूंघट को अस्वीकार करती है, लड़कियों को राज्य की शिक्षा की नारीवादी स्वतंत्रता को चुनने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है।

जी.

एच.

उनके परिवारों का पितृसत्तात्मक प्रभुत्व।परिवारों के लिए भी, इस तरह की नीति एक स्पष्ट संदेश भेज सकती है कि राज्य शिक्षा के लाभ महिलाओं और लड़कियों के समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने के दायित्व से जुड़े हैं।..दूसरी ओर, ए

व्यक्तिगत स्वायत्तता और माता-पिता के साथ-साथ छात्रों के लिए सांस्कृतिक विविधता के सम्मान के उदार सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले जोखिमों को छिपाने का निषेध।इसके परिणामस्वरूप परंपरावादी परिवार अपने बच्चों को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नहीं भेज सकते हैं।इस शैक्षिक संदर्भ में, समानता के अधिकार का कार्यान्वयन एक जटिल मामला है, और इसे प्राप्त करने के तरीके का निर्धारण एक विशिष्ट सामाजिक वातावरण में इन दो परस्पर विरोधी नीतिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन पर निर्भर करता है।

ग

(जोर दिया गया)

63. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वहाँ के जिला न्यायालयों द्वारा पारित दो अमेरिकी निर्णयों पर भरोसा रखा है, जो मिलर बनाम गिल्स 32 है।

डी.

और क्रिसमस बनाम एल रेनो बोर्ड ऑफ एजुकेशन **33**।सब एक जैसे हैं

इन मामलों के तथ्य अलग-अलग हैं और दोनों में से किसी भी मामले में स्कूल अधिकारियों की कार्रवाई ने छात्रों को उनकी कक्षाओं में जाने से नहीं रोका।कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक और निर्णय पर भरोसा किया गया है जो रोजगार प्रभाग बनाम स्मिथ 34 है।यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

ई.

64. मामले के तथ्य काफी अलग थे।जिस मुद्दे की जांच की जा रही थी, वह यह था कि क्या ओरेगन राज्य उन व्यक्तियों को बेरोजगारी लाभ से वंचित करना उचित था, जिन्हें "पेयोट" के सेवन के कारण उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे 'नियंत्रित पदार्थ' (नियंत्रित पदार्थ अधिनियम, 1970 के तहत) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जब इसका सेवन धार्मिक मान्यताओं के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा था।पेयोट का सेवन स्वीकार्य रूप से एक आपराधिक अपराध था। प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि क्योंकि इसका सेवन केवल उनके धार्मिक विश्वास के अनुसरण में किया जा रहा था और वे लागू आपराधिक कानून के अधीन होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।इस तर्क को खारिज कर दिया गया और यह माना गया कि यदि कुछ आचरण (जैसे पेयोट का सेवन), जो कानून द्वारा निषिद्ध है, तो इसमें शामिल होने का कोई संघीय अधिकार नहीं होगा।

च

जी.

32 315 एफ. सप.94 (एन. डी. इल. 1969) 33 313 एफ. सप।618 (डब्ल्यू. डी. ओक्ला।1970) 34 494 यूएस 872 (1990)

एच.

571

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

क.

इस तरह के व्यवहार में।यह पहले से ही निषिद्ध आचरण के लिए किसी व्यक्ति पर आपराधिक कानून के लागू होने के इस विशेष संदर्भ में था कि इस तरह के कानून को 'चेहरे से तटस्थ' कहा गया था।' इस नोट पर निम्नलिखित कहा गया थाः

“13. ...हमने कभी यह नहीं माना है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं उसे उस आचरण को प्रतिबंधित करने वाले अन्यथा वैध कानून के अनुपालन से छूट देती हैं जिसे राज्य विनियमित करने के लिए स्वतंत्र है।इसके विपरीत, हमारे स्वतंत्र अभ्यास न्यायशास्त्र का एक सदी से अधिक का रिकॉर्ड उस प्रस्ताव का खंडन करता है।जैसा कि माइनर्सविले स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जस्टिस फ्रैंकफर्टर द्वारा संक्षिप्त रूप से वर्णित किया गया है।बी. डी. ऑफ एड. वी.गोबाइटिस, 310 यू. एस. 586,594-595,60 एस. सीटी. 1010,1012-1013,84 एल. एड। 1375 (1940):“धार्मिक सहिष्णुता के लिए लंबे संघर्ष के दौरान कर्तव्यनिष्ठ संदेहों ने व्यक्ति को एक सामान्य कानून के आज्ञाकारिता से मुक्त नहीं किया है जिसका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देना या प्रतिबंधित करना नहीं है।केवल धार्मिक विश्वासों का होना जो एक राजनीतिक समाज की प्रासंगिक चिंताओं के विपरीत है, नागरिक को राजनीतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन से मुक्त नहीं करता है।"

ग

डी.

65. एक अन्य प्रश्न जिसका उत्तर वर्तमान मामले में विद्यालय प्रशासन और राज्य को देना चाहिए, वह यह है कि उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या हैःबालिकाओं की शिक्षा या ड्रेस कोड का प्रवर्तन!याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कई वरिष्ठ वकीलों ने हमें बार में सूचित किया है कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध लागू होने का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह रहा है कि कुछ विद्यार्थिनियां अपनी बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, और कई अन्य को अन्य स्कूलों, संभवतः मदरसों में स्थानांतरण की मांग करने के लिए मजबूर किया गया है, जहां उन्हें शिक्षा का समान स्तर नहीं मिल सकता है।यह एक लड़की के लिए है, जिसके लिए अपने स्कूल के गेट तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं था।

ई.

च

66. आज भारत में सबसे अच्छे दृश्यों में से एक, एक लड़की का है जो अपनी पीठ पर स्कूल का थैला लिए सुबह अपने स्कूल के लिए निकलती है।वह हमारी आशा है, हमारा भविष्य है।लेकिन यह भी एक तथ्य है कि एक लड़की के लिए अपने भाई की तुलना में शिक्षा प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन है।भारत के गाँवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, एक लड़की के लिए यह आम बात है कि वह अपना स्कूल बैग लेने से पहले अपनी माँ को सफाई और धोने के दैनिक कामों में मदद करती है।शिक्षा प्राप्त करने में एक लड़की को जिन बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे एक पुरुष बच्चे की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। इसलिए इस मामले को पहले से ही सामना की जा रही चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए।

जी.

एच.

अपने स्कूल पहुँचने वाली एक लड़की।इसलिए यह अदालत अपने सामने यह सवाल भी रखेगी कि क्या हम एक लड़की को उसकी शिक्षा से वंचित करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं, केवल इसलिए कि वह हिजाब पहनती है!67. याचिकाकर्ता केवल हिजाब पहनना चाहते हैं!क्या लोकतंत्र में पूछना बहुत अधिक है?यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ कैसे है?या यहां तक कि शालीनता या संविधान के भाग III के किसी अन्य प्रावधान के खिलाफ।कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में इन प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया गया है।राज्य ने 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश में या उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में कोई प्रशंसनीय कारण नहीं दिया है।यह मेरे तर्क या तर्क से मेल नहीं खाता कि कैसे एक लड़की जो कक्षा में हिजाब पहन रही है, वह एक सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या है या यहां तक कि कानून-व्यवस्था की समस्या भी है।इसके विपरीत इस मामले में उचित समायोजन एक ऐसे परिपक्व समाज का संकेत होगा जिसने अपने मतभेदों के साथ जीना और समायोजन करना सीख लिया है।संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम श्विमर 35 में दिए गए अपने प्रसिद्ध असहमति में न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर ने कहाः

ग

डी.

"22. ...यदि संविधान का कोई ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक अनिवार्य रूप से लगाव की मांग करता है, तो यह स्वतंत्र विचार का सिद्धांत है-उन लोगों के लिए स्वतंत्र विचार नहीं जो हमसे सहमत हैं, बल्कि उस विचार के लिए स्वतंत्रता है जिससे हम नफरत करते हैं।

68. एक लड़की को अपने घर में या अपने घर के बाहर हिजाब पहनने का अधिकार है, और यह अधिकार उसके स्कूल के द्वार पर नहीं रुकता है।जब वह स्कूल के गेट के अंदर होती है, अपनी कक्षा में होती है, तब भी बच्चा अपनी गरिमा और अपनी निजता को बनाए रखता है।वह अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखती है।यह कहना कि ये अधिकार कक्षा के भीतर व्युत्पन्न अधिकार बन जाते हैं, पूरी तरह से गलत है।

ई.

च

69. हम एक लोकतंत्र में और कानून के शासन के तहत रहते हैं, और जो कानून हमें नियंत्रित करते हैं, उन्हें भारत के संविधान को पारित करना चाहिए।हमारे संविधान के कई पहलुओं में से एक विश्वास है।हमारा संविधान भी न्यास का एक दस्तावेज है।यह

अल्पसंख्यकों का बहुमत पर विश्वास है।अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 24 मई 1949 को संविधान सभा के समक्ष एक बयान दिया, जिसे यहां भेजा जाना चाहिए।

जी.

उन्होंने कहा, "।अल्पसंख्यकों को जल्दबाजी में किसी विशेष पद के लिए प्रतिबद्ध करना हमारा इरादा नहीं है।अगर उन्हें वास्तव में ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इस देश की बदली हुई परिस्थितियों में, यह

एच.

35 279 यूएस 644 (1929); पैरा 22 ए

573

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।]

यह सभी के हित में है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वास्तविक और वास्तविक नींव रखी जाए, तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुमत की सद्भावना और निष्पक्षता की भावना पर भरोसा करने और उनमें विश्वास रखने से बेहतर कुछ नहीं है।इसी तरह, यह हमारे लिए भी है जो बहुमत में थे, इस बारे में सोचने के लिए कि अल्पसंख्यक क्या महसूस करते हैं, और हम उनकी स्थिति में कैसा महसूस करेंगे अगर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा उनके साथ किया जाता है।36 ”

70. कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विविधता के सवाल पर अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया क्योंकि इसे एक 'खोखली बयानबाजी' माना गया था, और 'एकता और विविधता' पर वकीलों द्वारा की गई दलीलों को खारिज कर दिया गया था।"

ग

यह वही कहा गया था, "याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि एक कक्षा को समाज की विविधता की मान्यता और प्रतिबिंब के लिए एक स्थान होना चाहिए, अपने गहन विश्लेषण में समाज (सामाजिक और नैतिक रूप से) की एक दर्पण छवि केवल एक खोखली बयानबाजी है, 'विविधता में एकता' अक्सर उद्धृत किया जाता है।37 "

डी.

71. हालाँकि, हमारे वर्तमान मामले के संदर्भ में विविधता और हमारी समृद्ध बहुवचन संस्कृति का सवाल महत्वपूर्ण है।हमारे स्कूल, विशेष रूप से हमारे पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेज एक आदर्श संस्थान हैं जहां हमारे बच्चे, जो अब एक प्रभावशाली उम्र में हैं, और इस राष्ट्र की समृद्ध विविधता के प्रति जाग रहे हैं, उन्हें परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि वे सहिष्णुता और समायोजन के हमारे संवैधानिक मूल्यों को उन लोगों के प्रति आत्मसात कर सकें जो एक अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग-अलग भोजन खा सकते हैं, या यहां तक कि अलग-अलग कपड़े या परिधान पहन सकते हैं!यह समय उनमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने का है।यह वह समय है जब उन्हें हमारी विविधता से चिंतित नहीं होना चाहिए बल्कि इस विविधता का आनंद लेना और जश्न मनाना सीखना चाहिए।यह वह समय है जब उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि विविधता में हमारी ताकत है।72. भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में सहिष्णुता और समझ के मूल्यों को विकसित करने और बच्चों को इस देश की समृद्ध विविधता के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।नीति के सिद्धांतों में कहा गया है कि 'इसका उद्देश्य

ई.

च

जी.

हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक न्यायसंगत, समावेशी और प्राकृतिक समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करना।’

36 25 मई, 1949:संविधान सभा की बहस, खंड VIII 37 अनुच्छेद XIV (v) विवादित निर्णय ए के पृष्ठ 101 पर

एच.

574

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

73. अरुणा राय बनाम भारत संघ 38 के मामले में इस न्यायालय ने धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति की विविधता के संवैधानिक मूल्यों और हमारी शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता पर विस्तार से बताया था।न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने उनके द्वारा लिखित सहमति वाली राय में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"25. ...इन्हें प्राथमिक वर्षों से ही शिक्षा में उचित चरणों में शामिल करने की आवश्यकता है।छात्रों को यह जागरूकता देनी होगी कि हर धर्म का सार समान है, केवल प्रथाएं अलग हैं।

अपने फैसले में एक अन्य स्थान पर अदालत ने कहा है:"86. ...धर्म के प्रति पूर्ण तटस्थता और राज्य के संस्थानों में सभी प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं के प्रति उदासीनता ने विभिन्न धर्मों, आस्थाओं और विश्वासों के लोगों के वर्गों के बीच आपसी गलतफहमी और असहिष्णुता को दूर करने में मदद नहीं की है।'इसलिए, 'धर्मनिरपेक्षता' एक सकारात्मक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है जो विभिन्न धर्मों के प्रति विकास और समझ और सम्मान है।"

ग

डी.

74. नवतेज सिंह जौहर मामले में इस अदालत की एक संवैधानिक पीठ

और ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ**,** विधि और न्याय मंत्रालय **39** जबकि

विविधता, असहमति, स्वतंत्रता और समायोजन पर बोलते हुए सहमत राय देते हुए निम्नलिखित बातें कींः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"375. संविधान ने राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण किया।लेकिन यह सबसे ऊपर, न्याय द्वारा शासित समाज की दृष्टि को दर्शाता है।व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसकी आत्मा है।न्याय की संवैधानिक दृष्टि संस्कृति, विचारधारा और अभिविन्यास के अंतर को समायोजित करती है।इसकी नींव की स्थिरता अपने सभी पहलुओं में विविधता की रक्षा करने के प्रयास में निहित है; अपने नागरिकों की मान्यताओं, विचारों और जीवन जीने के तरीकों में।लोकतांत्रिक रूप से संविधान अनुरूपता की मांग नहीं करता है। न ही यह संस्कृति को मुख्यधारा में लाने पर विचार करता है।यह असहमति को सामाजिक संघर्ष के लिए सुरक्षा कवच के रूप में पोषित करता है।दूसरों को पहचानने की हमारी क्षमता जो अलग हैं, हमारे अपने विकास का संकेत है।हम एक दयालु और मानवीय समाज के प्रतीकों को केवल अपने जोखिम 40 पर याद करते हैं।"

च

जी.

38 (2002) 7 एस. सी. सी. 368

39 (2018) 10 एससीसी 1

40 पैरा 375, डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की सहमति वाली राय, (ऊपर)

एच.

575

इशात शिफा बनाम कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। [सुधांशु धूलिया, जे।]

क.

75. सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में **41**

पीठ की ओर से बहुमत की राय देते हुए, न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेट्टी ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“81. व्यवहार में भी, इस तरह के दावों को काफी शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है।एक अपेक्षाकृत सजातीय समाज का होना अनुकूल नहीं हो सकता है।यह धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा सकता है जो मानव जाति के लिए अभिशाप है।धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक स्कूलों या कॉलेजों में सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग संकाय या विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और वे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं।वे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और समानता की केंद्रीय अवधारणा के साथ असंगत होंगे।प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है।छात्र और शिक्षक महत्वपूर्ण घटक हैं।यही वह जगह है जहाँ वे दूसरों की संस्कृतियों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करते हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का उचित मिश्रण होना चाहिए।"

ग

डी.

76. भाग IV ए के तहत यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।’ 43

ई.

77. इस मामले में लागू सांविधिक प्रावधानों, अर्थात् कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983, जो जी. ओ. दिनांकित 05.02.2022 का स्रोत है, का उल्लेख करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताता है कि स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम को हमारे देश की समृद्ध और मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित किया गया है कि पाठ्यक्रम में से एक

च

स्कूल "नैतिक और नैतिक शिक्षा" हो सकती है और यह आगे कहता है कि स्कूल को "महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधताओं को पार करते हुए भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए"।

जी.

78. संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।” यह वह है

41 (1992) 1 एससीसी 558 42 पैरा 81 (ऊपर)

43 भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए (एफ)

एच.

फिर से प्रस्तावना जो उन सभी के बीच बढ़ावा देना चाहती है, "व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व।"

5 फरवरी, 2022 का सरकारी आदेश और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी भाईचारे और मानवीय गरिमा के हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति की त्रिगुण भी हमारी प्रस्तावना का एक हिस्सा है।यह सच है कि राजनीति और कानून में स्वतंत्रता और समानता अच्छी तरह से स्थापित, ठीक से समझी गई और मान्यता प्राप्त अवधारणाएं हैं, लेकिन कुछ कारणों से बंधुत्व काफी हद तक गुप्त रहा है।हालाँकि हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण अलग था।हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. के साथ बंधुत्व का एक अलग और कई मायनों में बहुत बड़ा अर्थ था।

ग

अम्बेडकर।उनके अपने शब्दों में:" मेरे सामाजिक दर्शन को इन शब्दों में निहित कहा जा सकता है:स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।लेकिन किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है।मेरे पास नहीं है।मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं न कि राजनीति विज्ञान में।मैंने उन्हें अपने गुरु से प्राप्त किया है,

डी.

बुद्ध 44." डॉ. अम्बेडकर ने बंधुत्व को सर्वोच्च स्थान दिया क्योंकि यह स्वतंत्रता या समानता से इनकार के खिलाफ एकमात्र वास्तविक सुरक्षा थी।

" स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को पराजित करना है।स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है; समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है।न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है।समानता के बिना, स्वतंत्रता कई लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी।बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बन सकती थी।45 "

ई.

च

79. इसलिए बंधुत्व, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है, के लिए हमें सहिष्णु होने की आवश्यकता होगी, और जैसा कि कुछ विद्वान सलाहकार दूसरों के विश्वास और धार्मिक प्रथाओं के प्रति उचित रूप से अनुकूल होने का तर्क देंगे।हमें न्यायमूर्ति ओ. द्वारा की गई अपील को याद रखना चाहिए।

जी.

बिजोए इमैनुएल (ऊपर) में चिन्नाप्पा रेड्डी "हमारी परंपरा सिखाती है

44 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर:लेखन और भाषण, 2020 (खंड XVII, भाग III); प्रस्तावना यहाँ देखी जा सकती है://डब्ल्यू. डब्ल्यू.मियां।गव.इन/इमेजेस/सीपीवी/वॉल्यूम 17 _ पार्ट _ III. पी. डी. एफ.

45 25 नवंबर, 1949 को डॉ. अम्बेडकर का भाषण:संविधान सभा की बहस, खंड 11 ए

एच.

सहिष्णुता; हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है; हमारा संविधान सहिष्णुता का अभ्यास करता है; आइए हम इसे कमजोर न करें।"

80. हमारी संवैधानिक योजना के तहत, हिजाब पहनना केवल पसंद का मामला होना चाहिए।यह आवश्यक धार्मिक अभ्यास का विषय हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिर भी यह विवेक, विश्वास और अभिव्यक्ति का विषय है।अगर वह हिजाब पहनना चाहती है, यहां तक कि अपने कक्षा के अंदर भी, उसे रोका नहीं जा सकता है, अगर इसे उसकी पसंद के रूप में पहना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे उसका रूढ़िवादी परिवार उसे स्कूल जाने की अनुमति देगा, और उन मामलों में, उसका हिजाब उसकी शिक्षा का टिकट है।

81. हिजाब प्रतिबंध का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह होगा कि हम एक बालिका को शिक्षा से वंचित कर देते।एक लड़की जिसके लिए अभी भी अपने स्कूल के द्वार तक पहुंचना आसान नहीं है।इसलिए, यहाँ इस मामले को एक छात्रा द्वारा अपने स्कूल तक पहुँचने में पहले से ही सामना की जाने वाली चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए।यह अदालत अपने सामने यह भी सवाल रखेगी कि क्या हम केवल हिजाब पहनने के कारण एक लड़की को उसकी शिक्षा से वंचित करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं!

ग

डी.

82. हमारे संविधान ने एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की है और यही कारण है कि नागरिकों के लिए जो पहला गुण सुरक्षित है वह 'न्याय' है जो हमारे प्रारंभिक वादों में से पहला है।रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ

जस्टिस 'लिखते हैंः"...न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, क्योंकि सत्य विचारों की प्रणाली का गुण है। "." इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज में समान नागरिकता की स्वतंत्रता को तय माना जाता है, न्याय द्वारा प्राप्त अधिकार राजनीतिक सौदेबाजी या सामाजिक हित की गणना के अधीन नहीं होते हैं। "

ई.

83. स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले लड़कियों को अपना हिजाब उतारने के लिए कहना, पहले उनकी निजता पर आक्रमण है, फिर यह उनकी गरिमा पर हमला है, और फिर अंततः यह उनके लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से इनकार है।ये स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 (1) का उल्लंघन करते हैं।

च

84. नतीजतन, मैं सभी अपीलों के साथ-साथ रिट याचिकाओं को अनुमति देता हूं, लेकिन केवल उस हद तक जैसा कि नीचे आदेश दिया गया हैः

जी.

क) कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च, 2022 के आदेश को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है;

46 रॉल्स, जॉन (1921):सामाजिक न्याय का एक सिद्धांत, रेव. एड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का बेल्कनैप प्रेस, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स ए

एच.

ख) 5 फरवरी, 2022 का जी. ओ. इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और,ग) कर्नाटक में कहीं भी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

आदेश *

पीठ द्वारा व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

ग

देविका गुजराल

मामला सीजेआई के समक्ष रखा गया।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

* एड। ध्यान देंःन्यायालय द्वारा पारित आदेश।

एच.